

कला और संस्कृति

आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में दुर्लभ शिलालेख का पता चला

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में रेनाती चोल काल का संकेत देने वाली एक दुर्लभ शिलालेख की खोज हुई है।



रेनाती चोल युग के बारे में

- रेनाडु के तेलुगु चोल (जिसे रेनाती चोल भी कहा जाता है), वर्तमान के कुडापा जिले के रेनाडू क्षेत्र पर शासन करता था।
- वे मूल रूप से स्वतंत्र थे, बाद में पूर्वी चालुक्यों के हाथों पराजित हुए।
- उन्हें 6 वीं और 8 वीं शताब्दी से संबंधित शिलालेखों में तेलुगु भाषा का उपयोग करने का विशेष सम्मान प्राप्त था।
- जम्मूलामाडुगु और प्रोडुटुर में गांडीकोटा के शिलालेख इस तथ्य का प्रमाण हैं।
- इस परिवार के सबसे पहले नंदीवर्मन (500 ईस्वी) थे जिन्होंने करिकला परिवार और कश्यप गोत्र के वंश का दावा किया था।

संबंधित जानकारी

प्रोजेक्ट डिजिटल पूमपुहार

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) ने तमिलनाडु में चोल राजवंश के बंदरगाह शहर (पूमपुहार) को फिर से बनाने के लिए "प्रोजेक्ट डिजिटल पूमपुहार" शुरू किया है।
- पूमपुहार का पुनर्निर्माण DST की भारतीय डिजिटल विरासत (IDH) परियोजना का एक हिस्सा है।
- इस परियोजना में सुदूर संचालित वाहनों और दूरदराज के संवेदन-आधारित भू-वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा पानी के नीचे के सर्वेक्षण और फोटोग्राफी को शामिल किया गया है ताकि समय श्रृंखला विकास और विलुप्त होने पर व्यापक जानकारी सामने आ सके।
- इस अध्ययन से न केवल पूमपुहार के जीवन-इतिहास और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास पर वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने की बल्कि विज्ञान और तकनीकी विकास और आपदा इतिहास पर भी वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

पूमपुहार बंदरगाह के बारे में

- संगम तमिल साहित्य के कार्यों में इसका उल्लेख किया गया है जो दक्षिणी तमिलनाडु में मौजूदा पूमपुहार शहर से 30 किमी दूर स्थित शहर को संदर्भित करता है।

भारतीय डिजिटल विरासत पहल के बारे में

- यह डिजिटल प्रलेखन और हमारी मूर्त और अमूर्त विरासत की व्याख्या के लिए प्रौद्योगिकी और मानविकी के क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई एक पहल है।
- यह परियोजना कर्नाटक में विजयनगर वंश की मध्ययुगीन राजधानी, विश्व विरासत स्थल हम्पी की कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालती है।

चोल के बारे में

- चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों पर शासन किया था।
- उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था, जिसे बाद में चोलमंडलम के रूप में जाना गया।
- चोल की राजधानी उरैयुर (तिरुचिरापल्ली शहर के पास) थी और पुहार या कावेरीपट्टनम एक वैकल्पिक शाही निवास और मुख्य बंदरगाह शहर था।
- चोल साम्राज्य का प्रतीक बाघ था।
- चोलों ने एक कुशल नौसेना भी बनाए रखी थी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र । - कला और संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

चन्नपटना खिलौने

खबरों में क्यों?

- हाल ही में खिलौनों के शहर चन्नपटना में, कलाकारों के चेहरे पर प्रसन्नता आ गयी जब प्रधानमंत्री ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में अपने भाषण में इन स्थानीय खिलौनों का जिक्र किया।

चन्नपटना खिलौनों के बारे में

- वे लकड़ी के खिलौने और गुड़िया का एक रूप हैं जो कर्नाटक के चन्नपटना शहर में निर्मित होती हैं।



- इन खिलौनों को कर्नाटक के गोम्बेगला ओरु (खिलौना-शहर) के रूप में भी जाना जाता है।
- परंपरागत रूप से, कार्य में राइटिया टिनक्टोरिया वृक्ष (हाथी दांत की लकड़ी) की लकड़ी को शामिल किया जाता है।
- हालांकि, देर से, अन्य पेड़ों से लकड़ी भी चन्नपटना खिलौने बनाने के लिए उपयोग किया गया है।
- इसे भौगोलिक संकेत टैग से भी सम्मानित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- इन खिलौनों की उत्पत्ति का पता टीपू सुल्तान के शासनकाल से लगाया जा सकता है जिन्होंने लकड़ी के खिलौने बनाने में स्थानीय कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए फारस के कारीगरों को आमंत्रित किया था।
- अधिकांश विवरणों के अनुसार, चन्नपटना में खिलौनों का निर्माण कम से कम 200 वर्ष पुराना है।

भारत में भौगोलिक संकेत के बारे में

- इसका उपयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस जगह से उत्पन्न होने के कारण गुणवत्ता अथवा प्रतिष्ठा को धारण करते हैं।
- यह टैग 10 वर्षों की अवधि तक वैध होता है जिसके बाद इसका नवीनीकरण कराया जा सकता है।
- भारत में भौगोलिक संकेतन के संरक्षण के लिए, वस्तु भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम, 1999 (GI अधिनियम) एक सुई जेनेसी अधिनियम है।
- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते का पालन करने हेतु अधिनियम को पारित किया है।
- TRIPS समझौते के माध्यम से GI सुरक्षा प्रदान की जाती है।

नोट:

- हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत के भौगोलिक संकेतन (GI) के लिए लोगो और टैगलाइन लांच की है।

एटिकोप्पका खिलौने

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, 'एटिकोप्पका' गुड़िया की प्रसिद्ध कला का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम में जिक्र किया गया।



एटिकोप्पका खिलौनों के बारे में,

- एटिकोप्पका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में वराह नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गाँव है।
- गाँव में खिलौने लाख रंग से बनाए जाते हैं और पारंपरिक रूप से इटिकोप्पाका खिलौने या एटिकोप्पका बोम्मलू के रूप में प्रसिद्ध हैं।
- लाख से रंगाई की परंपरा पुरातन काल में 300 ईसा पूर्व से चली आ रही है।
- लाख लाख से बना होता है, जो कई कीड़ों का एक रंगहीन राल साव होता है, जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान वनस्पति रंगों को मिलाया जाता है।

- खिलौने लकड़ी से बने होते हैं और बीज, लाह, छाल, जड़ों और पत्तियों से प्राप्त प्राकृतिक रंगों से रंगे होते हैं।
- 2017 में, भौगोलिक संकेतन पंजीकरण द्वारा एटिकोप्पका खिलौनों को आंध्र प्रदेश का GI टैग दिया गया था।

संबंधित जानकारी

भारत में भौगोलिक संकेतन के बारे में

- इसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उनमें वे गुण या प्रतिष्ठा पायी जाती है जिसका कारण उनका मूल स्थान होता है।
- यह टैग 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।
- वस्तु भौगोलिक संकेतन (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 (GI अधिनियम) भारत में GI के संरक्षण के लिए एक अपनी तरह का एक अधिनियम है।
- भारत, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधित पहलुओं पर समझौते का पालन करने के लिए अधिनियम बनाया।
- TRIPS समझौते के माध्यम से GI सुरक्षा प्रदान की जाती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - कला और संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

गोजरी भाषा

खबरों में क्यों है?

- केंद्र सरकार के कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं की सूची में निर्णय को जोड़ने निर्णय ने केंद्र शासित प्रदेश में सिख और गुर्जर समूहों को नाराज कर दिया है।



पृष्ठभूमि

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 को मंजूरी दी है जिसमें कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं बनाने का प्रस्ताव रखा गया था।
- बाद में, गोजरी लेखकों, आदिवासी बुजुर्गों और छात्रों ने मांग की कि विधेयक में गोजरी भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि यह कश्मीर घाटी में जम्मू-कश्मीरी में डोगरी के बाद दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है।

गुर्जरी के बारे में

- इसे गुर्जरी तथा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अन्य जनजातियों द्वारा हिन्द-आर्य की बोली जाने वाली एक विविध गोजरी और गुर्जरी भाषा के रूप में जाना जाता है।
- यह भाषा मुख्य रूप से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, दिल्ली और भारत के अन्य भागों में बोली जाती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र । - कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है, जिन्हें उन्होंने "प्रकृति की मानवीय आवाज़" के रूप में वर्णित किया जाता है।



डेविड एटनबर्ग के बारे में

- वह एक अंग्रेजी ब्रॉडकास्टर और प्राकृतिक इतिहासकार हैं।
- वह बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर लिखने और प्रस्तुत करने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, नौ प्राकृतिक इतिहास की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ जिसमें लाइफ कलेक्शन है जो एक साथ मिलकर पृथ्वी पर जानवरों और पौधों के जीवन का व्यापक सर्वेक्षण करता है।

शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रत्येक वर्ष दिवंगत प्रधानमंत्री की जन्म वर्षगांठ पर प्रदान किया जाता है।
- इसे पहली बार 1986 में दिया गया था।
- यह पुरस्कार उन व्यक्तियों/संगठनों को उनके रचनात्मक प्रयासों के लिए दिया जाता है, जो निम्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं:
- नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सत्ता बनाना,
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देना,

- यह सुनिश्चित करना कि वैज्ञानिक अविष्कारों का उपयोग मानवता की व्यापक भलाई और स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

इस पुरस्कार के भूतपूर्व प्राप्तकर्ताओं के नाम हैं:

- मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत संघ के पूर्व नेता (1987)
- यूनिसेफ (1989)
- जिमी कार्टर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति (1997)
- संयुक्त राष्ट्र और इसके महासचिव कोफी अन्नान (2003)
- एंजेला मार्केल, जर्मनी की चांसलर (2013)
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (2014)
- संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग (2015)
- भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह (2017)
- विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (2018)

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - कला और संस्कृति

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

भारत रत्न

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में तेलंगाना सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए भारत रत्न की माँग की है।



भारत रत्न के बारे में

- वर्ष 1954 में स्थापित भारत रत्न (भारत का गहना), भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा / सर्वोच्च क्रम के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है।
- प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को भारत रत्न के लिए नामों की सिफारिश की जाती है जिसमें प्रति वर्ष अधिकतम तीन लोगों को सम्मान के लिए नामांकित किया जाता है।
- प्राप्तकर्ता राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक प्राप्त करते हैं।
- इस पुरस्कार के साथ कोई पुरस्कार धनराशि नहीं दी जाती है।
- भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति प्रमुखता के भारतीय क्रम में सातवें स्थान पर आते हैं।

हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तित्व

- 2019 में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख (मरणोपरांत), और असमिया संगीतकार भूपेन हजारिका (मरणोपरांत) को भारत रत्न से सम्मानित किया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - कला और संस्कृति

स्रोत-PIB

जयपुर में पत्रिका गेट

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया।



पत्रिका गेट के बारे में

- इस गेट का निर्माण राजस्थान पत्रिका समूह प्रकाशन (मीडिया समूह) द्वारा किया गया है।
- यह जयपुर विकास प्राधिकरण के मिशन अनुपम के तहत एक स्मारक के रूप में बनाया गया एक प्रतिष्ठित द्वार है।
- जयपुर की ऐतिहासिकता को ध्यान में रखते हुए पत्रिका गेट को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गयी थी।

विश्व विरासत स्थल

- यूनेस्को मानवता के लिए उत्कृष्ट मूल्य के रूप में मानी जाने वाली दुनिया भर की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासतों की पहचान, रक्षा एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।
- इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल किया गया है जिसे "विश्व सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के बचाव के संबंध में सम्मेलन" कहा जाता है, जिसे यूनेस्को द्वारा सन् 1972 में अपनाया गया था।
- विश्व विरासत समिति सम्मेलन के कार्यान्वयन का मुख्य निकाय है।
- इसमें आम महासभा द्वारा चयनित सम्मेलन के 21 भागीदार देशों का प्रतिनिधित्व होता है।
- विश्व विरासत नामांकन के लिए स्थल में एक उत्कृष्ट सार्वभौमिक विशेषता (OUV) होनी चाहिए।
- विश्व धरोहर नामांकन के लिए OUV निर्धारित करने हेतु 10 सूचीबद्ध मापदंड हैं।
- प्रस्तावित नामांकन को इन दस मानदंडों में से कम से कम एक को पूरा करना होगा।

भारत और विश्व धरोहर स्थल

- हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति (WHC) का 43 वां सत्र वर्ष 2019 में अज़रबैजान गणराज्य के बाकू शहर में आयोजित किया गया।

- यह निर्णय लिया गया जयपुर देश में ऐसी पहचान प्राप्त करने वाला अहमदाबाद के बाद दूसरा शहर है।
- भारत में अब कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें 30 सांस्कृतिक संपत्ति, 7 प्राकृतिक विशेषता और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II -कला एवं संस्कृति
स्रोत-आकाशवाणी

काकतीय राजवंश

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में काकतीय देवी मंदिर को स्थानीय देवी 'बालसुलम्मा' (देवी दुर्गा) के निवास स्थल में बदल दिया गया है।



काकतीय देवी मंदिर के बारे में

- मंदिर का निर्माण 13 वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासक गणपति देव ने कराया था।
- गणपति देव पहला राजा था जिसने आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और उसके राज्य के बाहर अधिराज्यों में काकतीय देवी की पूजा शुरू की थी।
- यह मंदिर वर्तमान आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के पास धारानिकोटा में स्थित है।

विशेषताएं

- काकतीय देवी की मूर्ति में आठ हाथों वाली पद्मासन में बैठी एक मूर्ति थी जिसके प्रत्येक हाथ में एक विशेष वस्तु थी, यह विशेषता काकतीय काल के दूसरे धार्मिक मंदिरों में नहीं पायी गयी।

संबंधित जानकारी

काकतीय राजवंश के बारे में

- काकतीय राजवंश (११६३-१३२३) एक दक्षिण भारतीय राजवंश था, जिसका ग उरैगल (वारंगल) था।
- वे वारंगल के निकट एक छोटे क्षेत्र पर शासन करने वाले कल्याण के पश्चिमी चालुक्यों के पहले सामंत थे।
- प्रतापरुद्र प्रथम ने 1163 ईस्वी में एक संप्रभु राजवंश की स्थापना की।
- इस राजवंश में गणपति देव और रुद्रमादेवी जैसे शक्तिशाली राजा थे।
- काकतीय शासकों ने अपनी वंशावली का जन्म दुर्जया नामक एक महान प्रमुख से पाया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - कला और संस्कृति

स्रोत - द हिंदू

ज्ञानपीठ पुरस्कार

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में नवंबर 2019 में घोषित 55 वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कवि अक्किथम अच्युतन नंबोतिरी को दिया गया।
- अक्किथम मलयालम साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले छहवें लेखक हैं



ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है, जो दिल्ली में एक साहित्य एवं अनुसंधान संगठन है।
- यह किसी लेखक को वर्ष में "साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान" के लिए दिया जाता है।
- यह केवल भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय लेखकों को दिया जाता है।
- इसमें कोई मरणोपरांत सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है और पुरस्कार के लिए पिछले 20 वर्षों में प्रकाशित किसी रचना पर ही विचार किया जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र । - कला और संस्कृति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

राजव्यवस्था और शासन

विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष

खबरों में क्यों है?

- CSIR-CMERI ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े सौर वृक्ष को विकसित किया है, जिसे पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR-CMERI आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है।



सौर वृक्ष की विशेषताएँ

- सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता 11.5 kWp से अधिक है।
- इसमें स्वच्छ और हरित ऊर्जा की 12,000-14,000 इकाइयों को उत्पन्न करने की वार्षिक क्षमता है।
- ऊर्जा उत्पादन आंकड़ों पर निगरानी वास्तविक समय या दैनिक आधार पर की जा सकती है।
- प्रत्येक सौर वृक्ष में जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पादन की तुलना में ग्रीनहाउस गैसों के रूप में वायुमंडल में घुलने वाली 10-12 टन CO₂ उत्सर्जन को बचाने की क्षमता है।
- सौर पेड़ में IoT समर्थित सुविधाओं को शामिल करने की क्षमता है, अर्थात् कृषि क्षेत्रों में चौबीस घंटे CCTV निगरानी, वास्तविक समय आर्द्रता, हवा की गति, वर्षा का पूर्वानुमान और मृदा विश्लेषण सेंसर इत्यादि।

संबंधित जानकारी

PM-KUSUM योजना के बारे में

- हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने देश में सौर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर एवं अन्य नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान उर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना शुरू की है।
- इस योजना का लक्ष्य 2022 तक सौर और अन्य नवीकरणीय क्षमता को 25,750 मेगावाट जोड़ना है।

योजना के घटक

योजना में तीन घटक होते हैं:

- घटक A: 10,000 मेगावाट का विकेन्द्रीकृत भूमिगत स्थित ग्रिड से जुड़ा नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र जो 2 MW आकार के अलग-अलग संयंत्रों से जुड़ा है।
- घटक B: 7.5 HP की व्यक्तिगत पंप क्षमता के 17.50 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना।
- घटक C: 7.5 HP की व्यक्तिगत पंप क्षमता के 10 लाख ग्रिड संबद्ध कृषि पंपों का सौर्यकरण

योजना का क्रियान्वयन

- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की राज्य नोडल एजेंसियां (SNA) योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, डिस्कॉम और किसानों के साथ समन्वय करेगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत-आकाशवाणी

अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चुनौती के लिए चुनौती प्रतियोगिता

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नेकस्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (NGIS) पहल के तहत स्टार्ट-अप चुनौती का शुभारंभ किया है।



नेकस्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (NGIS) पहल के बारे में

- NGIS पहल को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) द्वारा लाया गया है।
- उद्भवन योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (MeitY) के साथ साझेदारी में भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक इकोसिस्टम का विकास और निर्माण करना है।
- STPI डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए पहल और उपाय कर रही है।
- NGIS कार्यक्रम NPSP 2019 की सोच के साथ बनाया और जोड़ा गया है और यह देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा।
- इसे 3 वर्षों की अवधि में देश भर के 12 STPI केंद्रों में लागू किया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

असम के विदेशी न्यायाधिकरणों में 83,000 मामले लंबित

खबरों में क्यों है?

- असम में 100 विदेशी न्यायाधिकरणों (FT) में संदिग्ध या डी-मतदाताओं के 83,008 मामले लंबित हैं।
- डी-मतदाता चुनाव आयोग द्वारा विदेशी होने के संदेह पर असम की निर्वाचन सूची से बाहर किए गए लोगों की एक श्रेणी है।
- इनके मामलों को विदेशी न्यायाधिकरणों को संदर्भित किया जाता है, जो उनकी नागरिकता पर निर्णय करते हैं।

- बारपेटा जिले में सोरभोग विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मामले लंबित हैं।



विदेशी न्यायाधिकरण क्या है?

- न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि अवैध रूप से निवास करने वाला व्यक्ति "विदेशी" है अथवा नहीं।
- सन् 1964 में, सरकार विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश लाई थी।

इन अधिकरणों को कौन स्थापित कर सकता है?

- गृह मंत्रालय (MHA) ने विदेशी (अधिकरण) आदेश, 1964 में संशोधन किया और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला न्यायाधीशों को अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया ताकि यह तय किया जा सके कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला व्यक्ति विदेशी है अथवा नहीं।
- इससे पहले, न्यायाधिकरणों का गठन करने की शक्तियाँ केवल केंद्र के पास निहित थीं।

विदेशी न्यायाधिकरण सदस्य

- सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विदेशी न्यायाधिकरण सदस्य को विदेशी अधिकरण अधिनियम, 1941 और विदेशी अधिकरण आदेश, 1984 के तहत नियुक्त किया जाता है।
- यह सदस्य असम न्यायिक सेवा का एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, एक सेवानिवृत्त सिविल सेवक जो सचिव के पद से नीचे न हो और न्यायिक अनुभव प्राप्त अतिरिक्त सचिव है, या 35 साल या अधिक उम्र तथा कम से कम सात साल वकालत का अनुभव प्राप्त वकील हो सकता है।
- सदस्य को असम की आधिकारिक भाषाओं (असमिया, बंगाली, बोडो और अंग्रेजी) का उचित ज्ञान होना चाहिए और साथ ही उसे विदेशियों की समस्याओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होना चाहिए।

न्यायाधिकरणों के समक्ष दो तरह के मामले सामने आए हैं:

- वे लोग जिनके खिलाफ सीमा पुलिस द्वारा जिक्र किया गया है।
- मतदाता सूची में वे लोग जिनके नाम पर "डी", या "संदिग्ध" का निशान हैं।

नोट:

- प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम अंतिम राष्ट्रीय रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) में दर्ज नहीं है, वह अपीलिय प्राधिकारी यानी विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपने मामले का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
- विदेशी अधिनियम 1946 और विदेशी (अधिकरण) के आदेश 1964 के प्रावधानों के तहत, केवल विदेशी ट्रिब्यूनलों को किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उप-वर्गीकरण

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को फिर से खोल दिया है, इस मुद्दे को निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है।

All For 27%

Commission to be appointed under Article 340

-  **Commission has to submit** report within 12 weeks of its formation
-  **Sub-categorisation** recommended by now-defunct NCBC in 2011; parliamentary panels recommended it in 2012 and 2013

11 states introducing sub-categorisation in state services: Andhra, Telangana, Puducherry, Karnataka, Haryana, Jharkhand, Bengal, Bihar, Maharashtra, J&K and Tamil Nadu

OBC का उप-वर्गीकरण क्या है?

- OBC को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया है।
- उप-वर्गीकरण का प्रश्न का आधार यह है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक समुदायों में से कुछ ही संपन्न समुदायों ने इस 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है।
- ओबीसी का उप-वर्गीकरण अथवा श्रेणियाँ बनाने के पीछे तर्क यह है कि यह सभी OBC समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का "समान वितरण" सुनिश्चित करेगा।

किसके द्वारा उप-वर्गीकरण का परीक्षण किया जा रहा है?

- अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण की जांच करने हेतु आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 से प्रभार ग्रहण किया था।
- इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी द्वारा की जा रही है, जिसमें सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के निदेशक डॉ. जे. के. बजाज और दो अन्य पदेन सदस्य शामिल हैं।

इसके संदर्भ की शर्तें क्या हैं?

यह मूल रूप से संदर्भ की तीन शर्तों के साथ स्थापित किया गया था:

- केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में OBC की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना।
- ऐसे OBC वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में प्रणाली, मानदंडों नियमों और मापदंडों पर काम करना।
- OBC की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या समानार्थी लोगों की पहचान करने और उन्हें अपने संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने का कार्य हाथ में लेना।

22 जनवरी, 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा इसे विस्तार दिए जाने पर, इसमें चौथा तत्व भी जोड़ा गया है:

- केंद्रीय OBC सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और वर्तनी या प्रतिलेखन की किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और त्रुटियों के सुधार की सलाह देना।
- आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 जनवरी, 2021 को समाप्त हो रहा है।

समिति का बजट

- इसका बजट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (NCBC) आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसे 2018 में सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

अभी तक इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं?

- 2018 में, आयोग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान OBC वर्ग के तहत दी गई 1.3 लाख केंद्रीय नौकरियों और पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों सहित उच्च शैक्षिक संस्थानों, IIT, NIT, IIM और AIIMS आदि में दिए गए प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

निष्कर्ष इस प्रकार रहे:

- सभी नौकरियों और शैक्षिक सीटों का 97% ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के खाते में केवल 25% ही आया।
- इन नौकरियों और सीटों का 24.95% सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों के पास चला गया है।
- 983 ओबीसी समुदाय - कुल का 37% - नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य अभ्यावेदन है।
- 994 ओबीसी उप-जातियों की भर्ती और प्रवेश में कुल 2.68% का प्रतिनिधित्व है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

रिहायशी उद्यमी NIDHI-EIR पुस्तक विवरणिका

खबरों में क्यों है?

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन (निधि) पहल कार्यक्रम के तहत रिहायशी उद्यमिता पुस्तक विवरणिका का अनावरण किया।



रिहायशी उद्यमी कार्यक्रम (EIR) के बारे में,

- यह नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हारनेसिंग इनोवेशन (NIDHI) कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए उप-कार्यक्रमों में से एक है।

लक्ष्य

- सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को उद्यमियों बनने के लिए प्रेरित करना, स्टार्ट-अप को आगे बढ़ाने में शामिल जोखिम को कम करना और उच्च भुगतान वाली नौकरियों के अपने अवसर लागतों को आंशिक रूप से निर्धारित करने के लिए।

नोडल एजेंसी

- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्य करता है।

अनुदान

- रिहाइशी उद्यमी (EIR) कार्यक्रम 18 महीने की अवधि के लिए एक आशाजनक तकनीकी व्यावसायिक विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्षमतावान या उभरते उद्यमियों का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत अधिकतम 18 महीनों में प्रत्येक EIR को 3.6 लाख रुपए के अधिकतम समर्थन के साथ प्रति माह 30,000 रुपए तक दिया जाता है।

संबंधित जानकारी

नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हारनेसिंग इनोवेशन (NIDHI) कार्यक्रम के बारे में,

- राष्ट्रीय नवाचार विकास और दोहन (निधि) पहल कार्यक्रम, (NIDHI) एक अंब्रेला कार्यक्रम के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है जिसका लक्ष्य सफल स्टार्टअप में विचारों और नवाचारों (ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी आधारित) का पोषण करना।

उद्देश्य

- छात्र नवाचारों को नवाचार और उद्यमिता विकास केन्द्र (IEDC) / नई पीढ़ी IEDC कार्यक्रम में व्यावसायीकरण मंच पर आगे लाना।
- छात्र स्टार्टअप को बढ़ावा देना।
- प्रारंभिक निधि सहायता प्रदान करके प्रोटोटाइप के विचार की यात्रा में तेजी लाना।

NIDHI के घटक

- NIDHI के 8 घटक हैं जो उभरते स्टार्टअप को विचार से बाजार तक पहुँचाने में सहायता करते हैं।

वे इस प्रकार हैं:

- a) NIDHI GCC - स्काउटिंग नवाचारों के लिए बड़ी चुनौतियां और प्रतियोगिताएं
- b) NIDHI - युवा और आकांक्षी नवाचारों एंड स्टार्टअप्स (NIDHI-PRAYAS) को प्रोत्साहन देना और उसमें तेजी लाना - विचार से प्रोटोटाइप में सहयोग प्रदान करना।
- c) NIDHI-रिहायशी में उद्यमी (NIDHI-EIR)- जोखिम कम करने के लिए सहायता प्रणाली
- d) स्टार्टअप-NIDHI
- e) NIDHI-टेक्नोलॉजी बिज़नेस इनक्यूबेटर (TBI) - स्टार्ट-अप के लिए नवाचारों को परिवर्तित करना
- f) NIDHI-एक्सीलेटर- केंद्रित हस्तक्षेप के माध्यम से एक स्टार्ट-अप को ट्रैक करना
- g) NIDHI- सीड सपोर्ट सिस्टम (NIDHI-SSS) -प्रारंभिक चरण में निवेश
- h) NIDHI सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (NIDHI-CoE) - स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर पर जाने में मदद करने के लिए एक विश्व स्तरीय सुविधा प्रदान करना।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- PIB

NCRB की आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या की रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2017, 2018 और 2019 के लिए "एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया (ADSI)" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।



रिपोर्ट से प्रकाश डाला गया

फार्म सेक्टर

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कृषि क्षेत्र में आत्महत्याओं में चार वर्षों में तेजी से गिरावट आई है।
- कृषि क्षेत्र में आत्महत्याएं 2016 में 11,379 से - 2019 में 10,281 तक 10% की गिरावट आई है।

राज्यवार विवरण

- 2019 में सबसे ज्यादा आत्महत्याओं के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे हैं जिसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिसके बाद तेलंगाना और पंजाब का स्थान है।

आत्महत्याओं के बारे में अन्य विवरण

- जन/परिवार आत्महत्याओं की ज्यादातर मामलों तमिलनाडु (16) से आए हैं जिसके बाद आंध्र प्रदेश (14) केरल (11) और पंजाब (9) और राजस्थान (7) हैं।
- देश में आत्महत्याओं की संख्या 1,34,516 से थोड़ा बढ़कर 1,39,123 तक पहुँच गयी है।
- इसमें से 97,613 पुरुष आत्महत्या हुई हैं, जिसमें सबसे अधिक दैनिक वेतन अर्जक (29,092), स्वनियोजित व्यक्तियों (14,319) और बेरोजगार (11,599) थे। 41,493 महिलाओं में से आधे से अधिक गृहिणी थीं।
- बेरोजगारों द्वारा सबसे ज्यादा आत्महत्याएं केरल में 14% (1,963) हुईं, इसके बाद महाराष्ट्र में 10.8%, तमिलनाडु में 9.8%, कर्नाटक में 9.2% और ओडिशा में 6.1% लोग मारे गए।
- व्यावसायिक गतिविधियों में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र (14.2%), तमिलनाडु (11.7%), कर्नाटक (9.7%), पश्चिम बंगाल (8.2%) और मध्य प्रदेश (7.8%) में हुईं।
- शहरों में आत्महत्या की दर (13.9%) सभी भारतीय औसत की तुलना में अधिक थी।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में कुल 36 कर्मियों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई और 38.9% "पारिवारिक समस्याओं के कारण" थे।

आक्समिक मौतों का पता लगाना

- देश में आक्समिक मौतों में 2.3% की वृद्धि हुई। 2018 में 4,11,824 की तुलना में, यह आंकड़ा पिछले साल 4,21,104 था। इसकी दर (प्रति लाख जनसंख्या) 31.1 से बढ़कर 31.5 हो गई।
- सबसे अधिक घटनाओं की संख्या 30-45 आयु वर्ग में 30.9% दर्ज की गयी है जिसके बाद 18-30 आयु वर्ग में 26% है।

- कुल आंकड़ों के लगभग छठे हिस्से के हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मौतें (70,329) हुईं। उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, 9.6% मामलों के लिए जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश (10.1%) का इसके बाद स्थान है।
- 8,145 में होने वाली मौतों प्राकृतिक शक्तियों के कारण हुई हैं, जिसमें 35.3% बिजली की वजह से, गर्मी / लू से 15.6% और बाढ़ में 11.6% लोगों की मृत्यु हुई।
- बिजली की वजह से सबसे अधिक मृत्यु (400) बिहार और मध्य प्रदेश में दर्ज की गयी जिसके बाद, झारखंड (334) और उत्तर प्रदेश (321) में दर्ज हुई हैं।
- प्रमुख कारणों में यातायात दुर्घटनाएं से '(43.9%),' अचानक होने वाली मौतों से '(11.5%),' डूबकर हुई मौतों से '(7.9%),' जहर से हुई मौतों से '(5.1%),' गिरने से हुई मौतों से '(5.1%) और 'अचानक आग लगने से '(2.6%) मौतें हुई हैं।
- अधिकांश मौतें (57.2%) 18-45 आयु वर्ग के लोगों में हुई हैं।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में,

- यह गृह मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है ।
- यह एजेंसी भारतीय दंड संहिता (IPC) और विशेष और स्थानीय कानूनों (SLC) द्वारा परिभाषित अपराध आंकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है ।
- इसकी स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977-1981) और गृह मंत्रालय कार्य बल (1985) की सिफारिशों के आधार पर की गई है।

रिपोर्ट

- 'क्राइम इन इंडिया' राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए देश भर में अपराध के एक वार्षिक व्यापक आंकड़े की रिपोर्ट करता है ।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत- द हिंदू

मिशन कर्मयोगी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "मिशन कर्मयोगी" - राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (NPCSCB) को शुरू करने की मंजूरी दी है।

मुख्य विशेषताएं

- NPCSCB को सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण की नींव रखने हेतु सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है जिससे वे भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं से बंधे रहें और अपनी जड़ों से जुड़े रहें, जब वे दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों और विधियों से सीखते हैं।
- यह कार्यक्रम एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण-iGOTKarmayogiPlatform स्थापित करके चलाया जाएगा।

लक्ष्य

- मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, कल्पनाशील, अभिनवी, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, दक्ष, निष्पक्ष और तकनीकी-दक्ष बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है।
- विशिष्ट भूमिका-दक्षताओं से युक्त, सिविल सेवकों उच्चतम गुणवत्ता मानकों की कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।

उद्देश्य

- सहयोग और सह-साझाकरण के आधार पर क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और नियमन में एकसमान दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना का भी एक प्रस्ताव है।

आयोग की भूमिका निम्नानुसार होगी-

- वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं के अनुमोदन में प्रधानमंत्री सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद की सहायता करना।
- सिविल सेवा क्षमता निर्माण से संलग्न सभी केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों पर कार्यात्मक पर्यवेक्षण करना।
- आंतरिक और बाहरी संकाय और संसाधन केंद्रों सहित साझा शिक्षण संसाधन बनाना।
- हितधारक विभागों के साथ क्षमता निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, शिक्षाशास्त्र और पद्धति के मानकीकरण पर सिफारिशें प्रस्तुत करना।
- सभी सिविल सेवाओं में सामान्य मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मानदंड निर्धारित करना।
- सरकार को मानव संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव देना।

वित्तीय भार

- 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में 86 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।
- यह खर्च आंशिक रूप से 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता के लिए बहुपक्षीय सहायता द्वारा वित्त पोषित है।
- NPCSCB के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत पूर्ण स्वामित्व वाली विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) स्थापित की जाएगी।
- SPV एक "गैर-लाभकारी" कंपनी होगी और iGOT-Karmayogi प्लेटफॉर्म का स्वामित्व और प्रबंधन करेगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत- द हिंदू

मंत्रिमंडल ने संसद में जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर के आधिकारिक भाषा विधेयक, 2020 को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है जिसमें पाँच भाषाएँ आधिकारिक भाषाएँ होंगी।

ये पाँच भाषाएँ हैं:

- ये उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी हैं।
- जम्मू-कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं के रूप डोगरी, हिंदी और कश्मीरी को शामिल करने की माँग न केवल लंबे समय से लंबित जन माँग की पूर्ति है, लेकिन समानता की भावना को ध्यान में रखती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- AIR

पेंगोंग सो झील

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग सो झील के दक्षिणी तट पर गैर-सैनिक क्षेत्र में अपने सैनिकों को तैनात करके वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की यथास्थिति बदलने के चीन के प्रयासों को नाकाम किया है।

पेंगोंग झील क्या है?

- यह एक **एंडोहिंक झील (लैंडलॉक)** है जो आंशिक रूप से भारत के लद्दाख क्षेत्र और आंशिक रूप से तिब्बत में है।
- यह एक खारे पानी की झील है।
- काराकोरम पर्वत श्रृंखला, जो कि तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत से होकर गुजरती है, पेंगोंग के उत्तरी तट पर समाप्त होती है।
- इसका दक्षिणी तट भी ऊंचे टूटे हुए पहाड़ हैं जिनका ढलान दक्षिण में स्पांगुर झील की ओर है।

झील का सामरिक महत्व:

- यह चुशूल दृष्टिकोण के मार्ग में आती है, जो कि चीन द्वारा भारतीय-अधिकृत क्षेत्र में हमले के लिए उपयोग किए जा सकने वाले मार्गों में से एक है।

झील में फिंगर:

- चांग चैनमो नामक बंजर पर्वत में हथेली जैसे संरचनाएं हैं जिन्हें 'फिंगर' कहा जाता है।
- भारत का दावा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) फिंगर 8 पर है, लेकिन चीन का दावा है कि यह रेखा 2 से शुरू होती है।
- भारत व्यक्तिगत रूप से केवल फिंगर 4 तक के क्षेत्र को नियंत्रित करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - भूगोल

स्रोत- द हिंदू

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में सरकार ने देश में एकीकृत शीतगृह श्रृंखला और मूल्यवर्धित बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं को आज मंजूरी दी है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बारे में

- यह एक **केंद्रीय क्षेत्र की योजना** है जिसका उद्देश्य खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है।

उद्देश्य

- खाद्य प्रसंस्करण मेगा फूड पार्क/क्लस्टर और अलग-अलग इकाईयों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण।

- पिछड़े और आगे बढ़े हुए के बीच प्रभावी संबंध बनाने के लिए - किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों को जोड़ना।
- खराब होने वाली वस्तुओं के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।

कार्यान्वयन

- यह योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा लागू की जाएगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सात घटक योजनाएँ शामिल हैं, जोकि इस प्रकार हैं:

1. मेगा फूड पार्क
2. एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य परिवर्धन अवसंरचना
3. कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा
4. मानव संसाधन और संस्थान
5. बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण
6. खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण / विस्तार
7. खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत- PIB

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उप-वर्गीकरण

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप-वर्गीकरण पर कानूनी बहस को फिर से खोल दिया है, इस मुद्दे को निर्णय लेने के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया है।

All For 27%
Commission to be appointed under Article 340

 **Commission has to submit** report within 12 weeks of its formation

 **Sub-categorisation** recommended by now-defunct NCBC in 2011; parliamentary panels recommended it in 2012 and 2013

11 states introducing sub-categorisation in state services:
Andhra, Telangana, Puducherry, Karnataka, Haryana, Jharkhand, Bengal, Bihar, Maharashtra, J&K and Tamil Nadu

OBC का उप-वर्गीकरण क्या है?

- OBC को केंद्र सरकार के तहत नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया गया है।
- उप-वर्गीकरण का प्रश्न का आधार यह है कि OBC की केंद्रीय सूची में शामिल 2,600 से अधिक समुदायों में से कुछ ही संपन्न समुदायों ने इस 27% आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया है।

- ओबीसी का उप-वर्गीकरण अथवा श्रेणियाँ बनाने के पीछे तर्क यह है कि यह सभी OBC समुदायों के बीच प्रतिनिधित्व का "समान वितरण" सुनिश्चित करेगा।

किसके द्वारा उप-वर्गीकरण का परीक्षण किया जा रहा है?

- अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण की जांच करने हेतु आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 से प्रभार ग्रहण किया था।
- इसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी द्वारा की जा रही है, जिसमें सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के निदेशक डॉ. जे. के. बजाज और दो अन्य पदेन सदस्य शामिल हैं।

इसके संदर्भ की शर्तें क्या हैं?

यह मूल रूप से संदर्भ की तीन शर्तों के साथ स्थापित किया गया था:

- d) केंद्रीय सूची में शामिल ऐसे वर्गों के संदर्भ में OBC की व्यापक श्रेणी में शामिल जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा की जांच करना।
- e) ऐसे OBC वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण में प्रणाली, मानदंडों नियमों और मापदंडों पर काम करना।
- f) OBC की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप-जातियों या समानार्थी लोगों की पहचान करने और उन्हें अपने संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करने का कार्य हाथ में लेना।

22 जनवरी, 2020 को मंत्रिमंडल द्वारा इसे विस्तार दिए जाने पर, इसमें चौथा तत्व भी जोड़ा गया है:

- केंद्रीय OBC सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करना और वर्तनी या प्रतिलेखन की किसी भी पुनरावृत्ति, अस्पष्टता, विसंगतियों और त्रुटियों के सुधार की सलाह देना।
- आयोग का वर्तमान कार्यकाल 31 जनवरी, 2021 को समाप्त हो रहा है।

समिति का बजट

- इसका बजट राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (NCBC) आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है जिसे 2018 में सरकार द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था।

अभी तक इसके निष्कर्ष क्या रहे हैं?

- 2018 में, आयोग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान OBC वर्ग के तहत दी गई 1.3 लाख केंद्रीय नौकरियों और पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालयों सहित उच्च शैक्षिक संस्थानों, IIT, NIT, IIM और AIIMS आदि में दिए गए प्रवेश के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

निष्कर्ष इस प्रकार रहे:

- सभी नौकरियों और शैक्षिक सीटों का 97% ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के खाते में केवल 25% ही आया।
- इन नौकरियों और सीटों का 24.95% सिर्फ 10 ओबीसी समुदायों के पास चला गया है।
- 983 ओबीसी समुदाय - कुल का 37% - नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में शून्य अभ्यावेदन है।
- 994 ओबीसी उप-जातियों की भर्ती और प्रवेश में कुल 2.68% का प्रतिनिधित्व है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

[केशवानंद भारती, संविधान के रक्षक](#)

खबरों में क्यों हैं?

- हाल ही में **केशवानंद भारती**, जिनकी याचिका से संविधान पर ऐतिहासिक फैसला आया था, का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
- वह ऐतिहासिक फैसला जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में **बुनियादी संरचना का सिद्धांत** दिया था वह संत **केशवानंद भारती श्रीपदगलवरू और अन्य बनाम केरल राज्य** के बीच मुकदमा था।
- प्रधानमंत्री ने केशवानंद भारती के निधन पर दुख व्यक्त किया है।



केशवानंद भारती कौन थे?

- केशवानंद भारती 1961 से केरल के कासरगोड जिले में एडनीर मठ के प्रमुख महंत थे।
- उन्होंने उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी छाप छोड़ी जब उन्होंने 1970 में केरल राज्य के भूमि सुधार कानून को चुनौती दी।
- यह फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित 13 न्यायधीशों की एक पीठ ने दिया था, जो आज तक स्थापित पीठों में सबसे बड़ी पीठ थी।

मामला क्या था?

- यह मामला मुख्य रूप से संविधान के संशोधन में संसदीय शक्ति के विस्तार से जुड़ा था।
- पहले, न्यायालय 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में फैसले की समीक्षा कर रही थी, जिसमें पहले के फैसले को पलटते हुए यह फैसला सुनाया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।
- दूसरा, न्यायालय कई अन्य संशोधनों की संवैधानिक रूप से वैधता निर्धारित कर रही थी।
- उल्लेखनीय रूप से, संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, और संसद ने स्वयं को संशोधन के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति दी और एक कानून पारित किया कि इसकी न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जा सकती है।
- केशवानंद भारती वाद --- गोलक नाथ वाद (1967) में अदालत के फैसले पर सरकार की प्रतिक्रिया को देखते हुए अपरिहार्य था।
- गोलक नाथ वाद में, एक 11 न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, जिसमें संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार भी शामिल है।
- इंदिरा गांधी की सरकार के साथ यह पसंद नहीं आया, जिसके बाद संसद ने प्रमुख संशोधन पारित किए, मौलिक अधिकारों के संशोधन को अनुमति दी और कुछ संपत्ति मामलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा।

- 1970 के दशक की शुरुआत में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आर. सी. कूपर (1970), माधवराव सिंधिया (1970) और उपरोक्त उल्लिखित गोलक नाथ वाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले की काट निकालने के लिए संविधान में (24, 25, 26 और 29 वें) बड़े संशोधन किए।
- आर. सी. कूपर वाद में, अदालत ने इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नीति को रद्द किया था और माधवराव सिंधिया वाद में इसने पूर्व शासकों की शाही भत्तों के उन्मूलन को रद्द कर दिया।
- सभी 4 संशोधनों - 24 वां (मौलिक अधिकार, 1971), 25 वां (संपत्ति अधिकार, 1972), 26 वां (शाही भत्ता, 1971), 29 वां (भूमि सुधार अधिनियम, 1972), के साथ ही गोलक नाथ निर्णय केशवानंद भारती वाद में चुनौती के अंतर्गत आ गए।

निर्णय: 'संविधान का मूल ढांचा':

- मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने 7-6 के मतानुपात में अपने फैसले में कहा कि संसद संविधान के हर अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है लेकिन इस संशोधन को संविधान के 'बुनियादी ढांचे' में बदलाव नहीं होना चाहिए।
- अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत, जो संसद को संशोधित शक्तियां प्रदान करता है, नए संशोधन में आने वाले परिवर्तन में ऐसा कुछ होना चाहिए जो मूल संविधान में था।

मूल ढांचा सिद्धांत क्या है?

- मूल संरचना ढांचे की उत्पत्ति जर्मन संविधान में पाई गई है, जो नाजी शासन के बाद, इन बुनियादी कानूनों की रक्षा के लिए संशोधित किया गया था।
- मूल वीमर संविधान, जो संसद को दो तिहाई बहुमत से संविधान में संशोधन करने की शक्ति देती है, वास्तव में हिटलर द्वारा अपने लाभ के लिए कुछ बड़े बदलाव लाने के लिए उपयोग किया गया था।
- उस अनुभव से सीखते हुए, नए जर्मन संविधान ने संविधान के कुछ हिस्सों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्तियों पर पर्याप्त प्रतिबंध लागू की, जिन्हें 'मूलभूत कानून' माना गया।
- भारत में, मूल ढांचा सिद्धांत ने संसद द्वारा पारित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा को आधार बनाया गया है।
- कोई भी कानून बुनियादी ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकता है।

नोट:

- अदालत ने 'मूल ढांचे' को परिभाषित नहीं किया, और केवल कुछ सिद्धांतों - संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र को इसके हिस्सा के रूप में शामिल किया।
- तब से, अदालत इस अवधारणा में नई विशेषताएं जोड़ रही है।

केशवानंद भारती मामले के बाद से "मूल ढांचा":

- इस समय से 'बुनियादी ढांचा' सिद्धांत की व्याख्या की जा रही है और इसमें संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, सरकार की संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सिद्धांत, कल्याणकारी राज्य आदि सिद्धांत शामिल किया गया है।

निर्णय के परिणाम और निहितार्थ:

- 39 वें संशोधन विधेयक ने किसी भी निर्वाचन गड़बड़ी के बावजूद भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को चुनौती देने पर रोक लगायी।
- यह इंदिरा गांधी के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने का एक स्पष्ट प्रयास था।

- 41 वें संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा राज्यपालों के खिलाफ न सिर्फ कार्यकाल के दौरान बल्कि संपूर्ण जीवनकाल में दर्ज कोई दीवानी अथवा आपराधिक मुकदमा चलाने से रोक लगाता है।
- अतः यदि एक व्यक्ति सिर्फ एक दिन के लिए अगर राज्यपाल रहा हो, तो उसे आजीवन भर के लिए कानूनी कार्यवाही से छूट मिली होती है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

गाँव की ओर वापसी कार्यक्रम

खबरों में क्यों है?

- संघशासित जम्मू और कश्मीर प्रदेश और सरकार ने हाल में इस वर्ष 2 से 12 अक्टूबर तक गाँव की ओर वापसी (B2V) महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तीसरे चरण को शुरू करने की घोषणा की है।
- B2V का पहला चरण लोगों की शिकायतों और मांगों को समझने के लिए एक परिचयात्मक और संवादात्मक कार्यक्रम था।
- जबकि दूसरे चरण में पंचायतों को शक्तियों के विचलन पर ध्यान केंद्रित किया गया और यह समझने की कोशिश की गयी कि ये पंचायतें कैसे कार्य कर रही हैं और इनकी शिकायतें और मांगें क्या हैं।
- चरण- III को शिकायत समाधान के प्रारूप पर तैयार किया गया है।



'गाँव की ओर वापसी' कार्यक्रम के बारे में,

- यह कार्यक्रम मुख्य रूप से पंचायतों में ऊर्जा भरने और समुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रयासों को दिशा देने और ग्रामीण जनता में एक सभ्य जीवनयापन की तीव्र इच्छा जगाने पर केंद्रित है।

कार्यक्रम का उद्देश्य -

गाँव की ओर वापसी कार्यक्रम चार मुख्य लक्ष्यों पर केंद्रित होगा -

- a. पंचायतों को ऊर्जावान बनाना
- b. सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के वितरण पर प्रतिक्रिया एकत्र करना
- c. विशिष्ट आर्थिक क्षमता पर कब्जा
- d. गांवों का दौरा करने के लिए राजपत्रित अधिकारियों को एक अवसर की रिकॉर्डिंग के

अलावा गांवों की जरूरतों का आकलन करना

गांव की ओर वापसी का महत्व

- गांव की ओर वापसी कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों को ग्रामीणों के साथ सीधे जोड़ता है और यह गांव के लोगों के लिए एक अपनेपन और महत्व की भावना जगाता है, इसके अतिरिक्त गांवों के कायाकल्प एवं विकास के लिए योजनाएं बनाने में मदद करता है।
- यह भारत सरकार के अधिकारियों को गांवों की समस्याओं को समझने का अवसर देता है क्योंकि वे ग्रामीण जीवन एवं उसकी समस्या के साथ सबसे पहले परिचित होते हैं।
- फिर वे उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं और ग्रामीणों से इसकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं, जो बाद में गांवों के लिए योजनाओं और स्कीम बनाने में प्रशासन की मदद करता है।

भारत सरकार द्वारा की गई ऐसी ही कुछ पहलें

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

- हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) की केंद्र प्रायोजित योजना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
- यह योजना 01.04.2018 से 31.03.2022 की अवधि के दौरान लागू की जाएगी।
- यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों तक फैलेगी और इसमें भाग IX क्षेत्रों में शामिल न होने वाले क्षेत्रों जहाँ पंचायतें मौजूद नहीं हैं, में ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं शामिल होंगी।
- इस योजना में दोनों घटक केंद्रीय - राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियाँ जिनमें "राष्ट्रीय तकनीकी सहायता योजना", "ई- पंचायत पर मिशन मोड परियोजना", "पंचायतों का प्रोत्साहन" और राज्य घटक - पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) का क्षमता निर्माण शामिल होंगे।
- इस योजना को मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों और नीति आयोग द्वारा पहचाने गए 115 आकांक्षी जिलों के साथ कार्यक्रमगत अभिसरण को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

राज्यों की व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP) रैंकिंग

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यवसाय में सरलता को प्रदर्शित करने वाली व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP) के चौथे संस्करण की घोषणा की।



रैंकिंग की मुख्य विशेषताएं

- ईज ऑफ़ डुईंग बिज़नेस रैंकिंग, 2019 में आंध्र प्रदेश ने अपने सर्वोच्च स्थान को बनाए रखा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना का स्थान आता है।

- उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत से आंध्र प्रदेश, पूर्वी भारत से पश्चिम बंगाल, पश्चिमी भारत से मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत से असम रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है।
- केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया।

BUSINESS REFORM ACTION PLAN-2019			
RANKING	STATE/ UT	RANKING	STATE/ UT
1st	Andhra	8th	R'sthan
2nd	UP	9th	Bengal
3rd	T'gana	10th	Gujarat
4th	MP	12th	Delhi
5th	Jharkhand	16th	Haryana
6th	C'garh	19th	Punjab
7th	Himachal	21th	J&K
			CHD 29th

In World Bank's latest 'Doing Business' report, India is on 63rd spot

व्यवसाय सुधार कार्य योजना (BRAP) रैंकिंग के बारे में,

- व्यवसाय सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर वर्ष 2015 में राज्यों की रैंकिंग शुरू हुई थी।
- अब तक, वर्ष 2015, 2016 और 2017-18 के लिए राज्य रैंकिंग जारी की गई हैं।
- व्यवसाय सुधार कार्य योजना 2018-19 में 12 व्यवसाय नियामक क्षेत्रों जैसे सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम, पर्यावरण आदि को सम्मिलित करते हुए 180 सुधार बिंदुओं को शामिल किया गया है।
- इस बार रैंकिंग में जमीनी स्तर के 30 हजार से अधिक प्रतिक्रियादाताओं, जिन्होंने सुधारों की प्रभाविकता के बारे में अपनी राय दी थी, की प्रतिक्रियाओं को पूरा महत्व दिया गया है।

रैंकिंग का महत्व

- यह रैंकिंग राज्य में कारोबार में आसानी के साथ अधिक पारदर्शिता, दक्षता, और प्रभावशीलता के व्यावसायिक उद्यमों के साथ-साथ सरकारी नियामकों के कार्यों की प्रभाविकता को प्रदर्शित करती है।

नोट:

- विश्व बैंक की नवीनतम 'ईज़ ऑफ़ डुईंग बिज़नेस' रिपोर्ट में भारत को 63वें स्थान पर रखा गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

तृतीय राष्ट्रीय पोषण माह

खबरों में क्यों है?

- सितम्बर 2020 के महीने में तीसरा राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय पोषण माह के बारे में,

- इसे पोषण अभियान (समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की पहुँच योजना) के तहत मनाया जा रहा है जिसे 2018 में शुरू किया गया था।



उद्देश्य

- युवा बच्चों और महिलाओं के बीच कुपोषण को दूर करने के लिए जन आन्दोलन खड़ा करने हेतु जन भागिदारी को प्रोत्साहित करना और सभी के लिए स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करना।

नोडल मंत्रालय

- पोषण अभियान के लिए नोडल मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है जो राष्ट्र, राज्य/संघ शासित प्रदेश और जमीनी स्तर पर सहभागी मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर इसका आयोजन कर रहा है।

विशेषताएं

- इस महीने के दौरान सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर पर पोषण जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

संबंधित जानकारी

पोषण अभियान के बारे में

- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किया गया था।

उद्देश्य

- (0-6 वर्ष) आयुवर्ग के बच्चों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार को एक समय-बद्ध ढंग से हासिल करना और वर्ष 2022 तक भारत को कुपोषणमुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य

- (युवा बच्चों, महिलाओं और किशोर लड़कियों के बीच) बौनापन, कुपोषण और एनमिया को कम करना और 2%, 2%, 3% और 2% क्रमशः वार्षिक रूप से जन्म के समय कम भार को घटाना है।
- मिशन का लक्ष्य 0-6 आयुवर्ग के बच्चों के बीच बौनेपन को 38.4% (NFHS-4) से वर्ष 2022 तक 25% तक लाना है।

भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद के बारे में

- इसे पोषण अभियान के तहत स्थापित किया गया है, परिषद को राष्ट्रीय पोषण परिषद (NCN) के रूप में भी जाना जाता है।
- इसकी अध्यक्षता NITI Aayog के उपाध्यक्ष करते हैं।
- यह देश में पोषण संबंधी चुनौतियों को संबोधित करने हेतु नीति संबंधी निर्देश प्रदान करने के साथ कार्यक्रमों की समीक्षा करती है।
- यह पोषण पर एक राष्ट्रीय स्तर का समन्वय और अभिसरण निकाय है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

NSO रिपोर्ट: शिक्षा को प्रभावित करने वाली एक गहरी डिजिटल खाई

- राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (NSO) के नवीनतम सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि राज्यों, शहरों और गांवों और आय समूहों में डिजिटल विभाजन कितना गहरा है।
- घर के शिक्षा से संबंधित सामाजिक खर्च पर यह सर्वेक्षण NSO के 75 वें दौर के सर्वेक्षण का भाग था जो जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच आयोजित किया गया था।



रिपोर्ट की मुख्य बातें

- भारत में, दस में से केवल एक घर में ही कंप्यूटर होता है - चाहे वह डेस्कटॉप, लैपटॉप, या टैबलेट हो। हालांकि, लगभग एक चौथाई घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, जो स्मार्टफोन सहित किसी डिवाइस का इस्तेमाल करके मोबाइल नेटवर्क अथवा फिक्सड लाइन के माध्यम से पहुँचता है।
- इनमें से अधिकांश इंटरनेट युक्त घर शहरों में हैं, जहां 42% घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है।
- हालांकि, ग्रामीण भारत में केवल 15% घर ही इंटरनेट से जुड़े हैं।
- सबसे ज्यादा इंटरनेट सुविधा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में है, जहाँ 55% घरों के पास इंटरनेट तक पहुँच है।
- हिमाचल प्रदेश और केरल एकमात्र अन्य राज्य हैं जहाँ आधे से अधिक घरों में इंटरनेट है।
- दस अन्य राज्य ऐसे जहाँ इंटरनेट पहुँच 20% से भी कम है और इनमें कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे सॉफ्टवेयर हब राज्य शामिल हैं।
- केरल में सबसे कम असमानता दिखाई देती है, जहाँ सबसे अमीर शहरी घरों में 67% इंटरनेट पहुँच की तुलना में बहुत गरीब ग्रामीण घरों में 39% से अधिक इंटरनेट पहुँच है।
- हिमाचल प्रदेश की स्थिति भी अच्छी है जहाँ 40% सबसे निचले तबके की ग्रामीण परिवारों में इंटरनेट तक पहुँच है।
- असम में यह खाई सबसे अधिक गहरी है, जहाँ बहुत अमीर शहरी घरों में लगभग 80% के पास इंटरनेट की सुविधा है जबकि राज्य में बहुत गरीब ग्रामीण घरों में 94% के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है।
- NSO रिपोर्ट से पता चलता है कि 5 वर्ष से बड़े 20% भारतीयों के पास बुनियादी डिजिटल साक्षरता थी, और 15 से 29 साल के महत्वपूर्ण आयु वर्ग में यही साक्षरता 40% है, जिसमें विद्यालयों और कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं के साथ-साथ उन्हें शिक्षा देने वाले शिक्षक भी शामिल हैं।

साक्षरता दर का राज्य-वार विभाजन

- देश में आंध्र प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम मात्र 66.4% है, जो दूसरे कम विकसित राज्यों जैसे छत्तीसगढ़ (77.3%), झारखण्ड (74.3%), उत्तर प्रदेश (73%) और बिहार (70.9%) का स्थान आता है।

- भारत में कुल साक्षरता दर लगभग 77.7% है।
- केरल 96.2% साक्षरता दर के साथ इस सूची में सर्वोच्च स्थान पर है, जिसके बाद क्रमशः राज्य हैं:
 - दिल्ली (88.7%)
 - उत्तराखंड (87.6%)
 - हिमाचल प्रदेश (86.6%)।
- अखिल भारतीय स्तर पर, महिला साक्षरता दर (70.3%) के मुकाबले पुरुष साक्षरता दर (84.7%) अधिक है।
- नोट: पुरुष साक्षरता दर सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक है।

संबंधित जानकारी

- 2019 में, केरल उच्च न्यायालय ने, वी. फहीमा शिरीन बनाम केरल राज्य मामले में इंटरनेट पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इसे शिक्षा का अधिकार और निजीता के अधिकार का अंग बनाता है।
- न्यायालय ने कहा कि, किसी सूचनाप्रद समाज में, इंटरनेट की असमान पहुँच सामाजिक-आर्थिक अलगाव को पैदा एवं पुनः सृजित करती है।

इंटरनेट पहुँच के क्षेत्र में सरकारी पहल

भारत नेट कार्यक्रम

- BharatNet एक प्रमुख मिशन है जिसे भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (BBNL) द्वारा क्रियान्वित किया गया है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुँचाना है।
- राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन
- इस मिशन को वर्ष 2020 तक प्रत्येक घर में कम से कम एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण डिजिटल साक्षरता कौशल के साथ सशक्त बनाने की सोच से शुरू किया गया है।
- यह सरकार का प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने की अपनी सोच को पूरा करने का एक प्रयास है।
- इस परियोजना का उद्देश्य कम तकनीकी साक्षरता वाले व्यक्तियों में ऐसे कौशल विकसित करने में सहायता करना है जिनकी तेजी से बढ़ती डिजिटल दुनिया के साथ संवाद करने में उन्हें जरूरत होती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत- द हिंदू

निवेश मित्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश राज्य अवसंरचना और औद्योगिक विकास विभाग ने कहा है कि उद्यमियों के लिए इसके "निवेश मित्र" ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।



निवेश मित्र ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में

- यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक समर्पित एकल खिड़की प्रणाली है जो प्रगतिशील नियामक प्रक्रियाओं, कुशल प्रणाली और प्रभावी औसत समयसीमा के माध्यम से उद्योग के अनुकूल वातावरण के समग्र विकास में सहयोग करती है।

उद्देश्य

- इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य आवेदनों के ऑनलाइन जमा एवं निगरानी हेतु इलेक्ट्रॉनिक आधारित पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से 'उत्तर प्रदेश में कारोबार में सुगमता' को सक्षम बनाना है।
- यह सूचना/ अनापत्ति/ प्रमाणपत्र/ लाइसेंस/ अनुमोदन के लिए एक स्थान समाधान के रूप में कार्य करते हुए एक एकल बिंदु (ऑनलाइन) इंटरफेस और समयबद्ध अनुमोदन प्रणाली प्रदान करता है।

क्रियान्वयन एजेंसी

- निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी एजेंसी उद्योग बंधु निवेश मित्र के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है।

नोट:

- हाल ही में उत्तर प्रदेश ने ईज़ ऑफ़ डुइंग बिज़नेस में 10 स्थान की छलांग लगाई है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत- लखनऊ इंडियन एक्सप्रेस

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम ने 23 राज्यों के 153 खंडों में व्यावसायिक सहायता सेवाओं और पूंजी निवेश में वृद्धि की है।
- अगस्त 2020 तक, लगभग 1 लाख उद्यमों का समर्थन किया जा रहा है जिसमें से 75% का स्वामित्व एवं प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के बारे में

- यह कार्यक्रम 2016 से दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक उप-योजना के रूप में चलाया जा रहा है।

DAY-NRLM Empowering Rural Women Start Up Village Entrepreneurship Programme (SVEP)

Launched in **2015-16** to promote rural start-ups in non farm sector

Aims to support about **2.00** lakh entrepreneurs in **140** blocks in **4** years

30,352 enterprises supported under SVEP thus far



उद्देश्य

- यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों को उन्हें सेटअप उद्यमों को स्थापित करने और उद्यमों के स्थिर हो जाने तक उन्हें समर्थन देकर गरीबी से बाहर आने में मदद करता है।
- यह कार्यक्रम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय सामुदायिक केंद्र बनाते समय व्यवसाय प्रबंधन और सॉफ्ट स्किल्स में वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण के साथ स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- SVEP ग्रामीण स्टार्टअप के तीन प्रमुख स्तंभ बनाने पर कार्य करता है:
 - a. वित्त
 - b. ऊष्मायन
 - c. कौशल वातावरण
- SVEP व्यक्तिगत और समूह दोनों उद्यमों को बढ़ावा देता है और प्रमुख रूप से विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमों को स्थापित करता है और बढ़ावा देता है।
- कार्यक्रम ने उद्यमियों के परिवेश और स्थानीय मांग के आधार पर व्यवसाय को लाभप्रद चलाने की क्षमता के निर्माण पर अधिक जोर दिया है।
- CRP-EP प्रमाणित व्यक्ति हैं और ये उद्यमियों को व्यवसायिक समर्थन सेवाएं प्रदान करते हैं।
- सामुदायिक संसाधन व्यक्ति - उद्यम संवर्धन (CRP-EP) स्थानीय होते हैं और उद्यमियों की ग्रामीण उद्यमों को स्थापित करने में सहायता करते हैं।
- SVEP के तहत व्यवसाय की योजना और लाभ एवं हानि खाता तैयार करने जैसे तकनीकी पहलुओं में ट्रांसमिशन हानि को कम करने के लिए मानक ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार करने हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए निवेश भी किया गया है।

तकनीकी सहायता

- भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (EDII), अहमदाबाद SVEP का तकनीकी सहयोगी साझेदार है।

संबंधित जानकारी

दीन दयाल अंत्योदय योजना के बारे में

- दीन दयाल अंत्योदय योजना - ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार द्वारा जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के पुनर्गठन संस्करण के रूप में शुरू किया गया राष्ट्रीय आजीविका मिशन (NRLM) कार्यक्रम था।
- इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच का निर्माण करना है जिससे वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच और धारणीय आजीविका संवर्धन के माध्यम से पारिवारिक आय को बढ़ाने में उन्हें सक्षम बनाना है।

- नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) कर दिया गया था।

DAY - NRLM मिशन

- गरीब परिवारों को लाभदायक स्व-रोजगार और कुशल पारिश्रमिक रोजगार अवसरों प्राप्त करने में समक्ष बनाकर गरीबी कम करना और परिणामस्वरूप गरीबों के जमीनीस्तर के मजबूत संस्थान बनाकर धारणीय आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार लाना है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत- PIB

मानद कौंसल

खबरों में क्यों है?

- नई दिल्ली में लक्जमबर्ग दूतावास ने सेतुरमन महालिंगम को चेन्नई में लक्जमबर्ग के थैंड डची के नए मानद कौंसल के रूप में नियुक्त किया है, जिनका कांसुलर अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु और केरल राज्यों पर होगा।
- महालिंगम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी रह चुके हैं।



मानद कौंसल के बारे में

- मानद कौंसल निजी व्यक्ति हैं जो अवैतनिक रूप से अपने कार्यों को बचे समय के आधार पर पूरा करते हैं।
- मानद कौंसल को वाणिज्यिक और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने और एक अतिरिक्त सामाजिक पहचान का आनंद उठाने का अवसर मिलता है।”
- उनके पास वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और वैश्विक राजनयिक समुदाय तक भी पहुंच होती है।
- कुछ प्रकार के नोटरीकृत प्रमाण पत्र मानद कौंसल के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं।
- मानद कौंसल पासपोर्ट के आवेदनों को स्वीकार नहीं करते हैं, और न वे वीजा या निवास अनुमति से संबंधित मामलों को संभालते हैं।
- मानद कौंसल न्यायिक कार्यवाही में वकील के रूप में या कानूनी सलाहकार के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं।
- राजनयिक मिशनों के साथ, एक मानद कौंसल आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।

नोट:

- मानद कौंसल को उस देश के मूल निवासी होने की आवश्यकता नहीं है जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनके पास उन्हें नियुक्त करने वाले देश की तरफ से व्यवहार करने के अधिकार सीमित होते हैं।
- आमतौर पर उनके पास राजनयिक पासपोर्ट नहीं होता है, न वे राजनयिक प्रतिरक्षा का लाभ लेते हैं, और न उन्हें तरजीही कर व्यवस्था का लाभ मिलता है।
- उनके पास "संबंधित देश की सेवा करने का सम्मान होता है" और उन्हें आमतौर पर उनकी योग्यता के आधार पर चुना/नियुक्त किया जाता है।
- दुनिया भर में 30, 000 मानद कौंसल हैं।
- इनके विशेषाधिकार 1963 के कांसुलर संबंध पर वियना सम्मेलन में दर्ज हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

बांस समूहों का शुभारंभ

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने लगभग 9 राज्यों में 22 बांस समूहों का उद्घाटन किया है। ये राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक हैं।
- राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) के लिए एक लोगो भी जारी किया गया है।



संबंधित जानकारी

बांस को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहल

- बांस के क्षेत्र में सरकार के लक्ष्य को बांस मिशन के सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों के साथ प्राप्त किया जा रहा है।
- वर्ष 2017 में भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन द्वारा बांस को पेड़ों की श्रेणी से बाहर करने का निर्णय लिया गया और अब कोई भी बांस की खेती और उसके उत्पादों का व्यापार शुरू कर सकता है।

नया लोगो

- हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) के लिए एक लोगो भी जारी किया गया है।
- यह वृत्त के केंद्र में बांस की कल्म को दर्शाता है जिसमें वृत्त का आधा भाग औद्योगिक पहिया और आधा भाग किसानों को दर्शाता है, जो उचित रूप से NBM के उद्देश्यों को चित्रित करता है।
- लोगो का हरा और पीला रंग बांस को अक्सर हरे सोने के रूप में व्यक्त करता है।



राष्ट्रीय बांस मिशन के बारे में

- बांस क्षेत्र के संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास हेतु 2018-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया गया था और इसे हब (उद्योग) और स्पोक मॉडल में क्रियान्वित किया जा रहा है।

उद्देश्य:

- किसानों को बाजार से जोड़ना है जिससे किसानों को विकसित बांस के लिए एक तैयार बाजार उपलब्ध हो और जिससे घरेलू बाजार में कच्चे माल की आपूर्ति को उचित रूप से बढ़ाया जा सके।
- यह उद्यमों और प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर समकालीन बाजार की आवश्यकता के अनुसार पारंपरिक बांस कारीगरों के कौशल को उन्नत करने का प्रयास भी करता है।
- राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के तहत स्थापित क्षेत्रीय कौशल परिषदें परंपरागत शिल्पकारों को बाहरी अधिगम के कौशल एवं पहचान प्रदान करेगी, जो युवाओं को अपनी पारिवारिक परंपरा को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के बारे में

- राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (NSDA), एक स्वायत्त निकाय (सोसायटी के पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत) है जिसे देश में कौशल विकास गतिविधियों के समन्वय और सामंजस्य बनाने के लिए उद्देश्य के साथ बनाया गया था।
- NSDA कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का एक भाग है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत-PIB

मराठा आरक्षण

खबरों में क्यों है?

- उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में महाराष्ट्र में शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है।
- न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता में तीन न्यायधीशों की एक पीठ ने महाराष्ट्र में मराठाओं को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार कानून 2018 की संवैधानिक वैधता पर विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा है।



पृष्ठभूमि

- सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए महाराष्ट्र राज्य आरक्षण अधिनियम ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए मूल रूप में 16 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।
- इस कानून को पहले बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी जिसने जून 2019 में इसकी वैधता को बरकरार रखा लेकिन शिक्षा संस्थानों में प्रतिशत घटकर 12 प्रतिशत और नौकरियों में 13 प्रतिशत सीमा तय कर दी।
- इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में यह तर्क देते हुए अपील की गयी कि यह उच्चतम न्यायालय के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के 1992 के निर्णय में निर्धारित अधिकतम आरक्षण सीमा 50% का उल्लंघन करेगा।
- महाराष्ट्र सरकार ने 26 अगस्त को उच्चतम न्यायालय से कहा कि इस मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों के निर्धारण होना शामिल है।

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ निर्णय क्या कहता है?

- प्रसिद्ध मंडल मामले (इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992) में, अनुच्छेद 16(4) जो पिछड़े वर्ग के पक्ष में नौकरियों में आरक्षण प्रदान करता है, के कार्यक्षेत्र और सीमा का उच्चतम न्यायालय द्वारा गहनता के साथ परीक्षण किया गया था।
- यद्यपि न्यायालय ने उच्च जाति के गरीब वर्गों के लिए 10% के अतिरिक्त आरक्षण को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन इसने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की कुछ निश्चित शर्तों के अधीन 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। ये शर्तें इस प्रकार हैं -
 - आरक्षण के लाभार्थियों की सूची से OBC की (क्रीमी लेयर) को बाहर रखा जाना चाहिए।
 - पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए; आरक्षण केवल प्रारंभिक नियुक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए।
 - पदोन्नति में कोई भी मौजूदा आरक्षण केवल पांच साल (यानी, 1997 तक) जारी रह सकता है।
 - कुछ असाधारण स्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम हर साल लागू होना चाहिए।
 - अपूर्ण (बैकलॉग) रिक्तियों के मामले में 'कैरी फॉरवर्ड नियम' वैध है। लेकिन इसे 50% नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
- OBC की सूची में अधिक-समावेशन और कम-समावेशन की शिकायतों की जांच करने के लिए एक स्थायी वैधानिक निकाय की स्थापना की जानी चाहिए।
- हालांकि, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि संसद ने वर्ष 2019 में उच्च शिक्षा और सरकारी रोजगार में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124 वें संविधान संशोधन विधेयक (10% कोटा विधेयक) पारित किया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत - आकाशवाणी

उपाध्यक्ष (Deputy Speaker)

खबरों में क्यों है?

- कांग्रेस ने लोकसभा में उपसभापति के पद की माँग करके अपने अभियान को एक नए से शुरू किया है।

- लोकसभा में पिछले 15 महीनों से कोई भी उपाध्यक्ष नहीं है।

लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में

- संवैधानिक जनादेश के अनुसार उपाध्यक्ष की सीट नई लोकसभा के गठन के बाद चुनाव अथवा आम सहमति से भरा जाना चाहिए।
- उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अपने सदस्यों में से ही करती है।
- 10 वीं लोकसभा तक, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों आमतौर पर सत्ताधारी पार्टी से होते थे।
- 11 वीं लोकसभा के बाद से, एक आम सहमति बनी कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल (या सत्तारूढ़ गठबंधन) से आएगा और उपाध्यक्ष का पद मुख्य विपक्षी दल के पास जाता है।
- उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है।

कार्यकाल और निष्कासन:

- वे लोकसभा के सदस्य बने रहने तक अथवा लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिए जाते तक अपने पद पर बने रह सकते हैं।
- उन्हें लोकसभा में अपने सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है।
- जब भी उपाध्यक्ष का पद खाली होता है, लोकसभा रिक्त स्थान को भरने के लिए किसी अन्य सदस्य का चुनाव करती है।
- अध्यक्ष की तरह ही, उपाध्यक्ष भी लोकसभा के कार्यकाल में रहने तक अपने पद पर रहता है।
- हालाँकि, निम्नलिखित तीन में से किसी भी स्थिति में अपने पद को पहले भी छोड़ सकता है:
 1. यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है;
 2. यदि वह अध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र देता है; और
 3. यदि वह लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है।
- इस तरह के प्रस्ताव को 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद ही आगे बढ़ाया जा सकता है।
- अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वाहन करता है।

शपथ

- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद को ग्रहण करते समय, कोई अलग से शपथ अथवा सदस्यता नहीं लेते हैं।

अध्यक्ष की स्वतंत्रता पूर्व स्थिति

- भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की संकल्पना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मांटैग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुई थी।
- उस समय, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट कहा जाता था और सन् 1947 तक यही नामकरण जारी रहा।
- सन् 1921 से पहले, भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता था।
- सन् 1921 में, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा फ्रेडरिक व्हाइट और सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
- सन् 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्रीय विधान परिषद सभा की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की नामावली को बदलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किया।
- हालाँकि, 1947 तक पुराना नामकरण जारी रहा क्योंकि 1935 अधिनियम के संघीय भाग को लागू नहीं किया गया था।

- जी. वी. मावलंकर और अनंतशयनम अय्यंगर को लोकसभा के (क्रमशः) पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-राजनीति

स्रोत - द हिंदू

प्रश्नकाल पर रोक लगी

खबरों में क्यों है?

- लोकसभा ने हाल ही में मौजूदा मानसून सत्र के दौरान विशेष परिस्थितियों और सदन के कम किए गए घंटों को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न काल और निजी सदस्यों का कार्य की परंपरा को खत्म करने का एक प्रस्ताव पारित किया है।



संबंधित जानकारी

प्रश्नकाल के बारे में

- हर संसदीय बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है।
- यह सदन की प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित है।
- इस दौरान आमतौर पर सदस्य सवाल पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं।

प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं,

a. तारांकित प्रश्न

- ये एक तारांकन द्वारा पहचान की जाती है।
- इसके लिए एक मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए पूरक प्रश्नों को पूछा जा सकता है।
- इन सवालों की सूची हरे रंग में छपी है।

b. गैर-तारांकित प्रश्न

- इसके लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए, पूरक प्रश्नों को पूछा नहीं जा सकता है।
- इन सवालों की सूची सफेद रंग में छपी है।

c. लघु सूचना प्रश्न

- लोक महत्व और तत्कालिक प्रकृति के मामलों को इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत शामिल किया जाता है।
- इसे दस दिनों की नोटिस अवधि देकर पूछा जाता है।
- इसका जवाब मौखिक रूप से दिया जाता है।
- इन सवालों की सूची हल्के गुलाबी रंग में छपी है।

मंत्रियों के अलावा, निजी सदस्यों से भी सवाल पूछे जा सकते हैं।

निजी सदस्यों को प्रश्न:

- इन सवालों का उल्लेख लोकसभा में व्यापार और आचरण की प्रक्रिया के नियम 40 के तहत किया गया है।
- इसमें किसी निजी सदस्य को संबोधित करके प्रश्न किया जा सकता है यदि प्रश्न का विषयगत विषय किसी विधेयक, संकल्प से संबंधित है जिसके लिए वह सदस्य लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है।
- इन सवालों की सूची पीले रंग में छपी होती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- राजनीति

स्रोत- द हिंदू

केंद्र ने समान लिंग विवाह को मान्यता देने से इंकार किया

खबरों में क्यों है?

- केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल समान विवाह को मंजूरी देने की याचिका का विरोध करते हुए कहा, "हमारी कानूनी व्यवस्था, समाज और मूल्य समान लिंग दंपति के बीच विवाह को मान्यता नहीं देते हैं"।
- महा अधिवक्ता ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की वर्ष 2018 की न्यायपीठ ने "केवल समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं"।



संबंधित जानकारी

धारा 377 का न्याय

- भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 377, ब्रिटिश भारत कानून के एक अवशेष में कहा गया है, "जिसने भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के विरुद्ध जाकर संभोग किया है, वह दंड का पात्र होगा।"
- इसमें समान लिंग के व्यस्कों के बीच निजी सहमति से बनाया गया यौन संबंध भी शामिल था।
- उच्चतम न्यायालय के फैसले (2018) के बाद, व्यस्कों के साथ गैर-सहमति के साथ बनाया गया यौन संबंध, नाबालिगों के साथ कामुक संभोग के सभी कार्य और पाशविकता के कार्य की स्थिति में धारा 377 के प्रावधान लागू होंगे।
- उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 'यौन उन्मुखता और लैंगिक पहचान के मुद्दों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्रियान्वयन पर योग्यकर्ता सिद्धांतों को भारतीय कानून के रूप में लागू किया जाएगा।"

योग्यकर्ता सिद्धांत के बारे में

- यह लैंगिक उन्मुखता और लिंग पहचान की स्वतंत्रता को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है।
- वर्ष 2006 में योग्यकर्ता, इंडोनेशिया में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विशेषज्ञों के एक प्रतिष्ठित समूह द्वारा रेखांकित किया गया था।

मुद्दे से जुड़े ऐतिहासिक निर्णय

नाज़ फाउंडेशन बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (2009)

- इस निर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 377 पर को खत्म किया, और व्यस्कों के बीच सहमति के साथ समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता प्रदान की।

सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज़ फाउंडेशन (2013)

- उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय (2009) के पिछले निर्णय को पलटते हुए समलैंगिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में डाल दिया।
- उच्चतम न्यायालय ने तर्क दिया कि 150 वर्षों में, धारा 377 के तहत 200 से कम व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है।
- इसलिए, कानून की संवैधानिकता तय करने के तर्क के रूप में " यौन अल्पसंख्यकों की दुर्दशा" को आधार नहीं बनाया जा सकता है।
- इसके अलावा, उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि IPC की धारा 377 को हटाने की वांछनीयता की जांच करने का निर्णय विधायिका तय कर सकती है।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018)

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 ने सुरेश कुमार कुशल मामले (2013) में उच्चतम न्यायालय द्वारा उठाए गए उस कदम को खारिज कर दिया जो LGBTQ समुदाय को एक अल्पसंख्यक समुदाय होने की मान्यता देता है और इसलिए समलैंगिक यौन संबंध को गैर-आपराधिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है।
- इसका मतलब है कि इसने समलैंगिक यौन सहित व्यस्कों के बीच सभी सहमति प्राप्त यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

के. एन. दीक्षित समिति

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने लोक सभा में एक विशेषज्ञ समिति के बारे में जवाब देते हुए बताया कि भारतीय संस्कृति के जन्म और विकास का समग्र अध्ययन करने के लिए इसे स्थापित किया गया है।



के. एन. दीक्षित समिति के बारे में

• यह एक 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति है जिसे आज से 12 हजार वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति के जन्म और विकास तथा विश्व की दूसरी संस्कृतियों के साथ इसके संबंध का समग्र अध्ययन करने के लिए गठित किया गया है।

• इस समिति की अध्यक्षता के. एन. दीक्षित (भारतीय पुरातत्व सोसायटी, नई दिल्ली) के अध्यक्ष और पूर्व संयुक्त महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, के अलावा अन्य कर रहे हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

सरकार ने लोकसभा में तीन कृषि सुधार बिल पेश किए

खबरों में क्यों है?

- सदन के भीतर विपक्षी दलों की आपत्तियों और राज्यों के कुछ किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के बीच, लोकसभा में केंद्र ने कृषि क्षेत्र में सुधार पर तीन प्रमुख विधेयकों को पेश किया है।



कीमत आश्वासन और खेत सेवा पर किसान (सशक्तीकरण एवं सुरक्षा) समझौता विधेयक, 2020

- यह बिल खेती समझौते पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क बनाता है जो किसानों को खेत सेवाओं और भविष्य की खेती की उपज की बिक्री के लिए कृषि-व्यवसाय कंपनियों, प्रोसेसरों, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़े खरीदारों से जुड़ने के लिए किसानों की सुरक्षा करता है और उन्हें सशक्त बनाता है।
- यह एक पारदर्शी रूप में परस्पर सहमत क्षतिपूर्ति मूल्य संरचना पर आधारित है।

किसानों की उपज का व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020

- यह विधेयक एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण करता है जहाँ किसान और व्यापारी प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से उत्पादन, बिक्री और खरीद से संबंधित पसंद की स्वतंत्रता का आनंद उठाते हैं, ताकि कुशल, पारदर्शी और बाधा रहित राज्य के अंदर और राज्यों के बीच में व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके।
- यह किसानों को विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार विधानों के तहत अधिसूचित बाजारों (APMC मंडियों) या डीमंड बाजारों की भौतिक सीमाओं के बाहर अपनी उपज को बेचने की अनुमति देगा।
- यह इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के लिए एक सुविधाजनक ढांचा भी प्रदान करेगा।
- आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020
- यह विधेयक केंद्र सरकार को केवल कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित की शक्ति प्रदान करेगा।

- विधेयक के अनुसार, कृषि उपज के लिए स्टॉक सीमाएं केवल तभी लागू की जा सकती हैं, जब खुदरा कीमतें तेजी से बढ़ें। हालांकि, मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों और निर्यातकों को किसी भी स्टॉक सीमा बाध्यताओं से मुक्त किया जाना चाहिए।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

आवश्यक वस्तु विधेयक पारित हुआ

खबरों में क्यों है?

- लोकसभा ने ध्वनि मत से आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
- विधेयक ने असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, कई खाद्य पदार्थों जैसे - अनाज, दालें, खाद्य तेल और प्याज आदि के उत्पादन, संग्रहण, आवागमन और बिक्री को विनियमित करने का प्रस्ताव रखा है।



संबंधित जानकारी

आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन

- प्रस्तावित संशोधनों के तहत, अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर किया गया है।

लाभ

- यह निजी निवेशकों को उनके व्यवसाय संचालन में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप की चिंता को दूर करेगा।
- उत्पादन करने, रोककर रखने, आगे बढ़ाने, वितरण और आपूर्ति करने की स्वतंत्रता से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था का उपयोग किया जाएगा और यह कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा।
- यह शीत ग्रह में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में मदद करेगा।

आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA) क्या है?

- ECA को 1955 में पारित किया गया था।
- तब से इसका उपयोग सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं पहुँचाने के लिए निश्चित वस्तुओं के समूह को 'आवश्यक' घोषित करके उनके उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को समग्र से नियंत्रित किया जाता है।
- इस अधिनियम के तहत शामिल वस्तुओं में दवाईयाँ, उर्वरक, दालें और खाद्य तेल और पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद शामिल हैं।
- केंद्र आवश्यकता होने पर आवश्यक वस्तुओं की सूची में नयी वस्तुओं को शामिल कर सकता है और स्थिति में सुधार होने पर उन्हें सूची से बाहर किया जा सकता है।

- अधिनियम के तहत, सरकार किसी भी डिब्बाबंद उत्पाद का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) तय कर सकती है जिसे वह "आवश्यक वस्तु" के रूप में घोषित करती है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत- द हिंदू

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना

खबरों में क्यों है?

- COVID -19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना' को 180 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है।
- इस योजना की घोषणा 30 मार्च को 90 दिनों के लिए की गई थी और इसे 90 दिनों (25 सितंबर तक) के लिए बढ़ा दिया गया था।



प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के बारे में

- यह एक केंद्रीय योजना है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने न्यू इंडिया एश्योरेंस (NIA) कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर योजना के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर बीमा धनराशि प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है।
- बीमा की पूरी राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वहन की जा रही है।

आयु सीमा

- इस योजना के लिए कोई आयु सीमा और व्यक्तिगत नामांकन कराने की आवश्यकता नहीं है।

लाभ

- यह सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को ₹50 लाख की बीमा सुरक्षा धनराशि प्रदान करता है, जो COVID-19 रोगियों की देखभाल के दौरान सीधे संपर्क में आए हों और इसलिए उनपर संक्रमित होने का खतरा भी हो।

- इसमें संक्रमण का सामना करने के कारण जीवन की आकस्मिक क्षति भी शामिल है।

सुरक्षा

- इसमें निजी अस्पताल के कर्मचारी / सेवानिवृत्त / स्वयंसेवक / स्थानीय शहरी निकाय / संविदा / दैनिक वैतनिक कर्मी / एड-हॉक/ राज्यों / केंद्रीय अस्पतालों / केंद्रीय / राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, AIIMS और INI / केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा अपेक्षित आउटसोर्स कर्मचारियों को शामिल किया गया है जिन्हें COVID-19 से संबंधित जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं।
- यह बीमा लाभार्थी द्वारा उठाए जा रहे किसी भी अन्य बीमा सुरक्षा के अलावा है।

संबंधित जानकारी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्य घटक:

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना

- लगभग 80 करोड़ व्यक्ति, अर्थात भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
- उनमें से प्रत्येक को अगले तीन महीनों में उनकी वर्तमान सीमा का दोगुना (5+5) प्रदान किया जाएगा।
- यह अतिरिक्तता निःशुल्क होगी।

दलहन

- सभी उपर्युक्त व्यक्तियों में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार अगले तीन महीने तक प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल प्रदान की जाएगी।
- इन दालों को भारत सरकार द्वारा मुफ्त प्रदान किया जाएगा।

किसानों के लिए

- पीएम किसान योजना के तहत वर्ष 2020-21 में जाने वाली 2000 रुपए की पहली किस्त का पहले भुगतान कर अप्रैल 2020 में भुगतान किया गया।
- इसमें 8.7 करोड़ किसान शामिल होंगे।

नकद हस्तांतरण और अन्य लाभ

- 60 साल से ऊपर के लगभग 3 करोड़ गरीब पेंशनरों, विधवाओं और विकलांगों को दो किस्तों में 1000 रुपए दिए जाएंगे।
- जन धन योजना के तहत आने वाली 20 करोड़ महिलाओं को एक महीने में 500 रुपए मिलेंगे।
- उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाली 8.3 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

मनरेगा के लिए

- पीएम गरीब सहायता योजना के तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। मनरेगा के तहत मजदूरी में वृद्धि से किसी श्रमिक को सालाना 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
- इससे लगभग 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ पहुँचेगा।

स्वयं सहायता समूह

- 63 लाख स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से संगठित महिलाएं 6.85 करोड़ परिवारों की मदद करती हैं।
- गिरवी मुक्त ऋण देने की सीमा बढ़कर 10 लाख से 20 लाख रुपए हो गयी है।

जिला खनिज निधि

- राज्य सरकार से जिला खनिज निधि (DMF) के तहत उपलब्ध निधि का उपयोग COVID -19 महामारी के प्रसार को रोकने के साथ-साथ इस महामारी से ग्रसित रोगियों का उपचार करने के संबंध में चिकित्सकीय परीक्षण, स्क्रीनिंग और अन्य आवश्यकताओं की सुविधाओं को पूरा करने तथा उनमें वृद्धि करने के लिए कहा जाएगा।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत- द हिंदू

विमान (संशोधन) विधेयक 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में संसद ने विमान (संशोधन) विधेयक, 2020 राज्यसभा के अनुमोदन के साथ पारित कर दिया है।
- विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है।



इस विधेयक के कानून बनने पर क्या बदलेगा?

- यह विमान अधिनियम, 1934 में संशोधन करता है।
- इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत तीन मौजूदा निकायों को सांविधिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रावधान है।
- ये तीन प्राधिकरण हैं,
 - नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA)
 - नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS)
 - विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB)
- विधेयक के तहत, इन निकायों में से प्रत्येक निकाय का नेतृत्व एक महानिदेशक के द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र द्वारा नियुक्त होगा।
- विमानन सुरक्षा नियामक DGCA को विशेष उल्लंघनों के लिए दंड देने की शक्ति होने के अलावा अधिकतम जुर्माने की सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए तक लगाने की शक्ति होगी।
- ये जुर्माने हवाई जहाज पर और किसी हवाई अड्डे के संदर्भ बिंदु के आसपास निर्धारित त्रिज्या के अंदर निर्माणाधीन इमारत अथवा ढांचे के आसपास हथियार, विस्फोटक ले जाने से संबंधित हैं।

संबंधित जानकारी

विमान अधिनियम 1934 के बारे में

- यह विमान के निर्माण, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात के नियंत्रण के लिए प्रावधान बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था ।
- यह भारत में विमान संचालन की सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान बनाता है , और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) द्वारा निर्धारित अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्वीकृत मानकों, प्रक्रियाओं और तरीकों के अनुसार नागरिक उड्डयन कार्यों का निर्वाहन करने के लिए प्रावधान बनाता है।

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के बारे में

- यह सन् 1944 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशेष एजेंसी है, जिसने शांतिपूर्ण वैश्विक वायु आवागमन के लिए मानकों और प्रक्रियाओं की आधारशिला रखी।
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन पर 7 दिसंबर 1944 को शिकागो में हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसने वायु द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की स्वीकृति देने वाले मुख्य नियमों की स्थापना के और जिसके कारण ICAO का गठन हुआ।

उद्देश्य

- इसके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देना है जिससे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन का सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके ।
- भारत इसके 193 सदस्य देशों में से एक है।
- इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- फाइनेंशियल एक्सप्रेस

उत्तर प्रदेश का नया विशेष सुरक्षा बल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) के गठन की अधिसूचना जारी की है।



UPSSF क्या है?

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा महत्वपूर्ण संस्थानों और व्यक्तियों की सुरक्षा करने हेतु CISF जैसे बल को स्थापित करने का निर्देश दिए जाने के बाद 26 जून, 2020 को इस बल का गठन किया गया।

- प्रस्तावित बल में "उच्च स्तर के पेशेवर कौशल" होने की परिकल्पना की गयी थी, जो प्रोविनिशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी (PAC) पर दबाव कर करेगा जो कानून-व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- यह UPSSF अधिनियम 2020 के तहत स्थापित किया गया है।

विशेषताएं

- उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2020 वारंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति देता है।
- इसकी शक्तियां कुछ अन्य केंद्रीय और राज्य बलों से कुछ मायनों में समान हैं, लेकिन UPSSF भी उनसे कुछ महत्वपूर्ण तरीकों से अलग भी है।
- UPSSF का नेतृत्व अवर महानिदेशक स्तर अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसके नीचे महानिरीक्षक, उप-महानिरीक्षक, कमांडेंट, और उप कमांडेंट होंगे।

ऐसे बल की आवश्यकता क्यों थी?

- UPSSF अधिनियम के अनुसार, इस बल का गठन "किसी निकाय अथवा किसी व्यक्ति, अथवा आवासीय परिसर को बेहतर सुरक्षा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, और न्यायालयों सहित महत्वपूर्ण संस्थान, "प्रशासनिक कार्यालय, मठ, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, औद्योगिक उपक्रम आदि" को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है।
- अधिनियम अपने उद्देश्य को "महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और केंद्र में और दूसरे राज्यों में अधिसूचित व्यक्तियों के सुगम और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना" है, इससे पहले उत्तर प्रदेश में कोई विशेष सुरक्षा बल स्थापित नहीं था।

विवादास्पद प्रावधान

- UPSSF अधिनियम की धारा 10 ("बिना वारंट के गिरफ्तारी करने की शक्ति") का उपखंड (1) कहता है: "बल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिसने स्वेच्छा से नुकसान पहुँचाया हो ... ", या एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ " उचित संदेह "है, या कोई व्यक्ति, जो कोई 'संज्ञेय अपराध करने की कोशिश करता है"।
- UPSSF अधिनियम की धारा 10 CISF अधिनियम, 1968 की धारा 11 के समान है, जो "बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति" देती है।
- इस बल के पास अपनी अधिकार के तहत आने वाले परिसर से अतिक्रमणकारियों को हटाने का अधिकार भी होगा।

नोट :

- उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जिसके पास इस प्रकार के बल हैं; इससे पहले ओडिशा और महाराष्ट्र भी इसी प्रकार के बल स्थापित कर चुके हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित हुआ

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में संसद ने राज्यसभा के साथ आयुर्वेद विधेयक 2020 में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की मंजूरी से पास किया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- विधेयक का उद्देश्य जामनगर, गुजरात में आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (ITRA) के नाम से एक अत्याधुनिक आयुर्वेदिक संस्थान को स्थापित करना है।



- विधेयक इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI) का दर्जा भी देने का प्रयास करता है।
- यह पहला संस्थान होगा जिसे आयुष क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्राप्त होगा।
- इससे संस्थान पाठ्यक्रम सामग्री और अध्यापन को तय करने वाले मामले में स्वतंत्र और नवान्वेषी बन पाएगा।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के बारे में

- यह एक ऐसा दर्जा है जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत के एक प्रमुख सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान को प्रदान किया जाता है, जो "देश/राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मियों के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी की भूमिका निभाते हैं"।
- इन संस्थानों को विशेष मान्यता और धन प्राप्त होता है।
- राष्ट्रीय महत्व का संस्थान वह है जो राज्य या क्षेत्र के भीतर कुशल लोगों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रीय महत्व के ये संस्थान अक्सर सरकार द्वारा समर्थित होते हैं और शिक्षा की उच्च गुणवत्ता प्रदान करते हैं। कुछ गिने चुने संस्थान ही इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) इस सूची में शामिल एक प्रमुख समूह है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत- फाइनांशियल एक्सप्रेस

गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम

खबरों में क्यों?

- हाल ही में , दिल्ली पुलिस को उमर खालिद की 10 दिन की हिरासत मिली, जिसे गैरकानूनी गतिविधि(रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।



गैरकानूनी गतिविधियों(रोकथाम) अधिनियम के बारे में

- इसे पहली बार 1967 में प्रख्यापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों संघों की प्रभावी रोकथाम करना है।
- गैरकानूनी गतिविधि भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को बाधित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई को संदर्भित करती है।
- इसे आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (TADA) और आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA) जैसे कानूनों का पूर्ववर्ती माना जाता है।
- यह मुख्य रूप से एक आतंकवाद-रोधी कानून है जिसका उद्देश्य "व्यक्तियों और संगठनों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए" है।
- UAPA मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों द्वारा की जाती है।
- UAPA के अंतर्गत, भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों से शुल्क लिया जा सकता है। यह अपराधियों पर उसी तरह से लागू होगा, भले ही अपराध विदेशी भूमि पर, भारत के बाहर किया गया हो।
- UAPA के अंतर्गत, जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में चार्जशीट दायर कर सकती है और अदालत को सूचित करने के बाद अवधि को और बढ़ाया जा सकता है।
- UAPA में हाल ही में संशोधन
- संसद ने गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2019 को स्पस्ट किया कि अधिनियम में प्रदान किए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित किया जाये।
- यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक को उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर जब्ती या संपत्ति की कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार देता है।
- यह अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों को राज्य में DSP या ACP या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा संचालित आतंकवाद के मामले की जांच करने के लिए इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक का अधिकार देता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-Governance

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम

खबरों में क्यों?

- हाल ही में, भारतीय उच्चायोग द्वारा ढाका में 56 वाँ ITEC दिवस ऑनलाइन मनाया गया।
- ढाका में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 2007 के बाद से 4000 से अधिक युवा बांग्लादेशी पेशेवरों को विभिन्न ITEC कार्यक्रमों से लाभ हुआ है।
- ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्वोत्तम अभ्यास साझा करने का अवसर प्रदान करते हैं जो दोनों देशों को लाभान्वित करते हैं।



Indian Technical and Economic Cooperation
(ITEC)

ITEC कार्यक्रम के बारे में

- यह 1964 में विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था और भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित है।
- कार्यक्रम अनिवार्य रूप से प्रकृति में द्विपक्षीय है।
- हालांकि, हाल के वर्षों में, ITEC संसाधनों का उपयोग क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संदर्भ में आर्थिक कार्यक्रमों जैसे अफ्रीका के आर्थिक आयोग, राष्ट्रमंडल सचिवालय, UNIDO और 77 के समूह के लिए कल्पित कार्यक्रमों के लिए भी किया गया है।
- विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि लेखाओं, लेखा परीक्षक, प्रबंधन, SME, ग्रामीण विकास, संसदीय मामलों आदि में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्येक साल 160 से अधिक भागीदार देशों को 10 हजार से अधिक प्रशिक्षण पाली दिए जाते हैं।

केंद्रीय शाखा

- विदेश मंत्रालय में विकास साझेदारी प्रशासन विभाग (DPA) सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को संभालने के लिए एक केंद्रीय शाखा है।
- इसके निम्नलिखित घटक हैं:
 - ITEC भागीदार देशों के नामांकितों का भारत में प्रशिक्षण (नागरिक और सैनिक)
 - परियोजना और परियोजना से संबंधित गतिविधियां जैसे व्यवहार्यता अध्ययन और परामर्श सेवाएं
 - विदेशों में भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति;
 - अध्ययन भ्रमण
 - ITEC भागीदार देशों के अनुरोध पर उपकरणों का उपहार / दान
 - आपदा राहत के लिए सहायता।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्त्रोत - द हिंदू

भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी (प्रस्तावित)

खबरों में क्यों है?

- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गौतम बुद्ध नगर में देश की 'सबसे बड़ी' फिल्म सिटी स्थापित करने की घोषणा की है।



संबंधित जानकारी

- उत्तर प्रदेश फिल्म नीति, 2018 के अनुसार, राज्य सरकार "फिल्म सिटी की स्थापना के समर्थन के लिए औद्योगिक कीमतों पर जमीन" प्रदान करेगी और साथ ही इसके लिए सही बुनियादी ढांचा निर्मित करने में मदद करेगी।

मुख्य एजेंसी

- राज्य सरकार की एक नोडल एजेंसी फिल्म बंधु, फिल्म नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालती है।
- हालांकि अभी फिल्म सिटी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना बाकि है क्योंकि, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण (YEDIA) इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश कर रही है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत - द हिंदू

SPICe + पोर्टल

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय वित्त एवं व्यावसायिक मामलों के राज्यमंत्री ने लोकसभा में SPICe+ पोर्टल के बारे में प्रश्न का लिखित जवाब दिया है।



SPICe + पोर्टल के बारे में

- व्यावसायिक मामलों के मंत्रालय (MCA) ने भारत सरकार के व्यापार में सुगमता (EODB) पहल के एक हिस्से के रूप में SPICe+ (उच्चारण SPICe प्लस) नाम से एक वेब-फॉर्म की अधिसूचना जारी की और क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।
- यह वेब-फॉर्म तीन केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और एक राज्य सरकार (महाराष्ट्र) और विभिन्न बैंकों द्वारा 10 सेवाएं प्रदान करता है, जिससे भारत में बिजनेस शुरू करने की प्रक्रिया, समय और लागत की बचत होती है।
- ये तीन मंत्रालय (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में राजस्व) विभाग हैं।

ये 10 सेवाएं हैं:

- नाम आरक्षण
- निगमन
- निदेशक पहचान संख्या आवंटन
- पैन की अनिवार्यता

- कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (TAN) की अनिवार्यता
- ईपीएफओ पंजीकरण की अनिवार्यता
- ईएसआईसी पंजीकरण की अनिवार्यता
- पेशा कर पंजीकरण की अनिवार्यता (महाराष्ट्र)
- कंपनी के लिए बैंक खाता खोलने की अनिवार्यता और
- GSTIN का आवंटन (यदि इसके लिए आवेदन किया गया है)।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत- PIB

सरकारी गोपनीयता कानून

खबरों में क्यों है?

- दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक सामरिक मामलों के विश्लेषक और दो अन्य लोगों 30- वर्षीय चीनी महिला और उसके "नेपाली साथी" को सरकारी गोपनीयता कानून (OSA) के तहत गिरफ्तार किया है।



सरकारी गोपनीयता कानून क्या है?

पृष्ठभूमि

- सरकारी गोपनीयता कानून की जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक युग में दबी हुई हैं।
- इसका मूल संस्करण भारतीय आधिकारिक राज अधिनियम (अधिनियम XIV), 1889 था ।
- यह बड़ी संख्या में अखबारों की आवाज को दबाने के मुख्य उद्देश्य के साथ लाया गया था, जो कई भाषाओं में छपा करते थे और सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, राजनीतिक चेतना का सृजन कर रहे थे और पुलिस की कार्रवाई और जेल में सजायाफ्ता का सामना कर रहे थे।
- भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान इसमें संशोधन किया गया और भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1904 के रूप में और अधिक कठोर बना दिया गया।
- सन् 1923 में, एक नया संस्करण सामने आया।
- भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम (अधिनियम संख्या XIX 1923) में देश में शासन के गोपनीयता और राज के सभी मामलों को शामिल किया गया।

कानून की सीमा

- गोपनीयता कानून मोटे तौर पर स्पाइंग और एसपिओनेज से संबंधित है जिसका वर्णन अधिनियम की धारा 3 में किया गया है, और सरकार की अन्य गुप्त सूचना के प्रकटीकरण का वर्णन धारा 5 में किया गया है।

- गोपनीय जानकारी में अधिकारी कोड, पासवर्ड, स्केच, योजना, मॉडल, लेख, टिप्पणी, दस्तावेज़, या जानकारी हो सकती है।
- धारा 5 के तहत, सूचना देने वाला व्यक्ति और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति दोनों को दंडित किया जा सकता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) और सरकारी गोपनीयता कानून (OSA)

- RTI अधिनियम की धारा 22 में सरकारी गोपनीयता अधिनियम सहित अन्य कानूनों के प्रावधानों के सामने अपनी प्रधानता का प्रावधान किया गया है।
- यह RTI अधिनियम को, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधानों के साथ संगतता नहीं रखने के बाद भी, एक महत्वपूर्ण शक्ति देता है।
- इसलिए यदि जानकारी प्रस्तुत करने के संबंध में OSA में कोई असंगतता है, तो इसे RTI अधिनियम द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।
- हालांकि, RTI अधिनियम की धारा 8 और 9 के तहत, सरकार जानकारी देने से इनकार कर सकती है।
- प्रभावी रूप से, यदि सरकार OSA की उपधारा 6 के तहत किसी दस्तावेज़ को "गुप्त" वर्गीकृत करती है, तो उस दस्तावेज़ को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सकता है, और सरकार धारा 8 या 9 को लागू कर सकती है।

अधिनियम के खिलाफ आवाज़ें

OSA पर विधि आयोग

- सन् 1971 में, विधि आयोग 'राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध' पर अपनी रिपोर्ट में OSA के संबंध में सर्वप्रथम पर्यवेक्षण करने वाला प्रथम आधिकारिक निकाय बना था।
- हालांकि विधि आयोग ने अधिनियम में किसी भी बदलाव की सिफारिश नहीं की थी।

दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग

- सन् 2006 में, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने सिफारिश की कि OSA को निरस्त कर दिया जाए और इसके बदले में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लाया जाए जिसमें सरकारी गोपनीयता से संबंधित प्रावधान होंगे।
- सन् 2015 में, सरकार ने RTI अधिनियम के संज्ञान में, OSA के प्रावधानों का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन किया। इसने 16 जून, 2017 को कैबिनेट सचिवालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सिफारिश की गई कि OSA को अधिक पारदर्शी और RTI अधिनियम के अनुरूप बनाया जाए।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

ऑप्टिकल फाइबर ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, प्रधानमंत्री ने बिहार के सभी गाँवों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना शुरू की है।



महत्वपूर्ण बिंदु

- बिहार ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इंटरनेट द्वारा सभी गांवों को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य होगा।
- सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा परियोजना बिहार के 45,945 गांवों में उच्च गति इंटरनेट प्राप्त करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ती है।
- यह परियोजना 180 दिनों की छोटी अवधि में कार्यान्वित की जाएगी और मार्च 2021 तक पूरी हो जाएगी।

संबंधित जानकारी

ऑप्टिकल फाइबर ग्रामीण कनेक्टिविटी परियोजना के बारे में

- इसे दूरसंचार विभाग द्वारा डिजिटल ग्राम सोच को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया है।
- यह CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय का एक विशेष उद्देश्य वाहन (SPV) है।

उद्देश्य

- परियोजना का उद्देश्य गांवों को डिजिटल गांवों में परिवर्तित करना, डिजिटल सशक्तिकरण/ जागरूकता बढ़ाना और डिजिटल खाई को भरना और डिजिटल कार्यशाला को घर-घर लाना है।

परियोजना की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **दृष्टिकोण:** सेवा स्तर समझौते (SLA) प्रतिबद्धता के साथ भारतनेट के उपयोगिता पर विशेष ध्यान देने पर परिणाम आधारित है।
- **वित्तीय आवश्यकता:** भारत सरकार 640 करोड़ रुपये के साथ VGF कार्यक्रम का वित्तपोषण कर रही है।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव आकलन:** इस पायलट परियोजना के लाभों और सफलता को समझने के लिए राष्ट्रीय प्रमुख संस्थानों द्वारा एक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन किया जाएगा।
- **परियोजना की निगरानी:** परियोजना की निगरानी बिहार राज्य/दूरसंचार विभाग द्वारा की जाएगी।
- **उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली:** उपभोक्ता शिकायतों के निवारण हेतु CSC-SPV द्वारा पूर्ण-विकसित ग्राहक देखभाल सेवा स्थापित की जाएगी।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत - PIB

सरकार ने छह रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की

खबरों में क्यों है?

- केंद्र सरकार ने सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की घोषणा की है।



मुख्य बिंदु

- गेहूं, चना, मसूर, सरसों, ज्वार और कुसुम सहित छह रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 300 रुपए तक की वृद्धि कर दी गयी है।
- गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए बढ़ा दिया गया है और अब यह मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल है जबकि मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- सरसों और चना के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उत्पादों की खरीद के प्रति वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संबंधित जानकारी

न्यूनतम समर्थन मूल्य

- यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य के पीछे का विचार विभिन्न कारकों जैसे कृषि उपज की आपूर्ति में परिवर्तन, बाजार एकीकरण की कमी और सूचना की असमान पहुँच के कारण कृषि उपजों की अस्थिर कीमतों का समाधान करना है।
- कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है।

MSP को निर्धारित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक निम्नलिखित हैं:

- मांग और आपूर्ति,
- उत्पादन की लागत (A2 + FL विधि),
- बाजार में मूल्य रुझान, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ,
- अंतर-फसल मूल्य समता,
- कृषि और गैर-कृषि के बीच व्यापार की शर्तें,
- उत्पादन लागत पर लाभ के रूप में न्यूनतम 50%, और
- उस उत्पाद के उपभोक्ताओं पर MSP के संभावित निहितार्थ।

खरीद

- भारत सरकार की नोडल केंद्रीय एजेंसी भारतीय खाद्य निगम (FCI) के साथ राज्य एजेंसियाँ फसलों की खरीद-फरोख्त करती हैं।

MSP गणना

इसका आकलन मुख्यतः तीन प्रकार की गणना विधि से किया जाता है।

- **A2:** इसके तहत, किसानों द्वारा खेती, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, और श्रम पर खर्च की जाने वाली धनराशि की तुलना में **MSP 50% अधिक रखा जाता है।**
- **A2 + FL:** इसमें **A2 के साथ और अवैतनिक पारिवारिक श्रम का एक निर्दिष्ट मूल्य शामिल है।**
- **C2:** **C2 के तहत, अनुमानित भूमि का किराया और खेती के लिए ली गई धनराशि पर ब्याज की लागत को A2 + FL के ऊपर जोड़ा जाता है।**
- **केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग (NCF) का गठन भारत में किसानों की समस्या के साथ-साथ MSP की गणना करने के लिए किया था।**

कृषि लागत और मूल्य आयोग के बारे में

- यह वर्ष 1965 में गठित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- यह एक वैधानिक निकाय है।
- यह खरीफ और रबी मौसम के लिए कीमतों की सिफारिश करते हुए अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत - द हिंदू

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित हुआ

खबरों में क्यों है?

- संसद ने हाल ही में **होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020** और **भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020** पारित किया।

संशोधन की मुख्य विशेषताएं

- **भारतीय औषधि केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक में भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 में संशोधन किया गया है।**
- **अधिनियम एक केन्द्रीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित भारतीय चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा और अभ्यास को नियंत्रित करता है।**



- यह विधेयक भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को प्रतिस्थापित करता है जिसे अप्रैल 2020 में लागू किया गया था।
- यह निर्धारित करता है कि केंद्रीय परिषद इस साल अप्रैल से निलंबित हो जाएगी और इसके निलंबन की तारीख से एक साल के अंदर परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा।
- अंतरिम अवधि में, केन्द्र सरकार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गठन करेगी, जो केन्द्रीय परिषद की शक्तियों का प्रयोग करेगी।
- बोर्ड में दस सदस्य शामिल होंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - प्रशासन

स्रोत- PIB

महामारी रोग (संशोधन) विधेयक 2020

खबरों में क्यों है?

- संसद ने लोकसभा में महामारी रोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को ध्वनि मत के साथ पारित किया।



विधेयक के मुख्य बिंदु

- यह विधेयक महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन के द्वारा महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करता है और इस तरह के रोगों के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति को बढ़ाता है।
- इस विधेयक अप्रैल 2020 में महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश को निसरित करता है।
- यह कानून स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों के जीवन को हानि, क्षति, नुकसान अथवा जान की धमकी को एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध मानता है।
- इसमें तीन महीने से पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए से दो लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान है।
- बिल के तहत अपराध के दोषी व्यक्तियों को स्वास्थ्य देखभाल सेवा कर्मियों को क्षतिपूर्ति करने के उत्तरदायी होगा, जिन्हें उसने चोट पहुंचाई है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- प्रशासन

स्रोत- द हिंदू

'अनियंत्रित व्यवहार के कारण' राज्यसभा से सांसदों का निलंबन

खबरों में क्यों है?

- राज्यसभा ने उपसभापति हरिवंश के साथ दो खेती क्षेत्र के विधेयकों पर बहस और मतदान के दौरान संसद के कार्यव्यवहार की प्रक्रिया एवं आचार के नियम के तहत आठ सांसदों को उनके 'अनियंत्रित' व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया है।



वे कौन से नियम हैं जिनके तहत पीठासीन अधिकारी ने कार्यवाही की?

कार्यव्यवहार की प्रक्रिया और आचरण के नियमों की नियम संख्या 373 कहती है:

- अध्यक्ष, यदि ऐसा लगता है कि किसी भी सदस्य का आचरण पूरी तरह से अनियंत्रित है, तो वह ऐसे सदस्य को सदन से तुरंत वापस बाहर जाने का निर्देश दे सकता है, और वह सदस्य जिसे ऐसा आदेश दिया गया है, तुरंत आदेश का पालन करेगा और दिन की शेष बैठक कार्यवाही के दौरान संसद से अनुपस्थित रहेगा।
- अधिक उदण्ड सदस्यों से निपटने के लिए, अध्यक्ष नियम 374 और 374A के तहत आदेश दे सकता है।

नियम 374 कहता है:

- अध्यक्ष, आवश्यकता समझे जाने पर, सदस्य का नाम ले सकता है जिसने अध्यक्ष के पद का अपमान किया है अथवा सदन की कार्यवाही में लगातार और जानबूझकर रुकावट उत्पन्न कर सदन के नियमों का उल्लंघन किया है।
- अध्यक्ष द्वारा नाम लिए जाने पर, अध्यक्ष यह सवाल करते हुए कि अमुक सदस्य को सदन की शेष दिन की कार्यवाही के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जा रहा है, का प्रस्ताव पारित कर सकता है।
- बशर्ते कि सदन, किसी समय, लाए जा रहे प्रस्ताव पर, ऐसे निलंबन को स्थगित करने का निर्णय लेती है।
- इस नियम के तहत निलंबित सदस्य को सदन की परिसीमा से बाहर जाना होगा।

नियम 374 A

- इसे 5 दिसंबर, 2001 को नियम पुस्तिका में शामिल किया गया था।
- यह सदन के सदस्य के स्वतः निलंबन के लिए अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किया जाता है - जिसमें सदस्य को लगातार पांच बैठकों के लिए अथवा शेष सत्र के लिए, जो सदस्य द्वारा गंभीर अवज्ञा की स्थिति में जो भी कम हो, निलंबित कर सकती है। (इसमें सदन के अध्यक्ष और सदस्यों की कुर्सी के

बीच भाग में आते हुए, अथवा नारे या अन्य किसी विधि से सदन की कार्यवाही को लगातार और जानबूझकर बाधित करना शामिल है।)

राज्यसभा के लिए

- लोकसभा में अध्यक्ष की भांति ही, राज्य सभा के अध्यक्ष को नियम संख्या 255 के तहत "किसी भी सदस्य को जिसका आचरण, सभापति के अनुसार, निहायती उदण्ड प्रकृति का है उसे तुरंत सदन से बाहर करने का निर्देश दे सकती है" की शक्ति प्राप्त है।
- हालांकि अध्यक्ष के विपरीत, राज्यसभा के सभापति के पास किसी सदस्य को निलंबित करने की शक्ति नहीं है।
- सदन एक अन्य प्रस्ताव के द्वारा निलंबन समाप्त कर सकता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-राजनीति

स्रोत- द हिंदू

श्रम संहिता विधेयक

खबरों में क्यों है?

- लोकसभा ने हाल ही में तीन श्रम संहिता के नए संस्करणों को मंजूरी दी है। ये विधेयक हैं:
 1. औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020
 2. सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020
 3. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता विधेयक, 2020



औद्योगिक संबंध कोड बिल, 2020

प्रमुख प्रस्ताव

- सरकार ने हड़ताल करने के लिए श्रमिकों के अधिकारों को सीमित करने वाली अधिक शर्तें लगाने का प्रस्ताव रखा है।
- इसमें प्रस्ताव दिया गया है कि औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी व्यक्ति 60 दिनों के नोटिस के बिना या ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही चलने के दौरान हड़ताल पर नहीं जाएगा।
- स्थायी आदेश की आवश्यकता के लिए सीमा को बढ़ाकर 300 से अधिक श्रमिकों के लिए कर दी गई है।

छंटनी

- इसने औद्योगिक प्रतिष्ठानों में छंटनी से संबंधित सीमा को वर्तमान में 100 अथवा अधिक श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक कर दी गयी है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020

प्रमुख प्रस्ताव

श्रमिकों का पंजीकरण

- यह श्रमिकों की सभी तीन श्रेणियों - असंगठित श्रमिकों, संविदा श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के पंजीकरण के लिए प्रावधान करता है।

सामाजिक सुरक्षा निधि

- यह निर्धारित करता है कि केंद्र सरकार असंगठित श्रमिकों, संविदा श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करेगी।
- संविदा श्रमिकों और मंच के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा
- यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, संविदा श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाओं के संचालन के लिए एक राष्ट्रीय और विभिन्न राज्य-स्तरीय बोर्डों की स्थापना की मांग करती है।

अन्य मुख्य विशेषताएं

कर्मचारी राज्य बीमा (ESIC) की पहुंच बढ़ाना

ESIC के तहत अधिकतम संभव श्रमिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया है:

1. ESIC की सुविधा अब सभी 740 जिलों में प्रदान की जाएगी जो कि वर्तमान में है केवल 566 जिलों में दी जा रही है।
2. खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठान अनिवार्य रूप से ESIC के साथ जुड़े होंगे, भले ही इसमें केवल एक ही श्रमिक काम कर रहा हो।
3. असंगठितक्षेत्र और संविदा श्रमिकों को ESIC से जोड़ने के लिए योजना बनाने का प्रावधान
4. वृक्षारोपण में काम करने वाले श्रमिकों को जोड़ने का विकल्प बागान मालिकों को दिया जा रहा है।
5. ESIC का सदस्य बनने का विकल्प 10 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को भी दिया जा रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पहुंच का विस्तार

1. EPFO का विस्तार 20 श्रमिकों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। वर्तमान में, यह केवल अनुसूची में शामिल प्रतिष्ठानों पर ही लागू होता है।
2. 20 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को EPFO में शामिल होने का विकल्प भी दिया जा रहा है।
3. 'स्व-नियोजित' श्रेणी और किसी अन्य श्रेणी के तहत आने वाले कर्मियों को EPFO के तत्वावधान में लाने के लिए योजनाएं बनायी जाएंगी।
4. निश्चित अवधि वाले कर्मचारी के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है और इसके लिए न्यूनतम सेवा अवधि जैसी कोई शर्त नहीं होगी।

पहली बार, अनुबंध पर एक निर्धारित अवधि के लिए काम करने वाले एक निश्चित अवधि के कर्मचारी को नियमित कर्मचारी की तरह सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से, सभी श्रमिकों का पंजीकरण एक ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा और यह पंजीकरण एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से स्व-प्रमाणन के आधार पर किया जाएगा।

यह असंगठित क्षेत्र के लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों के विस्तार की सुविधा प्रदान करेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम की स्थिति, 2020 पर संहिता

प्रमुख प्रस्ताव

अनुबंध श्रम

- यह मुख्य गतिविधियों में अनुबंध श्रम को प्रतिबंधित करता है, जिसमें शामिल नहीं है:
- 1. प्रतिष्ठान की सामान्य कार्यप्रणाली ऐसी हो कि यह गतिविधि ठेकेदार के माध्यम से की जाती है।
- 2. गतिविधियां ऐसी हों जहाँ उन्हें दिन के प्रमुख हिस्से के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं होती है, या
- 3. मुख्य गतिविधि में भारी कार्य में अचानक वृद्धि होती है जिसे एक निर्दिष्ट समय में पूरा करने की आवश्यकता होती है।

दैनिक कार्य समय सीमा

- यह प्रति दिन आठ घंटे की अधिकतम सीमा तय करता है।

महिलाओं का रोजगार

- यह निर्धारित करता है कि महिलाओं को विधेयक के तहत सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित होने का अधिकार होगा।

नोट:

- हालांकि, संहिता नेश्रमिकों के पास श्रमिकों के लिए अस्थायी आवास के लिए पहले के प्रावधान को हटा दिया है।
- हालांकि इसने एक यात्रा भत्ता का प्रस्ताव रखा है - जिसमें नियोक्ता द्वारा उसके / उसके रोजगार के स्थान से उसके मूल निवास स्थान के लिए नियोक्ता को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - प्रशासन

स्रोत- PIB

PMJDY खाताधारकों को बीमा सुरक्षा

खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) के तहत, PMJDY खाताधारकों को मुफ्त रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है जिसमें 1 लाख रुपये तक का इनबिल्ट दुर्घटना बीमा सुरक्षा होती है।
- इस सुरक्षा धनराशि को 28.08.2018 के बाद खोले गए PMJDY खातों पर 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गयी है।
- सभी पात्र और इच्छुक PMJDY खाता धारक निम्नलिखित के तहत दाखिला ले सकते हैं
 - a. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और
 - b. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)।

One Cover to Bind Them All

All PMJDY a/c holders to get **₹2 Lakh** insurance cover

Govt to pay premium for first 3 years

Can be both accidental & life insurance cover

Insurance cover not based on transactions or minimum balance

If the scheme provides both accident and life insurance, the benefit could cost the government more than **₹9,000 cr**

There are around **27 crore** a/c holders under PMJDY

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में

- PMSBY के तहत, दुर्घटना बीमा सुरक्षा 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग में नामांकित लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक प्रदान की जाती है, जिसमें खाताधारक की व्यक्ति सहमति से बैंक खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से केवल 12 रुपये वार्षिक किस्त लेता है।
- PMJJBY के तहत, 18 वर्ष से 50 वर्ष के आयु वर्ग में नामांकित लाभार्थियों को 2 लाख रुपये की जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती जिसमें खाता धारक की लिखित सहमति के अनुसार बैंक खाते से 330 रुपये वार्षिक डेबिट रूप में लिए जाएंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - प्रशासन

स्रोत- द हिंदू

युवाह मंच

खबरों में क्यों है?

- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) ने जुलाई 2020 में युवाह, पीढ़ी असीमित (GenU) स्थापित करने के लिए "वक्तव्य आशय" पर हस्ताक्षर किए।



युवाह के बारे में

- यह भारत में एक वैश्विक बहु-हितधारक मंच है।

इस परियोजना के उद्देश्य हैं:

- युवा उद्यमियों में उद्यमशीलता की मानसिकता स्थापित करने की दिशा में, उन्हें सफल उद्यमियों और विशेषज्ञों के साथ उद्यमशीलता कक्षाएं (ऑनलाइन और ऑफलाइन) प्रदान करके युवा लोगों का समर्थन करना।
- युवा लोगों को 21 वीं सदी के कौशल, जीवन कौशल, डिजिटल कौशल को ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से अपग्रेड करना और उनका उत्पादक जीवन और काम के भविष्य के लिए आत्म-शिक्षा के माध्यम से उनका सहयोग करना।
- युवा लोगों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए आकांक्षी आर्थिक अवसरों से जोड़ने के साथ उन्हें नौकरियों या स्वरोजगार के साथ जोड़ने के मार्गों का निर्माण करना।
- इसके लिए, विस्तार और पहुँच को अधिकतम बनाने के लिए अभिनव समाधान और प्रौद्योगिकी मंच शामिल होंगे।
- युवाओं को कैरियर पोर्टल के साथ-साथ नौकरी तैयारी और आत्म-अन्वेषण सत्रों के माध्यम से युवाओं को करियर-हेतु मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - प्रशासन

स्रोत- PIB

'कृतज्ञ' हैकाथॉन

खबरों में क्यों है?

- महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देने के साथ खेत के मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देने हेतु, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (NAHEP) के तहत "KRITAGYA" नामक एक हैकाथन की आयोजन किया गया है।



'कृतज्ञ' हैकाथन के बारे में,

कृतिका हैकाथॉन के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?

- देश भर में किसी भी विश्वविद्यालय/ तकनीकी संस्थान से छात्रों, संकायों, और नवाचारी / उद्यमी समूह के रूप में इस कार्यक्रम में आवेदन कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं।
- एक समूह में अधिकतम 4 प्रतिभागी किसी एक संकाय और / या एक नवाचार या उद्यमी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
- लक्ष्य
- इसका संपूर्ण उद्देश्य स्वचालन और मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना और कठिन परिश्रम को कम करना है।
- यह सीखने की क्षमता, नवाचारों और परिवर्तनकारी समाधानों, रोजगार और उद्यमशीलता खेत मशीनीकरण क्षेत्र में उद्यमशीलता भावना को बढ़ाना में मदद करता है।
- संबंधित जानकारी
- ICAR ने वर्ष 2017 में भारत सरकार और विश्व बैंक की एक परियोजना NAHEP में शुरु की थी।
- उद्देश्य
- इसका संपूर्ण उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली में छात्रों को अधिक प्रासंगिक प्रासंगिक और बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन

स्रोत- PIB

आवश्यक वस्तु अधिनियम

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में संसद ने ECA (संशोधन) विधेयक 2020 पारित किया, जिसका उद्देश्य अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को विनियमित करना है।



किसी वस्तु को 'आवश्यक वस्तु' के रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है?

- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।
- धारा 2 (A) कहती है कि "आवश्यक वस्तु" का अर्थ वह वस्तु है जिसे अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है।

अधिनियम के प्रावधान

- यह आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को हटा देता है।
- अधिनियम का उद्देश्य अपने व्यावसायिक कार्यों में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेप की निजी निवेशकों की आशंकाओं को दूर करना है।
- यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियों में कृषि खाद्य पदार्थों को विनियमित करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जाती है।
- यह अधिनियम केंद्र सरकार को अनुसूची में वस्तुओं को जोड़ने अथवा हटाने की शक्ति देता है।
- हालांकि, एक मूल्य श्रृंखला भागीदार की स्थापित क्षमता और एक निर्यातक की निर्यात मांग ऐसे विनियमन से मुक्त रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि में निवेश हतोत्साहित न हो।

फायदा

- उत्पादन करने, रोकने, स्थानांतरित करने, वितरित करने और आपूर्ति करने की स्वतंत्रता से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का दोहन होगा और कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र /प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित होगा।
- शीत ग्रह में निवेश और खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के आधुनिकीकरण में वृद्धि होगी।
- यह एक प्रतिस्पर्धी बाजार का माहौल पैदा करेगा और कृषि उपज की बर्बादी को भी कम करेगा जो भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण बर्बाद होती हैं।
- यह किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को मूल्य स्थिरता लाने में मदद करेगा।

नोट:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 भी रेखांकित करता है कि ECA 1955 के तहत सरकारी हस्तक्षेप से अक्सर कृषि व्यापार विकृत हो जाता है और मंहगाई कम करने में पूर्ण प्रभावहीनता दिखती है।
- इस तरह के हस्तक्षेप किराए की मांग करने और उत्पीड़न की संभावना को सक्षम बनाते हैं।

- किराए की मांग करना एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल अर्थशास्त्री भ्रष्टाचार से अकारण आय का वर्णन करने के लिए करते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - प्रशासन

स्रोत- PIB

CAG: सरकारी विद्यालयों में 40% शौचालय गायब अथवा गैर-उपयोगी

खबरों में क्यों है?

- सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने शिक्षा के अधिकार परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में 1.4 लाख शौचालयों का निर्माण करने का दावा किया था, लेकिन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सर्वेक्षण में लगभग 40% शौचालय गैर-मौजूद, आंशिक रूप से निर्मित, या अप्रयुक्त पाए गए।
- CAG ने संसद में पेश एक ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि 70% से अधिक शौचालयों में पानी की सुविधा नहीं है, जबकि 75% स्वच्छता को बनाए नहीं रखा जा रहा है।



संबंधित जानकारी

स्वच्छ विद्यालय अभियान के बारे में

- यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के जनादेश को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था कि सभी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए।
- इस पहल में स्कूलों में सुरक्षित और उचित स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने और बच्चों के बीच व्यवहार पर भी जोर दिया गया है।
- स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के बारे में
- स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मानव संसाधन विकास, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में विद्यालयों में स्वच्छता और सफाई व्यवहार की पहचान करने, उसे प्रेरित करने और उत्कृष्टता का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया था।
- पुरस्कार का स्पष्ट उद्देश्य स्वच्छ विद्यालय अभियान के जनादेश को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले विद्यालयों को सम्मानित करना है।
- एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के जरिए स्कूलों को पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम बनाया है, जो जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाएंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - प्रशासन

स्रोत- द हिंदू

राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020

खबरों में क्यों है?

- भारत के राष्ट्रपति 24 सितंबर को वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) पुरस्कार प्रदान करेंगे।



राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020 के बारे में

- हर साल युवा मामले विभाग स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में असाधारण योगदान की पहचान एवं सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है।
- ये सेवाएं विश्वविद्यालयों या कॉलेजों, परिषदों, सीनियर सेकेंडरी, NSS इकाइयों या कार्यक्रम अधिकारियों और NSS स्वयंसेवकों द्वारा दी जाती हैं, जिसका उद्देश्य, देश में NSS को और आगे बढ़ावा देना है।
- वर्ष 2018-19 के लिए NSS पुरस्कार 3 विभिन्न श्रेणियों जैसे विश्वविद्यालय अथवा 2 परिषद, NSS इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारी और NSS स्वयं सेवकों में 42 पुरस्कार विजेताओं को दिया जाएगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में

- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे वर्ष 1969 में युवाओं और छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से शुरू किया गया था।
- इसे युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है
- NSS की वैचारिक मान्यता, महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है और राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य है "मैं नहीं पर आप" हैं।

लक्ष्य और उद्देश्य:

- उस समुदाय को समझने के लिए जिसमें वे काम करते हैं और अपने समुदाय के संबंध में खुद को समझते हैं।
- समुदाय की जरूरतों और समस्याओं की पहचान करना और उन्हें समस्या-समाधान प्रक्रिया में शामिल करना।
- व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याओं का व्यावहारिक समाधान खोजने में उनके ज्ञान का उपयोग करना
- समूह-जीवन और जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए आवश्यक क्षमता विकसित करना
- सामुदायिक भागीदारी जुटाने में कौशल हासिल करना
- नेतृत्व गुण और लोकतांत्रिक रवैया हासिल करना
- आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं को पूरा करने की क्षमता विकसित करना।
- राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का अभ्यास करना

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - प्रशासन
स्रोत- PIB

एकीकृत पोर्टल 'U-RISE'

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 'यू-राइज़' नामक एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है।

एकीकृत पोर्टल 'यू-राइज़' के बारे में

- U-RISE अथवा यूनिफाइड रिइमेजिंड इनोवेशन फॉर स्टूडेंट इम्पॉवरमेंट पोर्टल छात्रों को करियर सलाह सहायता प्रदान करेगा।



- यह तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार विभाग और कौशल विकास मिशन के साथ-साथ डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ की एक संयुक्त पहल है।
- इसका उद्देश्य छात्रों को शिक्षा, कैरियर परामर्श और राज्य में रोजगार प्राप्त करना है।
- छात्रों को पोर्टल से व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्राप्त होगी, और तकनीकी विशेषज्ञों को पोर्टल से लाभ होगा।
- इसमें ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, इंटर्नशिप, और सूचना जैसी सामग्री शामिल होगी।
- पोर्टल पर उपलब्ध ई-सामग्री, ई-लाइब्रेरी, और ऑनलाइन पाठ्यक्रम छात्रों की आसान पहुँच में होंगे जिसमें राज्य के दुर्गम इलाके भी शामिल हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - शासन
स्रोत- लिवमिंट

एमनेस्टी इंटरनेशनल

खबरों में क्यों है?

- एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने कहा कि सरकार ने उसके सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे देश में होने वाले उसके सभी काम रुकने वाले हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में

- यह मानव अधिकारों पर केंद्रित एक गैर-सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है।

मिशन

- एमनेस्टी मानव अधिकार उल्लंघनों पर ध्यान आकर्षित करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मापदंडों के अनुपालन के लिए अभियान चलाता है।



संबंधित जानकारी

पृष्ठभूमि

- एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन स्थित एक गैर-सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
- संगठन का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया बनाना है जहाँ हर व्यक्ति मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों में निहित मानव अधिकारों का उपयोग लेता है।

पुरस्कार

- संगठन को 1977 में " अत्याचार के खिलाफ मानव गरिमा की रक्षा" के लिए नोबेल शांति पुरस्कार और 1978 में मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- द हिंदू

जल जीवन मिशन

खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जल जीवन मिशन के लिए नया लोगो जारी किया है।



- उन्होंने इस अवसर पर 'जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों और पाणी समितियों के लिए मार्गदर्शिका' (ग्राम पंचायतों और जल समितियों के लिए दिशानिर्देश) का भी अनावरण किया।
- मिशन का नया लोगो (प्रतीक) पानी की हर बूंद को बचाने की आवश्यकता को प्रेरित करता रहेगा।
- पिछले कार्यक्रमों के विपरीत, जल जीवन मिशन आधार से शीर्ष दृष्टिकोण को अपनाता है, जहाँ गाँवों में उपयोगकर्ता और पाणि समितियाँ (जल समितियाँ) इसके कार्यान्वयन से लेकर रखरखाव और संचालन तक की पूरी परियोजना की परिकल्पना करती हैं।

जल जीवन मिशन के बारे में

- जल जीवन मिशन का पुनर्गठन और चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) के गठन के बाद किया गया है, जो 2024 तक हर ग्रामीण नल यानी हर घर नल जल (HGN SJ) को चालू घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) प्रदान करेगा।

उद्देश्य

- यह 2024 तक सभी ग्रामीण और शहरी घरों में पाइप जलापूर्ति (हर घर जल) प्रदान करेगा।
- यह 2024 तक चालू घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है।
- जल जीवन मिशन को बजट 2020 में 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे थे।

केंद्रित क्षेत्र

- यह मिशन स्थानीय स्तर पर जल की एकीकृत मांग और आपूर्ति प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।
- अन्य सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ स्रोत धारणीयता उपायों जैसे अनिवार्य तत्व, जैसे वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण किया जाएगा।
- जल-जीवन मिशन विभिन्न जल संरक्षण प्रयासों जैसे प्वाइंट रिचार्ज, लघु सिंचाई टैंकों से गाद हटाना, कृषि के लिए मटमैले पानी का उपयोग और स्रोत स्थायित्व पर आधारित होने वाला है।
- यह मिशन जल के सामुदायिक उपागम पर आधारित है और मिशन के प्रमुख घटक के रूप में व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार शामिल है।
- भारत के संविधान में 73 वें संशोधन ने 11 वीं अनुसूची में पीने के पानी का विषय रखा है।

वित्त पोषण पैटर्न:

- वित्त की साझेदारी इस प्रकार होगी -
- केंद्र और राज्यों - 90:10
- हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, 50:50
- अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100%।
- जल जीवन मिशन देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र एवं अन्य राज्य सरकार की योजनाओं को एकसाथ शामिल करेगा।

संस्थागत व्यवस्था:

1. केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (NJJM)
2. राज्य स्तर पर राज्य जल और स्वच्छता मिशन (SWSM)
3. जिला स्तर पर जिला जल और स्वच्छता मिशन (DWSM)
4. ग्राम स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता समिति (VWSC)

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - शासन


स्रोत- PIB

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे

कतर के श्रम कानूनों में नए बदलाव

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, कतर ने अपने श्रम कानूनों में एक बदलाव किया है, जिसमें प्रवासी श्रमिकों को नौकरी बदलने से पहले अपने नियोक्ताओं की अनुमति लेने के नियमों को समाप्त कर दिया गया है तथा न्यूनतम मासिक वेतन में 25 प्रतिशत वृद्धि कर \$274 निर्धारित किया गया है।



कतर का नया श्रम कानून क्या है?

- पहला सुधार यह है कि अनुचित 'काफ़ला व्यवस्था' अथवा "अनापत्ति प्रमाणपत्र" की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है जिसे प्रवासी श्रमिकों को नौकरी बदलते समय अपने नियोक्ताओं से प्राप्त करना पड़ता था।
- अब, श्रमिकों को एक महीने की नोटिस अवधि देनी होगी यदि उन्होंने दो साल से कम समय काम किया है और दो महीने की नोटिस अवधि देनी होगी यदि उन्होंने अधिक समय तक के लिए काम किया है।
- दूसरा सुधार यह है कि न्यूनतम मज़दूरी 25 प्रतिशत बढ़ाकर \$274 या 1000 कतरी रियाल कर दी गई है और कंपनी द्वारा भोजन एवं आवास की व्यवस्था नहीं किए जाने पर, भोजन के लिए अतिरिक्त 300 QAE और आवास के लिए 500 QAR दिए जाएंगे।
- ये सुधार अब सभी देशों और सभी क्षेत्रों के श्रमिकों पर लागू हैं, जिनमें घरेलू कामगार भी शामिल हैं जिन्हें पहले बाहर रखा गया था।

लाभ

- गैर-भेदभावपूर्ण न्यूनतम वेतन की शुरुआत से निजी क्षेत्र में काम करने वाले 400,000 से अधिक श्रमिकों को फायदा पहुँचेगा।
- यह श्रमिकों के मूल देश में धन प्रेषण को भी बढ़ाएगा।

संबंधित जानकारी

- कतर इस क्षेत्र में "काफ़ला" प्रायोजन व्यवस्था को खत्म करने वाला पहला देश है, जिसका खाड़ी क्षेत्रों में प्रचलन आम है। इसमें श्रमिकों को जिस देश में वे काम कर रहे हैं, उस देश के प्रायोजक की जरूरत होती है, जो उनकी वीज़ा और कानूनी स्थिति के लिए जवाबदेह बन जाते हैं।

- कतर 2022 फीफा विश्व कप की मेजबानी कर रहा है।

भारत और धन प्रेषण

- खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासियों का देश के कुल आंतरिक प्रेषण में एक अहम योगदान है।
- वर्ष 2018 में विश्व बैंक की प्रेषण पर जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लिए मध्य-पूर्व प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है और भारत के लिए अमेरिका प्रेषण का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

आठवीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक (आर्थिक मंत्रियों की बैठक)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में सम्पन्न हुए 8 वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (आर्थिक मंत्रियों की बैठक) में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने और COVID पश्चात आर्थिक विकास को तेज करने के महत्व पर ज़ोर दिया गया है।



पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में

- इसकी स्थापना 2005 में हुई थी।

उद्देश्य

- यह हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के सामने प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद एवं सहयोग का एक मंच है।

सदस्य

- इसमें आसियान के 10 सदस्य देशों के साथ 8 सदस्य ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, भारत, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
- भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का संस्थापक सदस्य है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्र

EAS के ढांचे के अंदर क्षेत्रीय सहयोग वाले छह प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- पर्यावरण और ऊर्जा
- शिक्षा
- वित्त
- वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे और महामारी रोग
- प्राकृतिक आपदा प्रबंधन
- आसियान कनेक्टिविटी

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद् आयोग

खबरों में क्यों है?

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद् आयोग (ICJ) ने हाल ही में कहा है कि नागरिक अधिकारों के वकील प्रशांत भूषण को सर्वोच्च अदालत द्वारा अदालत की अवमानना के लिए दी गई सजा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कानून, जिसमें भारत भी एक सदस्य है, के अनुसार न्यायसंगत नहीं लगी है।



अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद् आयोग के बारे में,

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायविद् आयोग (ICJ) एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार गैर-सरकारी संगठन है।
- यह 60 प्रतिष्ठित न्यायविदों का एक स्थायी समूह है - जिसमें वरिष्ठ न्यायाधीश, वकील और शिक्षाविद् शामिल हैं - जो कानून के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को विकसित करने के लिए काम करते हैं।
- आयोग की रचना का उद्देश्य दुनिया की भौगोलिक विविधता और इसकी कई कानूनी व्यवस्थाओं को प्रतिबिंबित करना है।
- यह आयोग जिनेवा, स्विट्जरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय सचिवालय से समर्थन प्राप्त है और न्यायालयों एवं विधिक परंपराओं की एक व्यापक श्रृंखला से लाए गए वकीलों द्वारा चलाया जा रहा है।
- सचिवालय और आयोग मानव अधिकारों और कानून के शासन की रक्षा करने और बढ़ावा देने में वकीलों और न्यायाधीशों की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से वकालत और नीतिगत कार्य करता है।

वर्तमान - क्रियाकलाप

- ICJ मानव अधिकारों और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही हो (जैसे संयुक्त राष्ट्रसंघ), क्षेत्रीय रूप में (जैसे यूरोपीय संघ और यूरोपीय परिषद), अथवा घरेलू स्तर पर अपने राष्ट्रीय विभागों (जैसे ब्रिटेन में JUSTICE) की गतिविधियों के माध्यम से।
- ICJ का अंतर्राष्ट्रीय कानून और संरक्षण कार्यक्रम किसी नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक प्रकृति के उल्लंघन के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- इसका ध्यान कानून के शासन का सम्मान करने, उनकी रक्षा करने और मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों की रक्षा करने, और इन उल्लंघनों और अत्याचारों के लिए जिम्मेदार सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए देशों के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर है।
- आज, कार्य के विशिष्ट क्षेत्रों में शामिल हैं:
 - न्यायाधीशों और वकीलों (CIJL) की स्वतंत्रता के लिए केंद्र
 - आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार।
 - व्यापार और मानव अधिकार।
 - यौन उन्मुखीकरण और लिंग पहचान।

- महिलाओं के मानव अधिकार।
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार तंत्र; तथा
- वैश्विक सुरक्षा और कानून का नियम।

नोट:

- अप्रैल 2013 में, ICJ को दलाई लामा और अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत अभियान द्वारा सत्य के प्रकाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- यह पुरस्कार उन संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने तिब्बत के उद्देश्य में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के बारे में

- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार समझौता (ICCPR) 16 दिसंबर 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव 2200A (XXI) द्वारा अपनाई गई एक बहुपक्षीय संधि है।
- यह 23 मार्च 1976 को समझौते के अनुच्छेद 49 लागू कर प्रभाव में आया।
- अनुच्छेद 49 में अनुमति दी गई है कि समझौता अनुसमर्थन या अभिगमन के 35 पत्र जमा होने की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा।
- यह समझौता अपने सदस्यों को व्यक्तियों के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध करती है, जिसमें जीवन का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, विधानसभा की स्वतंत्रता, चुनावी अधिकार और उचित प्रक्रिया एवं निष्पक्ष जाँच का अधिकार शामिल है।
- ICCPR आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों (ICESCR) और मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा (UDHR) पर अंतर्राष्ट्रीय करार के साथ-साथ मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा है।
- ICCPR की निगरानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए एक अलग निकाय) द्वारा की जाती है, जो देशों की अधिकारों को लागू किए जाने की विधि पर नियमित रिपोर्टों की समीक्षा करती है।
- समिति की बैठक आमतौर पर जिनेवा में होती है और यह एक वर्ष में तीन सत्रों का आयोजन करती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II -अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

भारत - जापान रक्षा संबंध

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्म-रक्षा बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के पारस्परिक आदान-प्रदान से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।



समझौते के मुख्य बिंदु

- यह भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच निकट सहयोग के सक्षम ढांचे की स्थापना करता है, जो आपूर्ति और सेवाओं के परस्पर आदान-प्रदान को संभव बनाता है।
- समझौते के प्रावधानों प्रभाव में तब आएंगे जब भारतीय और जापानी सेना परस्पर द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, मानवीय अंतर्राष्ट्रीय राहत कार्य, और अन्य आपसी सहमति गतिविधियों में भाग लेते हैं।
- यह समझौता भारत और जापान की सशस्त्र सेना के बीच सामंजस्य क्षमता को भी बढ़ाएगा जिससे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीति और वैश्विक साझेदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा भागीदारी में वृद्धि करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत - द हिंदू

शंघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों की 17वीं बैठक

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री ने 17 वें शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।

SCO संस्कृति मंत्रियों की बैठक के मुख्य बिंदु

- भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय परस्पर संबंध को बढ़ाने के लिए साझा बौद्ध विरासत पर प्रथम SCO प्रदर्शनी को आयोजित करने जा रहा है।
- यह प्रदर्शनी सरकार के प्रमुखों की परिषद में भारत की अध्यक्षता को रेखांकित करती है।
- भारत SCO की 20 वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2021 को संस्कृति वर्ष के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता है।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के बारे में

- यह 2001 में स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना शंघाई (चीन) में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान द्वारा गठित किया गया था।
- वर्ष 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग SCO प्रमुखों की बैठक के दौरान शंघाई सहयोग संगठन चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए और यह 2003 में अस्तित्व में आया।

आधिकारिक भाषा

- SCO की आधिकारिक भाषा रूसी और चीनी है।

भारत और SCO

- 2017 में कजाखस्तान की राजधानी अस्ताना अब नूर सुल्तान में संपन्न हुई बैठक में भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया।

SCO के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसी की भावना को मजबूत करना।
- राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, और संस्कृति के साथ-साथ शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
- क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना।
- एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नए अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ओर बढ़ना।

शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य

- यह आठ सदस्य देशों अर्थात् भारत गणराज्य, कजाकिस्तान गणराज्य, चीन जनतांत्रिक गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य, रूस, तजाकिस्तान गणराज्य, और उजबेकिस्तान गणराज्य से मिलकर बना है।;

पर्यवेक्षक देश

- अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य , बेलारूस गणराज्य , ईरान इस्लामी गणराज्य, और मंगोलिया गणराज्य।

संवाद भागीदार

- अज़रबैजान गणराज्य, आर्मेनिया गणराज्य, कंबोडिया राज्य, नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य, तुर्की गणराज्य और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य।

संगठन के दो स्थायी निकाय हैं

- a. शंघाई सहयोग संगठन सचिवालय बीजिंग में स्थित है।
- b. ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत - द हिंदू

अब्राहम समझौता

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, इज़राइल, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए।



अब्राहम समझौते के बारे में,


- यह 26 वर्षों में अरब-इजरायल का पहला शांति सौदा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ है।
- मिस्र 1979 में इजरायल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब राज्य था और जॉर्डन ने 1994 में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- समझौतों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन दूतावासों की स्थापना करेगी, राजदूतों का आदान-प्रदान करेगी, सहयोग करेगी और पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में इजरायल के साथ मिलकर काम करेगी।
- यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने का द्वार खोल देगा और इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल अल-अक्सा, येरूशलेम मस्जिद में शांतिपूर्वक प्रार्थना करने का द्वार खोलेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-अंतर्राष्ट्रीय संबंध
स्रोत-आकाशवाणी

भारत पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन में शामिल हुआ है

खबरों में क्यों है?

- भारत ने हाल ही में जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन, DCOC / JA में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है।



जिबूती आचार संहिता / जेद्दा संशोधन, DCOC / JA के बारे में

- ये लाल सागर, अदन की खाड़ी, अफ्रीका और हिन्द महासागरीय क्षेत्र में द्वीप देशों से मिलकर बना 18 सदस्य देशों का एक संगठन है
- भारत ने DCOC / JA के लिए जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हो गया है।
- DCOC, जनवरी 2009 में स्थापित किया गया था, इसका उद्देश्य पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में चोरी के दमन और हथियार बंद लूट थी।
- से है समुद्री डकैतों के दमन और सशस्त्र डकैती में जहाजों के खिलाफ पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर।

एक पर्यवेक्षक के रूप में इंडिया की भूमिका क्या है ?


- DCOC / JA के पर्यवेक्षक के रूप में, भारत DCOC / JA के सदस्य देशों के साथ हिंद महासागर से मिलकर समन्वय और बढ़ाया समुद्री सुरक्षा के लिए योगदान में हिंद महासागर क्षेत्र का सत्कार किया।।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II-अंतर्राष्ट्रीय संगठनात्मक आयन
स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

1776 आयोग

खबरों में क्यों है?

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश जारी कर "अमेरिका में राष्ट्रभक्ति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आयोग (1776 आयोग के लिए) की स्थापना का आदेश दिया है।



1776 आयोग के बारे में

- 1776 आयोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा "देशभक्ति शिक्षा" का समर्थन करने के लिए प्रस्तावित एक शिक्षा आयोग है।
- यह पहल वस्तुतः 1619 प्रोजेक्ट का विरोध करती है, जोकि पिछली चार शताब्दियों से अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास पर पुलित्जर पुरस्कार विजेता निबंधों का संग्रह है, जो गुलामी के युग से आधुनिक समय तक राष्ट्र निर्माण में काले समुदाय के योगदान पर प्रकाश डालती है।
- ट्रम्प ने इस पहल की घोषणा एक इतिहास सम्मेलन में अमेरिकी संविधान पर हस्ताक्षर की 233 वीं वर्षगांठ (17 सितंबर, 1787 के अनुसार) के अवसर पर की।
- यह दस्तावेज उस दशक में लिखा जा रहा था जिसमें 13 मूल औपनिवेशियों ने सन् 1776 में स्वयं को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित कर दिया था।

संबंधित जानकारी

क्या है 1619 प्रोजेक्ट?

- यह परियोजना द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगज़ीन की एक विशेष पहल है, जिसे 2019 में 400 वर्षों के पूरा होने के बाद शुरू किया गया था जब अगस्त 1619 में औपनिवेशिक वर्जीनिया के जेम्सटाउन में पहले गुलाम बने अफ्रीकी आए थे।
- यह निकोल हन्नाह-जोन्स के दिमाग की उपज है, जो मैकआर्थर ग्रांट विजेता पत्रकार है।
- प्रकाशन के मुख्य संपादक, जेक सिल्वरस्टीन के अनुसार, इस संग्रह का उद्देश्य "अमेरिकी इतिहास का वर्ष 1619 को हमारे राष्ट्र का जन्म वर्ष मानने के मायनों के आधार पर पुनर्गठन करना है।"

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतर्राष्ट्रीय समाचार

स्रोत- द हिंदू

G4 द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समयबद्ध सुधार की पेशकश

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में G4 - भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी समूह के विदेश मंत्रियों ने अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वर्चुअल मुलाकात की। यह समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं।



खबर के बारे में अधिक जानकारी

- G4 विदेश मंत्रियों की बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75^{वीं} वार्षिक बैठक के लिए आयोजित की गई है।
- चार देशों के विदेश मंत्रियों ने विश्व संगठन में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया और समकालिक वास्तविकताओं को बेहतर परिलक्षित करने वाली इसकी मुख्य निर्णायक पीठ में बदलाव को भी रेखांकित किया।
- यह कदम संयुक्त राष्ट्र के सुधारों पर भारत की स्थिति के अनुरूप है, जिसमें सुरक्षा परिषद की स्थायी (इसका मुख्य निर्णायक अंग) और गैर-स्थायी सदस्यता का विस्तार करना शामिल है।
- चार देशों के विदेश मंत्रियों ने एक निश्चित समय सीमा में लिखित वार्ता के लिए सहमति जाहिर की।
- भारत संयुक्त राष्ट्र में लिखित वार्ता का प्रस्तावक है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित किया गया था।
- यह संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसकी प्रमुख जिम्मेदारी है।
- परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिसमें से पांच सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी हैं, अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है।
- पांच स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं।
- सुरक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है।
- मामलों पर सुरक्षा परिषद के निर्णय नौ सदस्यों के एक सकारात्मक मतों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें स्थायी सदस्यों के वोट भी शामिल होते हैं।
- पांचों स्थायी सदस्यों में से किसी सदस्य का एक 'नहीं' मत किसी संकल्प प्रस्ताव को रोक सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र का कोई भी सदस्य जो सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है, वह सुरक्षा परिषद के सामने लाया किसी भी सवाल की चर्चा में, वोट के बिना, भाग ले सकता है जब भी उत्तरार्द्ध मानता है कि यह उस सदस्य विशेष के हितों को प्रभावित कर रहे हैं।
- परिषद् की अध्यक्षता हर महीने अपने 15 सदस्यों के बीच बदलती रहती है।
- परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है।

संबंधित जानकारी

भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद

- भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 2021-22 में 2 वर्षों के लिए गैर-स्थायी सीट के लिए अपनी दावेदारी के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में 55 सदस्यीय एशिया-प्रशांत समूह में सभी देशों की सर्वसहमति जीती है।
- भारत पहले ही 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर-स्थायी सीट धारण कर चुका है।
- कुल मिलाकर, भारत 14 साल से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है।
- यह प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के जीवन के पांचवें हिस्से के लगभग बराबर है।
- भारत अब 10 साल के अंतराल के बाद (पिछली बार 2011-12 में, जिसके बाद 20 वर्षों के अंतराल के बाद) परिषद में फिर से प्रवेश करेगा।

नोट:

- सर्वसम्मति के लिए एकजुट होना (कॉफी क्लब) उन देशों का समूह है जो इटली के नेतृत्व में UNSC में स्थायी सीटों के विस्तार का विरोध कर रहे हैं।
- इसके सदस्य हैं - इटली, स्पेन, माल्टा, सैन मैरिनो, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलम्बिया और तुर्की।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

नयी स्टार्ट (START) परमाणु संधि

खबरों में क्यों है?

- रूस की संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नई स्टार्ट संधि को आगे बढ़ाने की संभावनाएं कम हैं क्योंकि यह वाशिंगटन डी. सी. द्वारा निर्धारित शर्तें स्वीकार नहीं हैं।



नई स्टार्ट संधि के बारे में

- न्यू स्टार्ट (स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी) संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच एक परमाणु हथियार कटौती संधि है।
- संधि का औपचारिक नाम सामरिक आक्रामक हथियारों में भविष्य की कमी और उनके सीमांकन के लिए उपाय है।
- इस संधि पर प्राग में 2010 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 2011 में लागू हुई थी; इसके वर्ष 2021 तक कम से कम चलने की उम्मीद है।
- इसने मॉस्को की संधि (SORT) का स्थान लिया था।
- संधि की शर्तों के तहत, सामरिक परमाणु मिसाइल लांचरों की संख्या आधे से कम कर दी जाएगी।

- SORT तंत्र की जगह एक नया निरीक्षण और सत्यापन व्यवस्था स्थापित किया जाएगा।
- यह परिचालन रूप से निष्क्रिय भंडार परमाणु युद्ध शस्त्रों की संख्या को सीमित नहीं करता है जो रूसी और अमेरिकी दोनों आविष्कारों में उच्च हजारों में रहते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- द हिंदू

सड़क यातायात का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

खबरों में क्यों ?

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के पहले पृष्ठ पर अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन की मुहर लगाने की सलाह दी है।



संबंधित जानकारी

सड़क यातायात सम्मेलन के बारे में

- इसे सड़क यातायात पर जिनेवा सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, यह अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात के विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- सम्मेलन गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम यांत्रिक और सुरक्षा उपकरणों की जरूरत को बताती है और वाहन के मूल स्थान की पहचान करने के लिए पहचान चिह्न को परिभाषित करती है।
- यह सम्मेलन 19 सितंबर 1949 को जिनेवा में आयोजित हुआ था।

नोट:

- भारत सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

बारबाडोस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में रानी एलिजाबेथ II, जो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड सहित 15 अन्य राष्ट्रमंडल देशों की प्रमुख हैं, इन्हें अगले साल बारबाडोस द्वारा सम्राट के पद से हटा दिया जाएगा।

बारबाडोस क्यों एक गणतंत्र बनना चाहता है

- सन् 1966 में 341 साल के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद बारबाडोस ने ब्रिटिश शाही परिवार के साथ एक औपचारिक संबंध बनाए रखना चाहा, जैसा अन्य स्व-शासित राष्ट्रमंडल देश कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने किया था।



बारबाडोस के बारे में

- यह दक्षिण-पूर्वी कैरिबियन सागर का एक द्वीप देश है, जो सेंट वीसेंट और ग्रेनेडीज़ से लगभग 100 मील (160 कि.मी.) पूर्व में स्थित है।
- बारबाडोस पास ही के लेसर एंटील्स के द्वीपसमूह का हिस्सा नहीं है, हालांकि यह आमतौर पर इसके साथ ही शामिल किया जाता है।
- इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर ब्रिजटाउन है, जो कि मुख्य बंदरगाह भी है।
- इसकी राजभाषा अंग्रेजी है, परंतु गैर-मानक अंग्रेजी यानि बाजन भी बोली जाती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र - III


स्रोत- द हिंदू

आर्थिक मुद्दे

पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 23.9% तक गिरावट दर्ज हुई

खबरों में क्यों है?

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने दशकों में अपने सबसे खराब गिरावट को देखा है, अप्रैल से जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में रिकॉर्ड 23.9% की गहरी गिरावट दर्ज की गई है।
- अर्थशास्त्रियों को इस वर्ष वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद में एक भारी गिरावट आने की उम्मीद है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक सबसे खराब हो सकती है।
- अर्थव्यवस्था संकुचन के पिछले उदाहरण
- 1965-68 और 1972-73 के बीच मामूली संकुचन के चार अन्य उदाहरण हैं, लेकिन यह वर्ष स्वतंत्रता के बाद सबसे खराब होने की संभावना है।



आंकड़ों के मुख्य बिंदु

- विनिर्माण 39% से अधिक कम हो गया है, जबकि खनन और उत्खनन 23% तक गिरा है।
- यदि हम व्यय की ओर देखें, तो निजी उपभोग में 26.7% की गिरावट आई है, जबकि निवेश जोकि सकल स्थिर पूंजी निर्माण से परिलक्षित होता है, 47% गिर गया है, और निर्यात लगभग 20% तक कम हुआ है।
- कृषि एकमात्र क्षेत्र था जिसने साल-दर-साल में 3.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की।
- अन्य सभी क्षेत्रों में संकुचन देखा गया, निर्माण में 50% की गिरावट आयी है जबकि व्यापार, होटल, परिवहन, और संचार सेवाओं में 47% तक कमी आयी है।
- अर्थव्यवस्था पर प्रमुख बोझ वह संकुचन है जिसे आप निजी अंतिम उपभोग में देख रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 60% हिस्सा है।
- वार्षिक जीडीपी में 10%-12% संकुचन हुआ है, हालांकि वर्ष की अंतिम तिमाही में कुछ मामूली वृद्धि हो सकती है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के बारे में

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (MoSPI) मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) के साथ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के विलय के माध्यम से पिछले साल राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (NSO) का गठन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- एक एजेंसी के रूप में नए NSO को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) द्वारा निर्धारित केंद्रीय मानकों और राज्य की एजेंसियों की सांख्यिकीय गतिविधियों को लागू करने और बनाए रखने के लिए रंगराजन आयोग द्वारा सबसे पहले परिकल्पना की गई थी।
- इस आयोग ने देश की सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए एक नोडल और सशक्त निकाय के रूप में काम करने के लिए NSC की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसकी अध्यक्षता राज्य स्तर के निर्धारित मंत्री द्वारा की जाती थी।

संघटन

- इसकी अध्यक्षता सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन) ने की है।
- तीन महानिदेशक होंगे -DG (सांख्यिकी), DG (समन्वय, प्रशासन और नीति) और DG (राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण), जो (S & PI) सचिव को रिपोर्ट करेंगे।

पुनर्गठन का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मंत्रालय के वर्तमान नोडल कार्यों को सुव्यवस्थित और मजबूत बनाना तथा मंत्रालय के अंदर अपने प्रशासनिक कार्यों को एकीकृत करके अधिक तालमेल लाना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसियों ऑफ स्टेट्स (AREAS)

खबरों में क्यों है?

- केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स (AREAS) के 6 वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है।



एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसियों ऑफ स्टेट्स (AREAS) के बारे में

- इसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक ज्ञान साझाकरण मंच प्रदान करने के लिए नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) पहल के रूप में गठित किया गया है।
- इसे 2014 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है।
- संघटन

- केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री संघ के संरक्षक और सचिव हैं।
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संघठन का पदेन अध्यक्ष है।
- सभी SNA (राज्य नोडल एजेंसियां) संघठन की सदस्य हैं।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- महत्वपूर्ण संस्थान

स्रोत- आकाशवाणी

अधिस्थगन मामले में उधारकर्ताओं के लिए राहत

खबरों में क्यों है?

- उच्चतम न्यायालय ने बैंकों को यह निर्देश दिया है 31 अगस्त तक अधिस्थगन की सीमा समाप्त होने पर बकाया ऋण खातों को अगले आदेश तक गैर निष्पादक परिसंपत्तियों (NPA) के रूप में माना नहीं जाएगा।



संबंधित जानकारी

- एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) एक ऋण या अग्रिम धनराशि है जिसके लिए मुख्य धनराशि अथवा ब्याज का भुगतान 90 दिनों की अवधि के लिए बकाया रहता है।
- बैंकों से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को घटिया, संदिग्ध और हानि परिसंपत्तियों में वर्गीकृत करना होता है।
 - a) घटिया संपत्ति: ये वे परिसंपत्तियां हैं जो 12 महीने अथवा उससे कम अवधि के लिए NPA बनी हुई हैं।
 - b) संदिग्ध संपत्ति: ये वे परिसंपत्तियाँ हैं जो 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई हैं।
 - c) हानि परिसंपत्तियाँ: RBI के अनुसार, "हानि परिसंपत्तियों को अस्वीकार्य और इतने कम मूल्य का माना जाता है कि बैंक योग्य संपत्ति के रूप में इसकी निरंतरता पर वारंटी नहीं दी जाती है, हालांकि कुछ निस्तारण या पुनर्प्राप्ति मूल्य हो सकता है।"

कृषि ऋण के लिए NPA मापदंड

- मैं दो फसल मौसमों के लिए ब्याज और/अथवा किस्त बकाया रहती है; तो इसे NPA घोषित किया जाता है।
- लेकिन यह अवधि दो साल से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
- दो साल के बाद किसी भी बकाया ऋण/किस्त को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने EASE बैंकिंग सुधार इंडेक्स 2.0 के नतीजे जारी किए।

EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 के मुख्य बिंदु

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने मार्च -2019 और मार्च-2020 के बीच अपने कुल स्कोर में लगभग 37% की वृद्धि करके एक स्वस्थ मार्ग प्रदर्शित किया है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सभी क्षेत्रों में तकनीक-समर्थ, स्मार्ट बैंकिंग को अपनाया है, और ऋण पूर्णकाल समय को घटाने के लिए खुदरा और MSME ऋण प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना की है और डिजिटल उधार देने के लिए PSBloansin59minutes.com और TReDS को स्थापित किया है।

Top 3 banks in each theme

Top 3 banks for EASE 2.0 Index <ul style="list-style-type: none">Bank of BarodaState Bank of IndiaOriental Bank of Commerce	Theme 1: Responsible Banking <ul style="list-style-type: none">Bank of BarodaState Bank of IndiaPunjab National Bank	Theme 4: UdyamiWitra for MSMEs <ul style="list-style-type: none">Oriental Bank of CommerceState Bank of IndiaUnion Bank of India
Top 3 banks in improvement from March baseline <ul style="list-style-type: none">Bank of MaharashtraCentral Bank of IndiaCorporation Bank	Theme 2: Customer Responsiveness <ul style="list-style-type: none">State Bank of IndiaOriental Bank of CommerceBank of Baroda	Theme 5: Deepening FI & Digitalisation <ul style="list-style-type: none">Bank of BarodaCanara BankPunjab National Bank
	Theme 3: Credit Off-take <ul style="list-style-type: none">Oriental Bank of CommerceUnion Bank of IndiaState Bank of India	Theme 6: Governance and HR <ul style="list-style-type: none">State Bank of IndiaBank of BarodaPunjab National Bank

Note: Only banks with ≥80% of total weight for a theme applicable for them are considered for ranking

- बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को “शीर्ष प्रदर्शनकारी बैंक” श्रेणी में पहले तीन स्थानों पर रखा गया है।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और तत्कालीन कॉरपोरेशन बैंक को 'शीर्ष सुधार करने वाले' श्रेणी में सम्मानित किया है।

EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक के बारे में

- इसे 2018 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है।
- यह एक संवर्धित पहुंच और सेवा उत्कृष्टता (EASE) सुधार सूचकांक है।
- यह इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
- यह छह विषयों पर PSB के प्रदर्शन का विश्लेषण करता है जोकि जिम्मेदार बैंकिंग, प्रशासन और मानव संसाधन, MSME के लिए उद्यमित्र के रूप में PSB, क्रेडिट ऑफ-टेक, ग्राहक प्रतिक्रिया और वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- बैंकिंग

लोकसभा में सहकारी बैंकों को रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण में लाने के लिए विधेयक पारित हुआ खबरों में क्यों है?

- लोकसभा ने हाल ही में बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है।



विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- विधेयक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
- इसका उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक की देखरेख में सहकारी बैंकों को लाना है।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम कुछ सहकारी समितियों जैसे प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी भूमि बंधक बैंकों पर लागू नहीं होता है।
- विधेयक यह बताता है कि अधिनियम इस पर लागू नहीं होगा -

A. प्राथमिक कृषि साख समितियां

B. सहकारी समितियां जिनका प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण है।

- विधेयक रिज़र्व बैंक को स्थगन लागू किए बिना पुनर्निर्माण या समामेलन की योजना शुरू करने की अनुमति देता है।
- यह विधेयक निर्धारित करता है कि एक सहकारी बैंक इक्विटी, वरीयता, या विशेष शेयर अंकित मूल्य पर या अपने सदस्यों को या किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है जो इसके संचालन के क्षेत्र में रहते हैं।

संबंधित जानकारी

सहकारी बैंकिंग के बारे में

- एक सहकारी बैंक एक वित्तीय इकाई है जो अपने सदस्यों से संबंधित है, जो एक ही समय में अपने बैंक के मालिक और ग्राहक हैं।
- उन्हें मोटे तौर पर शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों में उनके क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
- वे संबंधित राज्य के सहकारी समितियों अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी समितियों अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत हैं।
- सहकारी बैंक भी शासित होते हैं
 - o बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949।

o बैंकिंग कानून (सहकारी समितियाँ) अधिनियम, 1955।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- बैंकिंग क्षेत्र (अर्थशास्त्र)

स्रोत- फाइनेंशियल एक्सप्रेस

संवेदना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने परामर्श और मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए COVID -19 के दौरान प्रभावित बच्चों के लिए 'संवेदना' नामक एक टोल-फ्री टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-121-2830 शुरू किया है।

The infographic is titled 'National Commission for Protection of Child Rights (NCPCH)' and provides details about the 'Samvedna Toll free Tele Counselling' service. It includes the NCPCH logo, the address '5th Floor, Chandernagore Building, 36 Janpath, New Delhi-110001', and the service's purpose: 'Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance'. The service is available from 10 am to 1 pm and 3 pm to 8 pm (Monday to Saturday). It is exclusively for children who are willing to talk and in need of counselling during COVID times. The service is provided by experts/professional counselors to assist with any discomfort or concern. The toll-free number is 18001212830. The infographic also features social media handles for NCPCH: Facebook (/NCPCH.Official), Twitter (@NCPCH), YouTube (/channel/NCPCH), and Instagram (@ncpcr).

संवेदना के बारे में

- SAMVEDNA का पूरा नाम Sensitizing Action on Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary Acceptance है।
- यह एक टोल-फ्री टेली काउंसलिंग है जो बच्चों में तनाव, चिंता, भय और अन्य मुद्दों को संबोधित करने में सक्षम होगा।
- टेली काउंसलिंग की सेवा पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी बच्चों को प्रदान की जाएगी। इस कठिन समय में बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए NIMHANS की विशेषज्ञ टीम द्वारा काउंसलरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है।
- इस पहल को तकनीकी सहायता राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) द्वारा काउंसलरों के प्रशिक्षण में प्रदान की गई है।

संबंधित जानकारी

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में

- यह मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक कानूनी निकाय है।
- यह महिला और बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- इस आयोग के अंतर्गत, 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों का संरक्षण समान महत्व का है।

अधिदेश

- यह सुनिश्चित करना कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकारों के दृष्टिकोण और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1989 के अनुरूप हैं।

शक्तियाँ

- यह आयोग यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
- यह शिकायतों पर जांच करता है और सुओ मोटो संबंधित मामले दर्ज करता है:
- A. यह कानून के उल्लंघन के बारे में शिकायतों में पूछताछ कर सकता है और मजिस्ट्रियल जांच, व्यक्तिगत समन, तथा सबूत की मांग कर सकता है।
- B. बाल अधिकारों का अभाव और उल्लंघन।
- C. बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए प्रदान करने वाले कानूनों का गैर कार्यान्वयन।
- D. बच्चों पर बरती जाने वाली कठोरता को कम करने और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित नीति निर्णयों, दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन और ऐसे बच्चों को राहत पहुँचाना और ऐसे मामलों से उठने वाले मुद्दों को उचित प्राधिकरण तक पहुँचाना।

NIMHANS के बारे में

- भारत का राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलुरु में स्थित एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है।
- यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
- हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) के न्यूरोसाइंटिस्ट्स की एक टीम ने इंडियन ब्रेन टेंपलेट्स (IBT) और एक ब्रेन एटलस विकसित किया है।

ब्रेन टेंपलेट्स

- यह रोग की स्थिति में मस्तिष्क की कार्यक्षमता को समझने के लिए विभिन्न मस्तिष्क छवियों का एक सकल प्रतिनिधित्व है।

ब्रेन एटलस

- यह पांच आयु वर्ग यानि बाद की वयस्कता से बाद के बचपन (छह से 60 वर्ष) को कवर करने के लिए विकसित किया गया है।

नोट:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS) की राह (RAAH) ऐप मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जनता को मुफ्त जानकारी प्रदान करती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- स्वास्थ्य मामले

स्रोत- द हिंदू

उपकर

खबरों में क्यों है?

- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने सरकारी खातों की अपनी नवीनतम ऑडिट रिपोर्ट में पाया है कि भारत की समेकित निधि (CFI) में केंद्र सरकार ने 2018-19 में विभिन्न उपकरणों के तहत लगभग ₹2.75 लाख में से 1.1 लाख करोड़ रुपए रखा है।
- CAG ने इसे आपत्तिजनक पाया है क्योंकि उपकर को उन निर्दिष्ट रेज़र फंड में स्थानांतरित किया जाना है जिन्हें संसद ने इनमें से प्रत्येक देयताओं के लिए अनुमोदित किया है।

सेस और सरचार्ज के बारे में

- संविधान केंद्र को उपकर और अधिभार लगाने की अनुमति देता है जिसे उसे राज्य सरकारों के साथ बांटने की जरूरत नहीं होती है।

- दोनों उपकर और अधिभार प्रकृति में अस्थायी हैं।

“ Out of ₹2,74,592cr received from 35 cesses, levies and other charges in 2018-19, only ₹1,64,322cr had been transferred to reserve funds/ boards during the year and the rest was retained in the CFI (Consolidated Fund of India) —CAG report

उपकर क्या है?

- संविधान का अनुच्छेद 270 उपकर को उन करों के विभाज्य पूल के दायरे से बाहर रखने की अनुमति देता है जिन्हें केंद्र सरकार को राज्यों के साथ साझा करना चाहिए।
- संघ या राज्य सरकारों द्वारा उपकर लगाया जा सकता है।
- 2017 में GST की शुरुआत के साथ अधिकांश उपकरों को हटा दिया गया और अगस्त 2018 तक, हम केवल सात उपकरों का ही भुगतान कर रहे हैं।

ये उपकर थे -

- a. निर्यात पर उपकर
- b. कच्चे तेल पर उपकर
- c. स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर
- d. सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर
- e. भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर
- f. तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क और GST क्षतिपूर्ति उपकर।
- g. वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगाया गया नवीनतम उपकर आयातित चिकित्सीय उपकरणों पर 5% का स्वास्थ्य उपकर है।

अधिभार के बारे में

- एक अधिभार संघ के प्रयोजन के लिए कर के ऊपर एक कर लगाना है।
- इसे संविधान के अनुच्छेद 271 में शामिल किया गया है।
- कभी-कभी, एक निश्चित राशि खर्च पर अधिभार भी लगाया जाता है। यह व्यय की राशि पर प्रतिशत के रूप में लागू होता है।
- अधिभार धनराशि के रूप में प्राप्त धनराशि भी भारत की संचित निधि (CFI) में जमा होती है, और इसे सामान्य कर की तरह, किसी भी प्रयोजन के लिए खर्च किया जा सकता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

योजनायें, रिपोर्ट एवं समितियां

वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 रैंकिंग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII), 2020 जारी किया गया है।
- वैश्विक नवाचार सूचकांक, 2020 का विषय: नवाचार को वित्त कौन प्रदान करेगा?



वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में

- यह एक वार्षिक रैंकिंग है जो सभी देशों में राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति को निर्धारित करती है।
- यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO), कॉर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है।

वैश्विक नवाचार सूचकांक दो उप-सूचकांकों पर निर्भर करता है:

- a. इनोवेशन इनपुट उप-सूचकांक
- b. इनोवेशन आउटपुट उप-सूचकांक

ये उप-सूचकांक कई प्रमुख स्तंभों, इनपुट स्तंभ और आउटपुट स्तंभ के आसपास बनाए गए हैं:

इनपुट स्तंभों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के तत्वों को शामिल किया जाता है, जिनसे नवाचार गतिविधियाँ संभव हो पाती हैं। इनमें शामिल हैं:

- संस्थान
- मानव पूंजी और अनुसंधान
- बुनियादी संरचना

- बाजार विशेषज्ञता
- व्यावसायिक विशेषज्ञता।

आउटपुट स्तंभों में नवाचार आउटपुट के वास्तविक साक्ष्य को शामिल किया जाता है। इसमें शामिल हैं:

- ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट
- रचनात्मक आउटपुट

सूचकांक के प्रमुख बिंदु

वैश्विक प्रदर्शन

- स्विट्जरलैंड इस सूचकांक में सबसे ऊपर है जिसके बाद क्रमशः स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड का स्थान है।

भारत का प्रदर्शन

- भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हुआ है, जो चार पायदान चढ़कर 48 वें स्थान पर पहुँचा है।
- भारत मध्य और दक्षिणी एशिया में सबसे अभिनवी देश और दुनिया की तीसरी सबसे अभिनवी निम्न-मध्य-आय अर्थव्यवस्था बना रहा।
- वर्ष 2019 में भारत 52 वें पायदान पर था वर्ष 2015 में इसकी स्थिति 81 वें स्थान पर थी।
- दुनिया भर के अत्यधिक अभिनवी विकसित राष्ट्रों के समूह में शामिल होना एक विशिष्ट उपलब्धि है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

मोपला दंगाई स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं: रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- 2016 में भारतीय एतिहासिक शोध परिषद (ICHR) को सौंपी गई एक रिपोर्ट में वैगन त्रासदी पीड़ितों और मालाबार विद्रोह के नेताओं की सूची से हटाने की सिफारिश की गई थी।



विवाद क्या है?

- हाल ही में प्रधानमंत्री ने 2019 में शहीदों का शब्दकोश: भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष 1857-1947, जारी किया था।
- भारतीय एतिहासिक शोध परिषद ने मोपला नेताओं पर एक रिपोर्ट बनाने का काम दिया है, जिनके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इन्होंने सैकड़ों हिंदुओं को मार डाला और कई लोगों को इस्लाम में धर्म परिवर्तन कराया था, उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में जगह मिली।

- एक ICHR सदस्य ने परिषद में 2016 रिपोर्ट जमा की थी जब दक्षिण भारत से स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों पर पाँचवाँ अंक समीक्षा के लिए आया था।
- इस रिपोर्ट के अनुसार "हाजी" एक कुख्यात मोपला दंगाई नेता और "कट्टर अपराधी" था, जिसने 1921 मोपला दंगा के दौरान असंख्य निर्दोष हिन्दू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को मार डाला, और उनके शरीरों को स्थानीय रूप से ज्ञात थुवर किनार में दफना दिया।
- हाजी को सेना ने गिरफ्तार किया, और सैन्य अदालत द्वारा मुकदमा चलाया गया और 20 जनवरी 1922 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी।

संबंधित जानकारी

मालाबार / मोपला विद्रोह के बारे में

- वर्ष 2021, 1921 के मालाबार / मोपला विद्रोह की 100 वीं वर्षगांठ होगी।
- मालाबार विद्रोह, जिसे मोपला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, 1921 में केरल के मप्पिला मुसलमानों द्वारा किया गया एक सशस्त्र विद्रोह था।
- यह विद्रोह मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार के हिन्दू जमींदारों के विरुद्ध हुआ था।

प्रमुख नेता

- विद्रोह के प्रमुख नेता अली मुसालियार और वरियानकुन्ननाथ कुंजाहम्मद हाजी थे।

मोपला विद्रोह का घटनाक्रम

- अगस्त 1920 में, गांधी जी के साथ-साथ शौकत अली (भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता) ने कालीकट का दौरा किया और मालाबार के निवासियों के बीच असहयोग और खिलाफत का संयुक्त संदेश फैलाने का प्रयास किया।
- गांधी जी के आह्वान पर, मालाबार और मप्पिलास में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, उनके तहत पोन्नानी के अपने धर्म प्रमुख महादुम तंगाल के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का समर्थन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।
- उसी समय, अंग्रेजों द्वारा संरक्षित जमींदारों की दमनकारी नीतियों के कारण निम्न श्रेणी के किसानों की स्थिति खराब होती जा रही थी।
- इसमें व्यापक हिंसा हुई जिसमें हिंदुओं और ब्रिटिश अधिकारियों को व्यवस्थित ढंग से सताया गया। इसमें कई घरों और मंदिरों को नष्ट किया गया था।

वैगन त्रासदी

- नवंबर 1921 में, 67 मोपला कैदियों की मौत तब हो गई जब वे एक बंद माल गाड़ी में तिरूर से पोडानूर में केन्द्रीय कारागार ले जाए जा रहे थे जिसमें दम घुटने से उनकी मौत हो गयी थी।
- इस घटना को वैगन त्रासदी कहा जाता है ।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के बारे में,

- यह तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के एक प्रशासनिक आदेश द्वारा स्थापित मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है ।
- यह निकाय फेलोशिप, अनुदान और संगोष्ठी के माध्यम से इतिहासकारों और विद्वानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है ।
- ICHR को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग से अनुदान सहायता प्राप्त होती है, इसके अलावा विभिन्न भारतीय राज्यों, निजी दान और ICHR के प्रकाशनों की बिक्री से राजस्व की प्राप्ति होती है।

- आईसीएचआर दिल्ली में स्थित है, इसके साथ ही पुणे (महाराष्ट्र), बंगलुरु (कर्नाटक) और गुवाहाटी (असम) में क्षेत्रीय केंद्र हैं।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - इतिहास

स्रोत- द हिंदू

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नीति आयोग को सुधारों लाने हेतु वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) के निगरानी तंत्र का लाभ उठाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- वैश्विक MPI भारत सरकार के 29 चयनित वैश्विक सूचकांकों में देश के प्रदर्शन पर निगरानी करने के निर्णय का एक हिस्सा है।
- "सुधारों और विकास (GIRG) को प्रेरित करने हेतु वैश्विक सूचकांक" अभ्यास का उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मानकों पर भारत के प्रदर्शन को माप एवं निगरानी करने की आवश्यकता को पूरा करना है।
- नीति आयोग ने एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक समन्वय समिति (MPICC) का गठन किया है।



© Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)

संबंधित जानकारी

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में

- यह 107 विकासशील देशों को सम्मिलित करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता माप है।
- इसे पहली बार 2010 में ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल (OPHI) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा विकसित किया गया था।
- यह प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास पर उच्च-स्तरीय राजनीतिक मंच (HLPF) में जारी होती है।
- इसकी गणना पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, और घरेलू संपत्ति पर आधारित 10 मापदंडों पर प्रत्येक सर्वेक्षण परिवार के स्कोर के आधार पर की जाती है।

- यह राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) का इस्तेमाल करती है जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (MoHFW) मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है।

MPI 2020 में भारत की रैंकिंग

- भारत 107 देशों में 62 वें स्थान पर है, जिसका MPI 0.123 अंक है और वैश्विक MPI 2020 में हेडकाउंट अनुपात 27.91% है।
- पड़ोसी देशों में श्रीलंका (25 वें), भूटान (68 वें), नेपाल (65 वें), बांग्लादेश (58 वें), चीन (30 वें), म्यांमार (69 वें) और पाकिस्तान (73 वें) स्थान पर हैं।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - महत्वपूर्ण सूचकांक

स्रोत- PIB

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना

खबरों में क्यों है?


- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 सितम्बर 2020 को डिजिटल रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) की शुरुआत कर रहे हैं।



संबंधित जानकारी

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में

- यह देश में मत्स्य पालन क्षेत्र में एक केंद्रित और सतत विकास के लिए शुरू की गयी एक प्रमुख योजना है।
- यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान लागू की जाएगी।



इस योजना के दो अलग-अलग घटक होंगे -

- केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS)
- केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना (CSS)
- केन्द्रीय क्षेत्र योजना घटक के तहत 1,720 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है।
- केन्द्र प्रायोजित योजना (CSS) घटक के तहत, 18,330 करोड़ रुपए की निवेश राशि की परिकल्पना की गई है।
- PMMSY योजना मुख्य रूप से 'समूह अथवा क्षेत्र आधारित उपागमों' को अपनाने और पिछड़े और अगड़े को जोड़कर मत्स्य समूहों के निर्माण पर ध्यान देती है।



PMMSY का लक्ष्य एवं उद्देश्य

- एक धारणीय, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत ढंग से मत्स्य पालन की क्षमता का दोहन करना।
- भूमि और पानी के विस्तार, गहनता, विविधीकरण और उत्पादनशील उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
- मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण करना - फसल कटाई के बाद प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार

- d) मछुआरों और मछली किसानों की आय और रोजगार सृजन को दोगुना करना
- e) कृषि GVA और निर्यात में योगदान बढ़ाना
- f) मछली पकड़ने वाले और मछली पालने वाले किसानों के लिए सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना
- g) मजबूत मत्स्य प्रबंधन और नियामकी ढांचा

इच्छित लाभार्थी:

- मछली पकड़ने वाले, मछली किसान, मछली कर्मचारी, मछली दुकानदार, SC /ST/ महिला/ विशेष रूप से समर्थ व्यक्ति, मत्स्य सहकारी संगठन/ संघ, FFPO, मत्स्य विकास निगम, स्वयं सहायता समूह (SHG/ संयुक्त देयता समूह (GLJ) और व्यक्तिगत उद्यमि शामिल हैं।

मछली पालन क्षेत्र से संबंधित अन्य उद्घाटन

ई-गोपाला ऐप

- यह किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है।
- वर्तमान में देश में पशुधन का प्रबंधन करने वाले किसानों के लिए कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं है जिसमें सभी रूपों में रोग-मुक्त जर्मप्लाज्म खरीदना और बेचना शामिल है।
- किसानों को उनके क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं अभियानों के बारे में सचेत करने (टीकाकरण, गर्भावस्था, बढड़े आदि) के बारे में जानकारी देने के लिए कोई तंत्र नहीं है।
- ई-गोपाला ऐप इन पहलुओं पर किसानों को समाधान प्रदान करेगा।

नोट:

- प्रधानमंत्री सीतामढ़ी में प्रथम शिशु बैंक और किशनगंज में जलीय रोग रेफरल प्रयोगशाला की स्थापना करेंगे, जिसके लिए सहायता PMMSY के तहत प्रदान की गई है।
- ये सुविधाएं मछली किसानों के लिए गुणवत्ता और सस्ती मछली बीज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करके और मछली के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगी और रोग निदान के साथ-साथ पानी और मिट्टी परीक्षण सुविधाओं की आवश्यकता को भी पूरा करेंगी।
- वह नीली क्रांति के तहत मधेपुरा में एक यूनिट फिश फीड मिल और पटना में 'फिश ऑन व्हील्स' की दो इकाइयों का उद्घाटन करेंगे।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- महत्वपूर्ण योजना

स्रोत-PIB

बाल मृत्यु दर

खबरों में क्यों है?

- यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बाल मृत्यु दर में वर्ष 1990 और 2019 के बीच काफी गिरावट आई है।
- नई मृत्यु दर पर इस रिपोर्ट को UNICEF, WHO, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग और विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया है।



रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- भारत में पांच वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर (1,000 जीवित जन्मों में मृत्यु) वर्ष 1990 में 126 से वर्ष 2019 में घटकर 34 रह गई है।
- देश ने वर्ष 1990-2019 के दौरान पांच साल से कम आयु की मृत्यु दर में 4.5 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट देखी है।
- भारत में पांच वर्ष से नीचे मृत्यु की संख्या 1990 में 3.4 मिलियन से घटकर 2019 में 824,000 रह गई।
- भारत में शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्मों में मृत्यु) 1990 में 89 से घटकर पिछले वर्ष 28 हो गई है।

बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकारी पहल

भारत नवजात कार्य योजना (INAP)

- इसे "एकल अंक नवजात मृत्यु दर" और "एकल अंक स्थिर-जन्म दर" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ठोस प्रयासों के लिए 2014 में शुरू किया गया था।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी, ग्रामीण आबादी (विशेष रूप से कमजोर वर्ग) को एक सुलभ, सस्ती, और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल पहुँचाने के लिए देश में बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली प्रदान करना है।
- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उपघटक

- a. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)
 - b. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)
- इसके मुख्य क्रियान्वयनकारी घटकों में प्रजननकारी-मातृत्व-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH + A) और संक्रमण और गैर-संक्रमण रोगों के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना शामिल है।
 - जननी सुरक्षा योजना (JSY) और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) आदि को शिशु मृत्यु दर की सर्वव्यापकता को कम करने हेतु संस्थागत साधनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III -स्वास्थ्य

स्रोत-आकाशवाणी

फाइव स्टार गांव योजना

खबरों में क्यों है?

- डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख डाक योजनाओं की सर्वव्यापी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए फाइव स्टार गांव नाम से एक योजना शुरू की है।
- यह योजना महाराष्ट्र में पायलट आधार पर लागू की जा रही है।

फाइव स्टार गांव योजना के बारे में

- यह योजना गांवों तक, विशेष रूप से आंतरिक गांवों तक जन जागरूकता के अंतर को कम करने और डाक उत्पादों को पहुंचाने का प्रयास करेगी।
- फाइव स्टार गांव योजना के तहत, सभी डाक उत्पादों एवं सेवाओं को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध और विपणन और प्रचारित किया जाएगा।
- ग्रामीणों की सभी संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए शाखा कार्यालय वन-स्टॉप दुकान के रूप में कार्य करेंगे।
- फाइव स्टार योजना के तहत शामिल की गई योजनाएं हैं:
 1. बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाता, NSC / KVP प्रमाणपत्र
 2. सुकन्या समृद्धि खाता/ PPF खाता
 3. वित्त पोषित डाकघर बचत खाता जो भारत डाक भुगतान बैंक खाते से जुड़ा हुआ है
 4. डाक जीवन बीमा पॉलिसी / ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी
 5. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता / प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता वर्गीकरण
- यदि कोई गाँव उपरोक्त सूची में से चार योजनाओं के लिए सर्वव्यापी पहुँच प्राप्त करता है, तो उस गाँव को चार सितारा (फोर स्टार) दर्जा दिया जाता है।
- यदि गाँव इनमें से किन्हीं तीन योजनाओं की सर्वव्यापी पहुँच को सुनिश्चित करता है, तो उसे तीन सितारा (थ्री स्टार) दर्जा दिया जाता है।

योजना की क्रियान्वयन टीम

- इस योजना को पांच ग्रामीण डाक सेवकों की टीम द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिन्हें डाक विभाग के सभी उत्पादों, बचत और बीमा योजनाओं के विपणन के लिए एक गाँव सौंपा जाएगा।
- यह टीम संबंधित शाखा कार्यालय के शाखा पोस्टमास्टर के नेतृत्व में कार्य करेगी।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- शासन

स्रोत-PIB

महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र का आयोग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECWOC) के एक निकाय महिलाओं की स्थिति पर आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है।
- भारत 2021 से 2025 तक चार वर्षों के लिए इस प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य रहेगा।



महिलाओं की स्थिति पर आयोग के बारे में,

- यह एक प्रमुख वैश्विक अंतर-सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
- यह आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) का एक कार्यात्मक आयोग, इसे ECOSOC संकल्प 11 (II) द्वारा 21 अक्टूबर 1946 में स्थापित किया गया था।
- महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने में CSW की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो दुनियाभर में महिलाओं की जिंदगी की वास्तविकता को लेखा-जोखा बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण और लिंग समानता पर वैश्विक मानकों को आकार देने की कोशिश करता है।
- यह महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है, और दुनियाभर में महिलाओं की जिंदगी की वास्तविकता का लेखा-जोखा बनाने और महिलाओं के सशक्तिकरण और लिंग समानता पर वैश्विक मानकों को आकार देने की कोशिश करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देश किसी भी एक समय में आयोग के सदस्य के रूप में भूमिका निभाते हैं।

संबंधित सूचना

संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) के बारे में

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंग के रूप में ECOSOC की स्थापना की थी।
- यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमति विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद और सिफारिशों के लिए प्रमुख निकाय है।
- इसमें 54 सदस्य होते हैं, जिनका चयन महासभा द्वारा तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है।
- परिषद में सीटें भौगोलिक प्रतिनिधि के आधार पर आवंटित होती हैं।
- एशियाई देशों के लिए 11 सीटें आवंटित की गई हैं।
- तीन वर्षों के लिए ECOSOC के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए किसी देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है।
- परिषद के प्रत्येक सदस्य का अपना एक मत होता है और प्रायः मतदान साधारण बहुमत विधि के आधार पर किया जाता है।
- अध्यक्ष को एक वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

भारत और ECOSOC

भारत ECOSOC का एक सदस्य है - (1 जनवरी 2018 से - 31 दिसंबर 2020 तक)

वर्ष 2018 में, भारत को ECOSOC के तहत काम करने वाली विभिन्न महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के लिए चुना गया था जैसे :

- a. वर्ष 2019-2023 की अवधि के लिए गैर-सरकारी संगठनों की समिति और भारत को सबसे अधिक मत मिले, इसके बाद पाकिस्तान को अधिक मत मिले।
- b. वर्ष 2018 - 2021 की अवधि के लिए जनसंख्या और विकास पर आयोग ।
- c. वर्ष 2018-2022 की अवधि के लिए सामाजिक विकास के लिए आयोग ।
- d. वर्ष 2019 - 2021 की अवधि के लिए अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय आयोग।
- e. वर्ष 2019-2021 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP), संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA), संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवाओं (UNOPS) के कार्यकारी बोर्ड के लिए परिषद।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अंतर्राष्ट्रीय संगठन


स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं तकनीक

मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में टोगो अफ्रीका में पहला देश बन गया है जिसने मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस को समाप्त किया है।
- यहाँ पिछले 10 वर्षों में एक भी मामले को दर्ज नहीं किया गया है।



मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के बारे में

- इसे नींद की बीमारी के रूप में भी जाना जाता है, यह एक बीमारी है जो संक्रमित सीसी मक्खियों द्वारा संक्रमित परजीवियों द्वारा होती है।
- WHO के अनुसार, नींद की बीमारी वर्तमान में 36 उप-सहारा अफ्रीकी देशों में पाई जाती है।
- सही उपचार न मिलने पर, यह रोग जानलेवा भी साबित हो सकता है।

नींद की बीमारी दो प्रकार की होती है।

a. ट्रिपैनोसोमा ब्रूसि गैबिएंस

- यह पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के 24 देशों में पाए जाने वाले परजीवी के कारण होता है।
- WHO द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन अनुमानों के अनुसार, 2019 में नींद की बीमारी के 88% से अधिक मामलों का पता चला था।

b. ट्रिपैनोसोमा ब्रूसि रोडोडिएन्सी

- यह परजीवी पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के 13 देशों में पाया गया था।
- यह प्रकार 2019 में शेष 12% मामलों के लिए जिम्मेदार है।



टोगो के बारे में,

- टोगो पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमा पश्चिम में घाना, पूर्व में बेनिन और उत्तर में बुर्किना फासो है।
- यह देश दक्षिण की ओर गिनी की खाड़ी तक फैला हुआ है।
- यह अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह है।
- इसकी राजधानी लोमे है।
- यह अफ्रीका के सबसे छोटे देशों में से एक है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- डाउन टू अर्थ

रोबोट रक्षक

खबरों में क्यों है?

- कोविड 19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए, रेलवे ने एक **स्वास्थ्य सहायक रोबोट रक्षक** तैयार किया है जो डॉक्टर और रोगी के बीच दूर से संवाद कर सकता है।



विशेषताएं

- चिकित्सा सहायता रोबोट तापमान, नाड़ी, ऑक्सीजन प्रतिशत जैसे स्वास्थ्य मापदंडों को माप सकता है।

- यह रोगियों को दवा, भोजन भी प्रदान कर सकता है और डॉक्टर और रोगी के बीच दो-तरफ़ा वीडियो संचार कर सकता है।
- यह 150 मीटर दूर से संचालन सीमा के साथ सभी स्तरों पर सभी दिशाओं में आगे बढ़ सकता है।
- एक बार पूरी तरह चार्ज होने पर, रक्षक रोबोट 6 घंटे तक लगातार काम कर सकता है और अपनी ट्रे में 10 किलो तक वजन ले जा सकता है।
- यह वाई-फाई से चलता है और इसलिए इसे किसी मोबाइल डेटा की आवश्यकता नहीं है।
- यह एक एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन के साथ भी संचालित होता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत-आकाशवाणी

क्षुद्रग्रह 465824 2010 FR

खबरों में क्यों है?

- नासा क्षुद्रग्रह 465824 2010 FR पर नज़र बनाए हुए है जो आकार में गीज़ा के पिरामिड से दुगना बड़ा है और है 6 सितंबर को पृथ्वी की कक्षा को पार करने की उम्मीद है।
- इसे नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) और संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (PHA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



संबंधित जानकारी

नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) के बारे में

- नासा के अनुसार, NEO एक शब्द है जिसका उपयोग "धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों का वर्णन करने के लिए किया गया है, जो पास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परिक्रमा करते हैं जिससे वे पृथ्वी के बगल से होकर गुजरने की अनुमति देता है।
- ये वस्तुएं ज्यादातर पानी की बर्फ से बनी होती हैं, जिसमें धूल के कण होते हैं।

संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (PHA) के बारे में

- वर्तमान में उन्हें उन मापदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो क्षुद्रग्रह की क्षमता को मापने के लिए पृथ्वी के करीब आने का खतरा पैदा करते हैं।
- विशेष रूप से, 0.05 au या उससे कम की न्यूनतम कक्षा प्रतिच्छेदन दूरी (MOID) वाले सभी क्षुद्रग्रहों को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह माना जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

AUDEs 01 आकाशगंगा

खबरों में क्यों है?

- इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (IUCAA) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सबसे शुरुआती आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है जिसे AUDEs01 नाम दिया गया है।
- इसे भारत की पहली बहु-तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला 'एस्ट्रोसैट' की मदद से खोजा गया है।
- यह आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है।

संबंधित जानकारी

एस्ट्रोसैट के बारे में

- ASTROSAT भारत की पहली समर्पित बहु-तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है।
- यह भूमध्यरेखीय कक्षा के निकट 650 किमी में भारतीय सुदूर संवेदन – श्रेणी (IRS) उपग्रह पर एक बहुतरंगदैर्घ्य खगोलिकी मिशन है।
- इसे इसरो द्वारा 2015 में भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV- C30 (ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान) द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था।
- यह पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्स-रे, ऑप्टिकल और यूवी वर्णक्रमीय बैंडों के साथ-साथ अपने पांच अद्वितीय एक्स-रे और पराबैंगनी दूरबीनों के साथ मिलकर काम करना है।

अनोखी विशेषता

- एस्ट्रोसैट मिशन की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह एक ही उपग्रह के साथ विभिन्न खगोलीय पिंडों की एक साथ बहु-तरंगदैर्घ्य पर्यवेक्षण को सक्षम बनाता है।
- एस्ट्रोसैट के लिए जमीनी निर्देश और नियंत्रण केंद्र इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क (ISTRAC), बंगलौर, भारत में स्थित है।

ASTROSAT मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य हैं:

1. बाइनरी स्टार सिस्टम में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना जिसमें न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल होते हैं
2. न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना
3. हमारी आकाशगंगा के बाहर स्थित तारामंडल में तारे के जन्म क्षेत्रों और उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं का अध्ययन करना
4. आकाश में नए संक्षिप्त उज्ज्वल एक्स-रे स्रोतों का पता लगाना
5. पराबैंगनी क्षेत्र में ब्रह्मांड के एक सीमित गहरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करना

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- AIR

क्षुद्रग्रह 465824 2010 FR

खबरों में क्यों है?

- नासा क्षुद्रग्रह 465824 2010 FR पर नज़र बनाए हुए है जो आकार में गीज़ा के पिरामिड से दुगना बड़ा है और है 6 सितंबर को पृथ्वी की कक्षा को पार करने की उम्मीद है।
- इसे नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) और संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (PHA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।



संबंधित जानकारी

नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) के बारे में

- नासा के अनुसार, NEO एक शब्द है जिसका उपयोग "धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों का वर्णन करने के लिए किया गया है, जो पास के ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में परिक्रमा करते हैं जिससे वे पृथ्वी के बगल से होकर गुजरने की अनुमति देता है।
- ये वस्तुएं ज्यादातर पानी की बर्फ से बनी होती हैं, जिसमें धूल के कण होते हैं।

संभावित खतरनाक क्षुद्रग्रह (PHA) के बारे में

- वर्तमान में उन्हें उन मापदंडों के आधार पर परिभाषित किया गया है जो क्षुद्रग्रह की क्षमता को मापने के लिए पृथ्वी के करीब आने का खतरा पैदा करते हैं।
- विशेष रूप से, 0.05 au या उससे कम की न्यूनतम कक्षा प्रतिच्छेदन दूरी (MOID) वाले सभी क्षुद्रग्रहों को संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्रग्रह माना जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

हाइपरसोनिक तकनीक प्रदर्शक यान

खबरों में क्यों है?

- भारत ने स्क्रेमजेट इंजन द्वारा संचालित स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक तकनीक प्रदर्शक यान (HSTDV) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यह यान अगली पीढ़ी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्माण खंड के रूप में काम करेगा।



हाइपरसोनिक तकनीक प्रदर्शक यान के बारे में

- HSTDV हाइपरसोनिक (हवा से तेज गति) उड़ाने के लिए एक मानवरहित स्क्रेमजैट प्रदर्शक यान है।
- इसे हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों के लिए एक वाहक वाहन के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसे कम कीमत पर छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के साथ इसके विभिन्न नागरिक अनुप्रयोगों में शामिल किया जाएगा।
- HSTDV कार्यक्रम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

महत्त्व

- यह देश में एक प्रमुख तकनीकी सफलता है।
- अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन गया, जिसने ऐसी तकनीक का विकास और परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति से छह गुना तेज गति से यात्रा करने वाली मिसाइलों के लिए मार्ग तैयार करेगी।
- एक सिद्ध ठोस रॉकेट मोटर का उपयोग करके हाइपरसोनिक क्रूज़ यान को प्रक्षेपित किया गया था जो 30 किमी की ऊंचाई तक गया, जहाँ वायुगतिकीय ऊष्मा कवच हाइपरसोनिक गति से अलग हुआ था।
- हाइपरसोनिक दहन निरंतर जारी रहा और क्रूज़ यान ध्वनि की गति से छह गुना अधिक गति से अपनी एच्छक उड़ान मार्ग पर चलता रहा, जोकि 20 सेकण्ड से अधिक समय के लिए 2 किमी/सेकण्ड तक रही।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

'रियल मेंगो' सॉफ्टवेयर

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने "रियल मेंगो" नामक अवैध सॉफ्टवेयर के संचालन पर रोक लगा दी है।



रियल मेंगो सॉफ्टवेयर के बारे में

- यह IRCTC (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन) पर सुनिश्चित रेलवे आरक्षण अलग करने के लिए विकसित किया गया अवैध सॉफ्टवेयर है।


- पहले इस अवैध सॉफ्टवेयर को "रेयर मैंगो" कहा जाता था (बाद में इसका नाम बदलकर "रियल मैंगो" कर दिया गया)
- सॉफ्टवेयर कई आईडी के माध्यम से IRCTC सर्वर में प्रवेश करता है।
- यह कैप्चा को दरकिनार कर देता है और मोबाइल ऐप की मदद से बैंक ओटीपी के साथ सिंक भी हो जाता है और स्वचालित रूप से टिकट बुक करने के लिए इसे अपेक्षित फॉर्म में फीड कर देता है।
- यह यात्री का विवरण भी अपने आप भरता है और प्रपत्रों में भुगतान विवरण पूरी प्रक्रिया को त्वरित और कम समय लेने वाली प्रक्रिया बनाता है।
- यह भारतीय रेल टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया को एक तेज गति से पूरा करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
स्रोत- द हिंदू

शुक्र पर जीवन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में खगोलविदों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा शुक्र ग्रह के वातावरण में फॉस्फीन गैस की खोज ने पड़ोसी ग्रह पर जीवों की उपस्थिति की संभावना से जुड़ी वैश्विक उत्सुकता पैदा कर दी है।
- 14 सितम्बर को नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित एक शोध में यह अनुमान लगाया गया है कि इस ग्रह के वायुमंडल में अल्प मात्रा - प्रत्येक बिलियन अणु में केवल 20 अणु, में फॉस्फीन गैस पायी जाती है।
- उतनी मात्रा में फॉस्फीन गैस के उत्पादन के लिए वहाँ रहने वाले जीवों को अपनी अधिकतम उत्पादन क्षमता के 10 प्रतिशत पर काम करना होगा।




पृथ्वी पर फॉस्फीन कैसे उत्पन्न हुई?

- यह औद्योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हुई है।
- यह एक रंगहीन लेकिन बदबूदार गैस है, जो केवल बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियों द्वारा ही उत्पन्न होती है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं।
- पृथ्वी पर जीवाणु जो फॉस्फीन निकालते हैं वे खनिजों अथवा दूसरे जैविक पदार्थों से फॉस्फेट का अंतर्ग्रहण करते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ऊर्जा पैदा करने के लिए इसे हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं और उप-उत्पाद के रूप में फॉस्फीन गैस मुक्त करते हैं।

महत्व

- यह पृथ्वी से दूर जीवन की संभावना का अभी तक का सबसे विश्वसनीय प्रमाण है।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि यह चंद्रमा या मंगल ग्रह पर पानी की खोज की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
- यह खोज आगे शुक्र मिशन के लिए रुचि को प्रेरित कर सकती है। शुक्र ग्रह के लिए मिशन कोई नई बात नहीं है। अंतरिक्ष यान 1960 के दशक के बाद से ग्रह के पास से गुजरते रहे हैं, और उनमें से कुछ ने लैंडिंग भी की है।
- वास्तव में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भी निकट भविष्य में शुक्राण्यन नाम से एक शुक्र मिशन की योजना बना रहा है।
- अभी तक, यह योजना केवल ड्राइंग बोर्ड पर है।
- अब शुक्र से जुड़े भविष्य के सभी मिशन वहाँ जीवन की उपस्थिति के और सबूतों की जांच करने की दिशा में तैयार किए जाएंगे।



विषय- जीएस पेपर III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी


स्रोत- डाउन टू अर्थ

सोलर चक्र 25

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, नासा और राष्ट्रीय समुद्रीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि नए सौर चक्र, जिसे सौर चक्र 25 कहा जाता है, के बारे में उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है, और यह चक्र शुरू हो गया है।

- वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि सूर्य का नया सक्रिय चरण, जिसे सौर चक्र 25 कहा जाता है, 2025 में शिखर पर होगा लेकिन साधारण तौर पर यह सौर चक्र 24 की भांति एक कम सक्रिय चक्र होगा, जो दिसंबर में समाप्त हो गया था।
- सौर चक्रों का पृथ्वी पर जीवन और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ अंतरिक्ष यात्रियों पर प्रभाव होता है।



सौर चक्र के बारे में

- चूंकि सूर्य का पृष्ठ एक बहुत ही सक्रिय स्थान है, इसलिए इसकी सतह पर विद्युत आवेशित गैसों शक्तिशाली चुंबकीय बल उत्पन्न करती हैं, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है।
- चूंकि सूर्य की सतह पर गैसों लगातार घूम रही हैं, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र खींचे, तोड़े और मोड़े जा सकते हैं और इस तरह सतह पर एक गति पैदा करते हैं, जिसे सौर गतिविधि के नाम से जाना जाता है।
- सौर चक्र के चरणों के साथ सौर गतिविधि भिन्न होती है, जो औसतन 11 साल की अवधि के लिए रहती है।
- हर 11 साल बाद, सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह से चमकता है।
- इसका मतलब है कि सूर्य के उत्तर और दक्षिण ध्रुव स्थानों को बदलते हैं।
- फिर यह सूर्य के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को फिर से वापस बदलने में लगभग 11 वर्षों का समय लेता है।
- सौर चक्र सूर्य की सतह पर गतिविधि को सूर्य कलंक के रूप में प्रभावित करता है जिसका कारण सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र होता है।
- चूंकि चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है, इसलिए सूर्य की सतह पर गतिविधि की मात्रा बढ़ जाती है।

सूर्य कलंक क्या हैं?

- सूर्य कलंक वह क्षेत्र है जो सूर्य के पृष्ठ पर अंधेरा दिखाई देता है
- ये धब्बे, कुछ का व्यास लगभग 50,000 किमी तक होता है, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र के दृश्य धब्बे हैं, जो एक कंबल की भांति कार्य करते हैं जो सौरमण्डल को हानिकारक ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाता है।

- जब किसी सूर्य कलंक का व्यास में 50,000 किमी तक पहुंचता है, तो यह बड़ी मात्रा में ऊर्जा जारी कर सकता है जो सौर लपटों को जन्म दे सकता है।

संबंधित जानकारी

सौर पवन

- सौर पवन ऊर्जावान, आवेशित कणों, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन, का एक पुंज है जो सूर्य से 900 किमी/सेकण्ड गति से और 10 लाख डिग्री (सेल्सियस) तापमान पर बाहर निकलते हैं।
- यह प्लाज्मा (आयनित परमाणु) से बना है।

सौर पवनों का प्रभाव - अरोरा

- अरोरा आकाश में एक प्राकृतिक प्रकाश दर्शन है, जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश (आर्कटिक और अंटार्कटिक) क्षेत्रों में देखा जाता है (यह पृथ्वी और सौर हवा के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण है)।
- औरोरस का कारण आवेशित कण, मुख्यतः इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं, जो वायुमण्डल में प्रवेश के दौरान आयनीकृत होते हैं वायुमण्डलीय घटक उत्तेजित हो जाते हैं और परिणामस्वरूप प्रकाश उत्सर्जन करते हैं।

सौर न्यूनतम

- किसी सौर चक्र की शुरुआत आम तौर पर केवल कुछ सूर्य कलंकों से निर्धारित होती है और इसलिए इन्हें सौर न्यूनतम कहा जाता है।

प्लाज्मा

- प्लाज्मा पदार्थ की चार मूलभूत अवस्थाओं में से एक है, अन्य अवस्थाएं ठोस, तरल और गैस हैं।
- प्लाज्मा आयनित गैस है (परमाणुओं और अणुओं को आम तौर पर बाहरी आवरण से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को हटाकर आयनों में परिवर्तित किया जाता है)
- बिजली और बिजली की चिंगारियाँ प्लाज्मा से होने वाली घटनाओं के दैनिक जीवन के उदाहरण हैं।
- नियॉन रोशनी को अधिक सटीक रूप में 'प्लाज्मा रोशनी' कहा जाता है क्योंकि प्रकाश उनमें से अंदर स्थित प्लाज्मा के अंदर से बाहर आता है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III-विज्ञान और तकनीकी

स्रोत- साइंस डेली

I-ATS (स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण)

खबरों में क्यों है?

- दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने हाल ही में 'I-ATS', की शुरुआत की है, जो मेट्रो के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित संचार-आधारित ट्रेन नियंत्रण सांकेतिक प्रौद्योगिकी है।



i-ATS (स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण) के बारे में

- यह एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है जो ट्रेन संचालन का प्रबंधन करती है।
- मेट्रो जैसे उच्च घनत्व संचालन के लिए यह प्रणाली अपरिहार्य है, जहां हर कुछ मिनट में सेवाएं निर्धारित की जाती हैं।
- यह स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिक है, जो विदेशी विक्रेताओं के प्रौद्योगिकियों से व्यवहार करने पर भारतीय मेट्रो की निर्भरता को काफी कम कर देगा।
- यह विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के ट्रेन नियंत्रण और संकेतिक प्रणाली के साथ काम कर सकता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत - द हिंदू

टाटा समूह भारत के पहले CRISPR परीक्षण का अनावरण करेगा


खबरों में क्यों है?

- टाटा समूह की घोषणा की है कि टाटा CSIR-IGIB 'फेलुदा' (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - गुणसूत्री और एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान) द्वारा विकसित CRISPR परीक्षण की घोषणा की है।
- भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने इसके वाणिज्यिक उत्पादन के लिए अनुमति दे दी है।



टाटा CRISPR परीक्षण के बारे में,

- यह परीक्षण SARS-CoV-2 वायरस के गुणसूत्री अनुक्रम का पता लगाने के लिए एक स्वदेशी रूप से विकसित, अत्याधुनिक CRISPR तकनीक का उपयोग करता है।
- टाटा CRISPR परीक्षण दुनिया का पहला नैदानिक परीक्षण है, जिसने कोविड-19 के कारक विषाणु की सफलतापूर्वक पहचान करने के लिए Cas9 प्रोटीन को अपनाया है।
- टाटा CRISPR परीक्षण ने पारंपरिक RT-PCR परीक्षण की सटीकता का स्तर प्राप्त कर लिया है, और इसमें तेज परिणामी समय, कम खर्चीला उपकरण और उपयोग में आसानी जैसे अन्य गुण हैं।
- टाटा समूह ने इस उच्च-गुणवत्ता वाले परीक्षण को बनाने के लिए CSIR-IGIB और ICMR के साथ मिलकर काम किया है।



कलस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिन्ड्रोमिक रिपीट्स (CRISPR) के बारे में

- CRISPR रोगों के निदान के लिए एक जीनोम संपादन तकनीक है ।
- यह प्रणाली का डीएनए-लक्ष्यीकरण हिस्सा है जिसमें एक RNA अणु या 'मार्गदर्शक' होता है, जिसे पूरक आधार-युग्मन के माध्यम से विशिष्ट डीएनए आधारों से बांधने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।
- CRISPR से जुड़े न्यूक्लिस (Cas9) न्युकिलेज़ भाग है जो DNA को काटता है।
- लुलु और नाना CRISPR जीन संपादन का उपयोग करते हुए दुनिया के पहले गुणसूत्र संपादित मानव बच्चे हैं।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत - द हिंदू

ब्रूसिलोसिस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में चीन में लान्चो सिटी के स्वास्थ्य आयोग ने घोषणा की कि पिछले साल एक बायोफार्मास्युटिकल कंपनी में रिसाव से ब्रूसिलोसिस बीमारी का संकट आया था।
- अभी तक 3,000 से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं लेकिन अभी तक कोई मृत्यु दर्ज नहीं हुई है।



संबंधित जानकारी

ब्रुसेलोसिस के बारे में

- ब्रुसेलोसिस एक जीवाणु रोग है जो मुख्य रूप से मवेशियों, सुअर, बकरियों, भेड़ों और कुत्तों को संक्रमित करता है।
- यदि मानव संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आता है या दूषित उत्पादों को जो उन मवेशियों से प्राप्त करते हैं या खाते हैं या वायुवाहिनी एजेंटों को संक्रमित करते हैं तो मनुष्य संक्रमित हो सकते हैं।
- WHO के अनुसार, बीमारी के अधिकांश मामले संक्रमित बकरियों या भेड़ों से अनपेक्षित दूध या पनीर के सेवन के कारण होते हैं।

लक्षण

- रोग के लक्षणों में बुखार, पसीना, अस्वस्थता, एनोरेक्सिया, सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द शामिल हैं।
- जबकि कुछ संकेत और लक्षण लंबे समय तक रह सकते हैं, अन्य कभी नहीं जा सकते हैं। इनमें आवर्तक बुखार, गठिया, अंडकोष की सूजन और अंडकोश की थैली, हृदय की सूजन, तंत्रिका संबंधी लक्षण, पुरानी थकान, अवसाद और यकृत या प्लीहा की सूजन शामिल हैं।
- वायरस के मानव से मानव संचरण दुर्लभ है।

COVID-19 के बाद से अन्य बीमारी का प्रकोप

हंटावायरस

- मार्च में, चीन के अंग्रेजी दैनिक ग्लोबल टाइम्स द्वारा दी गई सूचना के अनुसार युन्नान प्रांत से एक व्यक्ति की मौत हंटावायरस संक्रमण के कारण हुई थी।

हंटावायरस के बारे में

- हंटावायरस मानवों में संक्रमित चूहों के कारण फैलता है।
- यह संक्रमित चूहों से मनुष्यों के संपर्क में आने के कारण फैलता है।
- मनुष्यों में हंटावायरस के मामले ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं जहाँ जंगल, खेत और मैदान संक्रमित चूहों के लिए उपयुक्त आवास प्रदान करते हैं।
- कोई व्यक्ति विषाणु से प्रेरित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण संक्रमित हो सकता है।

लक्षण

- वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति निम्नलिखित लक्षणों को प्रकट करता है संक्रमण के पहले से आठवें सप्ताह के भीतर लक्षण दिखाई देते हैं यदि व्यक्ति संक्रमित चूहों के ताजे मूत्र, मल या लार के संपर्क में आया हो।
- लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, ठंड लगना और पेट की समस्याएं शामिल हो सकती हैं।

मृत्यु का खतरा

- यह एक गंभीर श्वसन रोग हंटावायरस पल्मोनरी डिजीज (HPS) का कारण है। HPS घातक हो सकता है और इसकी मृत्यु दर 38 प्रतिशत है।
- यह स्पष्ट नहीं है कि इस वायरस का मनुष्य से मनुष्य संचरण संभव है।
- अमेरिका में मानव वायरस के मानव-से-मानव संचरण की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

अफ्रीकी स्वाइन बुखार (AFS)

- COVID-19 लॉकडाउन के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश में ASF फैलने से हजारों सुअरों की मौत हो गयी है।

- ASF एक गंभीर विषाणु रोग है जो जंगली और घरेलू सूअरों को प्रभावित करती है जिसके परिणामस्वरूप तीव्र रक्तसावी बुखार होता है ।
- इस बीमारी में प्रति मामले मृत्यु की दर (CFR) लगभग 100 प्रतिशत है।

संचरण

- संचरण के अपने मार्गों में एक संक्रमित या जंगली सुअर (जीवित या मृत) के साथ सीधा संपर्क शामिल है, खाद्य अपशिष्ट को खाने, या कचरा जैसे दूषित पदार्थों के अंतर्ग्रहण के अप्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से जैविक विषाणु का जन्म होता है।


विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

धारणीय पुनर्वापसी पर विशेष रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- मौजूदा कोविड -19 संकट के दौरान, NITI आयोग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 'धारणीय पुनर्वापसी पर एक विशेष रिपोर्ट' प्रस्तुत की है।



धारणीय पुनर्वापसी पर विशेष रिपोर्ट के बारे में

- यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की प्रमुख विश्व ऊर्जा परिदृश्य श्रृंखला का एक हिस्सा है।
- इस रिपोर्ट में ऊर्जा प्रणालियों को स्वच्छ और अधिक लचीला बनाते हुए अगले तीन वर्षों में अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा सकने वाले कई कदमों का प्रस्ताव रख गया है।
- IMF के सहयोग से तैयार की गयी इस रिपोर्ट में ऊर्जा-केंद्रित नीतियों और निवेशों का विवरण दिया गया है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नौकरियों का सृजन करने और उत्सर्जन को संरचनात्मक रूप से कम करने में मदद कर सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में

- यह है एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसे 1973 के तेल संकट के बाद सन् 1974 में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के ढांचे में स्थापित किया गया था।
- केवल OECD सदस्य देश IEA के सदस्य बन सकते हैं।
- चिली, आइसलैण्ड, इज़राइल, लातविया, स्लोवेनिया को छोड़कर सभी OECD सदस्य देश IEA के सदस्य हैं।

- 2018 में, मेक्सिको आधिकारिक तौर पर IEA के तीसरे सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ और यह IEA में पहली लैटिन अमेरिकी देश था।
- IEA अपने सदस्य देशों के लिए एक नीति सलाहकार के रूप में कार्य करता है, लेकिन गैर-सदस्य देशों, विशेष रूप से चीन, भारत और रूस के साथ भी काम करता है।
- इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।

रिपोर्ट

- a. विश्व ऊर्जा परिदृश्य
- b. प्रमुख विश्व ऊर्जा सांख्यिकी।

भारत और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

- भारत 2017 में एक सहयोगी सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल हो गया है।

महासागर ऊर्जा प्रणाली प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम

- यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा स्थापित ढांचे के तहत संचालित देशों के बीच एक अंतर-सरकारी सहयोग है।
- भारत एक सहयोगी सदस्य बना जिसके कारण भारत के पास उन्नत शोध एवं विकास टीम, तकनीकों और दुनियाभर में महासागरीय ऊर्जा के क्षेत्र में डेटा तक पहुँच होगी।

उन्नत मोटर ईंधन प्रौद्योगिकी सहयोग कार्यक्रम

- यह स्वच्छ और अधिक ऊर्जा कुशल ईंधन एवं वाहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए देशों के बीच एक सहयोग मंच है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस कार्यक्रम में भारत की सदस्यता को मंजूरी दी है।

विषय सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्रोत- IEA

नासा 2024 तक इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजेगा

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में नासा ने घोषणा की वह अपने आर्टेमिस चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के माध्यम से 2024 तक चंद्रमा पर पहली महिला और अगले पुरुष को भेजना चाहता है।
- आखिरी बार सन् 1972 में, नासा ने अपोलो मून मिशन के माध्यम से इंसानों को चंद्रमा पर भेजा था।



आर्टेमिस कार्यक्रम के बारे में

- आर्टेमिस कार्यक्रम के साथ, नासा नई प्रौद्योगिकियों, क्षमताओं और व्यापार दृष्टिकोण का प्रदर्शन करना चाहती है जो अंततः भविष्य में मंगल ग्रह पर खोज के लिए जरूरी होगा।

- कार्यक्रम को तीन भागों में विभाजित किया गया है, पहला आर्टेमिस I जिसे अगले साल लॉन्च करने की सबसे अधिक संभावना है और इसमें SLS और ओरियन अंतरिक्ष यान का परीक्षण करने के लिए एक गैर-चालक दल वाली उड़ान शामिल है।
- आर्टेमिस द्वितीय पहली दल के साथ उड़ान परीक्षण होगी जिसका 2023 उड़ान लक्ष्य रखा गया है।
- आर्टेमिस III वर्ष 2024 को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगी।

नासा और चंद्रमा

- संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1961 की शुरुआत से ही लोगों को चंद्रमा पर पहुँचाने की शुरुआत कर दी थी।
- आठ साल बाद, 20 जुलाई, 1969 को नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले मानव बने।
- अंतरिक्ष अन्वेषण के उद्देश्य के अलावा, नासा का चंद्रमा पर फिर से अमेरिकियों को भेजने का प्रयास अमेरिकी वैश्विक आर्थिक प्रभाव का विस्तार करते हुए, अंतरिक्ष में अमेरिकी नेतृत्व को प्रदर्शित करना और चंद्रमा पर एक रणनीतिक उपस्थिति स्थापित करना है।

चंद्रमा अन्वेषण

- 1959 में, सोवियत संघ के मानव रहित लूना 1 और 2 चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले रोवर थे।
- उस समय से, सात देशों ने इसी परंपरा का अनुसरण किया।
- अमेरिका द्वारा अपोलो 11 मिशन को चंद्रमा पर भेजने से पहले, उसने 1961 और 1968 के दौरान रोबोटिक मिशन के तीन श्रेणियाँ भेजी। जुलाई 1969 के बाद, 12 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सन् 1972 तक चंद्रमा की सतह पर चले थे।
- फिर 1990 के दशक में, अमेरिका ने रोबोट मिशन क्लेमेटाइन् और लूनर प्रॉस्पेक्टर के साथ चंद्र अन्वेषण फिर से शुरू किया।
- सन् 2009 में, इसने चंद्र टोही ऑर्बिटर (LRO) और चंद्र गड्ढा अवलोकन एवं सेंसिंग सैटेलाइट (LCROSS) के प्रक्षेपण के साथ चंद्रमा की नई रोबोट श्रृंखला मिशन का शुभारंभ किया।
- 2011 में, नासा ने आर्टेमिस (एसिलिरेशन, रिकनेक्शन, टर्बुलेंस, और चंद्रमा की सूर्य के साथ परस्परता का इलेक्ट्रोगतिकी) के साथ मिशन पुनः प्रयोजन की एक जोड़ी का उपयोग कर उड़ान भरी।
- 2012 में, ग्रेविटी रिकवरी और आंतरिक प्रयोगशाला (GRAIL) अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के गुरुत्व का अध्ययन किया।
- अमेरिका के अलावा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जापान, चीन और भारत ने चंद्रमा का अन्वेषण करने के लिए अपने मिशन भेजे हैं।
- चीन ने चंद्रमा की सतह पर दो रोवर्स को उतारा, जिसमें 2019 में चंद्रमा में सबसे दूरी पर सर्वप्रथम लैंडिंग शामिल है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने हाल ही में भारत के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान -3 की घोषणा की, जिसमें एक लैंडर और एक रोवर शामिल होगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस


स्क्रब टाइफस

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में एक बैक्टीरियल रोग स्क्रब टाइफस के प्रकोप से म्यांमार की सीमा से लगे नागालैंड के नोकलक जिले में पांच लोगों ने अपनी जान गवां दी है।

Scrub Typhus

Etiology, Epidemiology
Signs and Symptoms
Pathogenesis, Diagnosis
and Treatment



स्क्रब टाइफस के बारे में

- स्क्रब टाइफस, जिसे 'बुश टाइफस' के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा रोग है जो ओरिएंटिया सुतसुगामुशी नामक जीवाणु से फैलता है।
- स्क्रब टाइफस एक संक्रमित मांसपिस्सू (लार्वा माइट) के काटने से लोगों में फैलता है।

लक्षण:

- स्क्रब टाइफस के आम लक्षण हैं- बुखार, सिरदर्द, शरीर का दर्द और कभी-कभी दाने होना। स्क्रब टाइफस के ज्यादातर मामले दक्षिणपूर्व एशिया के ग्रामीण इलाकों, इंडोनेशिया, चीन, जापान, भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं।

इलाज:

- स्क्रब टाइफस का इलाज एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन से किया जा सकता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- विज्ञान और तकनीक

स्रोत- द हिंद

कैट क्यू वायरस

खबर में क्यों है?

- हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने चीन के एक नए कैट क्यू वायरस (CQV) की खोज की है।
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान जर्नल (IJMR) के नवीनतम प्रकाशन में इस अध्ययन के निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं।



कैट क्यू वायरस के बारे में

- यह सन्धिपाद-जनित वायरस (arboviruses) में से एक है, जो मनुष्यों में ज्वर संबंधी बीमारियां, मस्तिष्कावरण शोथ और बाल चिकित्सा एन्सेफलाइटिस का कारण हो सकता है।

वाहक

- घरेलू सूअर CQV के प्राथमिक स्तनधारी वाहक हैं और एंटी-CQV IgM और IgG एंटीबॉडी के सुअर में पाए जाने की सूचना चीन में स्थानीय स्तर पर दी गई है।
- इसका प्राकृतिक वाहक मच्छर है।
- भारतीय मच्छरों में विशेष रूप से, एजिप्टी, Cx. क्विन्कफैसिअसटस, और Cx. ट्राइटेनिओरहिनकुस, CQV फैलाने में सक्षम हैं।
- CQV प्रसारण के लिए पक्षियों की एक वाहक के रूप में भूमिका और CQV के साथ मानव संक्रमण की रिपोर्ट अभी तक प्रलेखित नहीं हुई है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और तकनीक

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस

हिमालयन चंद्र टेलिस्कोप

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के 20 वर्षों को चिह्नित करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।

हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के बारे में

- यह भारतीय खगोलीय वेधशाला (IAO), माउंट सरस्वती, दिग्पा-रत्सा री, हानले, लद्दाख में स्थित है।



- यह दूरस्थ रूप से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र (CREST), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलोर द्वारा एक समर्पित उपग्रह संचार लिंक का उपयोग करके संचालित की जाती है।
- यह टेलीस्कोप कई समन्वित अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में तारकीय विस्फोटों, धूमकेतु और पूर्व ग्रहों की निगरानी के लिए उपयोग किया गया है।

भारतीय खगोलीय वेधशाला में अन्य टेलीस्कोप:

- a. Global Relay of Observatories Watching Transients Happen (GROWTH)- इंडिया
- b. गामा-रे ऐरे टेलिस्कोप (HAGAR)
- c. इमेजिंग चर्नकोव टेलीस्कोप (MACE)

संबंधित जानकारी

GROWTH- इंडिया टेलीस्कोप के बारे में

- यह देश का पहला रोबोटिक टेलीस्कोप है और इसकी रचना ब्रह्मांड में गतिशील या क्षणिक घटनाओं का निरीक्षण के लिए की गई है।
- यह एक बहु-देशीय सहयोगी पहल का हिस्सा है जिसे **Global Relay of Observatories Watching Transients Happen (GROWTH)** के नाम से जाना जाता है।
- इसके तीन लक्ष्य हैं:
 - a. जब भी LIGO समूह बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार विलय का पता लगे, ऑप्टिकल शासन में विस्फोट की खोज करना।
 - b. पास के युवा सुपरनोवा विस्फोटों का अध्ययन करना।
 - c. पास के क्षुद्रग्रहों अध्ययन करना।
- यह भारतीय खगोलीय वेधशाला (IAO) में लद्दाख के हानले में स्थित है।
- GROWTH-इंडिया टेलिस्कोप बेंगलूर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स (IIA) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे (IIT- B) की एक संयुक्त परियोजना है।


विषय- सामान्य अध्ययन III- विज्ञान और तकनीक

स्रोत- द हिंदू

फथैलेट्स

खबरों में क्यों हैं?

- हाल ही में, एक पर्यावरण वकालत समूह टॉक्सिक्स लिंक ने बेबी डायपर में फथैलेट्स के पाए जाने की पहचान की थी।



फथैलेट्स क्या हैं?

- फथैलेट्स डायपर सहित कई उपभोक्ता उत्पादों की प्लास्टिसिटी में सुधार करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों का एक परिवार है।



- यह भारत, यूरोप, दक्षिण कोरिया और चीन में कॉस्मेटिक उत्पादों, खिलौनों में उपयोग पर प्रतिबंधित है।
- भारत ने बच्चों की विभिन्न वस्तुओं में पांच आम फ्थैलेट्स (DEHP, DBP, BBP, DIDP, DNOP और DINP) के लिए मानक निर्धारित किए हैं लेकिन भारत में बच्चों के डायपर के संबंध में ऐसा कोई नियम नहीं है।
- फ्थैलेट्स रासायनिक यौगिकों का एक परिवार है जो मुख्य रूप से पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC), या विनाइल का उपयोग करके डायपर को लचीला और विशाल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
- रंगहीन, गंधहीन उच्च फ्थैलेट्स का उपयोग ऐसे कई उत्पादों में होता है जो उच्च कार्यक्षमता, मजबूती और स्थायित्व की मांग करते हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - विज्ञान और प्रौद्योगिकी

स्रोत- द हिंदू

सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दे

स्पेशल फ्रंटियर फोर्स

खबरों में क्यों है?

- ऐसी खबरें आयीं हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (SFF) इकाई ने लद्दाख में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर कुछ महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विशेष सीमा बल (SFF) क्या है?

- स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को विकास बटालियन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 1962 के चीन-भारत युद्ध के तुरंत बाद गठित किया गया था।
- यह एक गुप्त योजना थी, जिसमें तिब्बतियों (अब इसमें तिब्बतियों और गोरखा दोनों शामिल हैं) को भर्ती किया गया था और शुरू में इसका नाम इस्टैब्लिशमेंट 22 नाम दिया गया था।
- यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है जहाँ इसकी अध्यक्षता एक महानिरीक्षक करता है जो मेजर जनरल के रैंक का एक सैन्य अधिकारी होता है।

क्या SFF यूनिट्स आर्मी का हिस्सा हैं?

- SFF इकाईयाँ सेना का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वे सेना के संचालन नियंत्रण में कार्य करते हैं।
- इकाईयों की अपनी रैंक संरचनाएं हैं जिनकी सेना रैंक के बराबर स्थिति होती है।
- हालांकि, वे उच्च प्रशिक्षित विशेष बल के जवान होते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं जो आमतौर पर किसी विशेष बल इकाई द्वारा किया जाते हैं।
- इसलिए SFF इकाईयाँ, वस्तुतः एक अलग चार्टर और इतिहास होने के बावजूद परिचालन क्षेत्रों में किसी अन्य सेना इकाई के रूप में कार्य करती हैं।
- उनके पास अपना स्वयं का प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है जहाँ SFF में भर्ती होने वाले विशेष बलों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

असम राइफल्स

खबरों में क्यों है?

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र सरकार को असम राइफल्स की दोहरी नियंत्रण संरचना पर विचार करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया है जो अभी गृह मंत्रालय (MHA) और रक्षा मंत्रालय (MoD) दोनों के नियंत्रण में आती है।



असम राइफल्स के बारे में

- असम राइफल्स गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन छह केंद्रीय सैन्य पुलिस बलों में से एक है।
- अन्य केंद्रीय पुलिस बलों में, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) शामिल हैं।

असम राइफल्स की पृष्ठभूमि

- यह ब्रिटिश भारत में सन् 1835 में ब्रिटिश चाय क्षेत्र और उसकी बस्तियों को उत्तर पूर्वी जनजातियों की छापाओं से बचाने के लिए एक सैन्य टुकड़ी के रूप में खड़ा किया गया सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है।
- इस बल को पहले कछार लेवी के रूप में जाना जाता था।
- इसकी भूमिका में विस्तार होने के बाद इसे असम फ्रंटियर फोर्स के रूप में पुनर्गठित किया गया था।

कार्य

- इसे भारतीय सेना के साथ उत्तर पूर्व में कानून व्यवस्था को बनाए रखने और भारत-म्यांमार सीमा की रक्षा करने का काम सौंपा गया है।

मूल एजेंसी

- यह एकमात्र अर्धसैनिक बल है, जो एक दोहरी नियंत्रण संरचना के साथ गृह मंत्रालय (MHA) और रक्षा मंत्रालय (MoD) दोनों के अधीन आती है।

प्रशासनिक और परिचालन नियंत्रण

- इस बल का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है; जबकि परिचालन नियंत्रण भारतीय सेना के पास है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II । - रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

इंद्र 2020 का अभ्यास करें

खबरों में क्यों है?

- लद्दाख में चीन के साथ चल रहे गतिरोध के कारण, हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारतीय नौसेना द्वारा उच्च परिचालन चेतावनी के चलते, भारत और रूस के बीच होने वाले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, इंद्र 2020 को रोकने जा रही है।
- अभ्यास इंद्र, 2020 मलक्का की सामरिक खाड़ी के पास अंडमान सागर में आयोजित होगा।

अभ्यास इंद्र के बारे में,

- यह भारत और रूस के बीच तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है।
- अभ्यास की इंद्र, श्रृंखला 2003 में शुरू हुई थी।
- इसे दोनों देशों के बीच बारी-बारी से एकल सेवा अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था।
- पहली संयुक्त त्रि-सेवा अभ्यास 2017 में आयोजित किया गया था।

नोट:

- इस महीने के अंत में रूस में होने वाली कावकाज़, 2020 बहुराष्ट्रीय अभ्यास से भारत के पीछे हटने के ठीक बाद इस अभ्यास का समय आया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - रक्षा

स्रोत- हिन्दुस्तान टाइम्स

प्रोजेक्ट 17 ए

खबरों में क्यों है?

- भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल एस. आर. शर्मा ने 10 सितम्बर 2020 को प्रतिष्ठित P17 A श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट के तीसरे जहाज (यार्ड- 12,653) की नींव रखी।



प्रोजेक्ट 17A के बारे में

- इसके तहत P17A श्रेणी के सात फ्रिगेट्स का निर्माण किया जाएगा, जिनमें से चार का निर्माण MDL में और तीन का GRSE में MDL के साथ लीड यार्ड के रूप में किया जाएगा।
- P17A श्रेणी के फ्रिगेट्स का निर्माण स्वदेशी रूप से विकसित स्टील का उपयोग करके किया जा रहा है और इसे एकीकृत प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के साथ हथियारों और सेंसर के साथ सुसज्जित किया गया है।
- इन जहाजों में स्टील्थ फीचर्स होते हैं।

- P17A जहाजों का निर्माण आधुनिक तकनीक 'इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन (IC)' को अपनाने के तरीके के कारण युद्धपोत निर्माण की अवधारणा में भिन्न है, जहां युद्धपोतों के निर्माण की अवधि को कम करने के लिए उन्हें जोड़ने से पहले ब्लॉक को पहले से तैयार किया जाता है।
- भारतीय नौसेना में शामिल होने पर, यह प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना के बेड़े की युद्धक क्षमता को बढ़ाएगा।

संबंधित जानकारी

प्रोजेक्ट 75 I - श्रेणी पनडुब्बी

- प्रोजेक्ट 75 I श्रेणी पनडुब्बी भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 कलवरी श्रेणी पनडुब्बी के बाद की परियोजना है।
- इस परियोजना के तहत, भारतीय नौसेना छह डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों का अधिग्रहण करेगी, जिसमें उन्नत वायु-स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली भी शामिल होगी।
- यह उन्नत वायु-स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली पनडुब्बी को लंबे समय के लिए जलमग्न रहने और अपनी परिचालन क्षमता में काफी इजाफा करने में सक्षम होगी।
- सभी छह पनडुब्बियों का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में किए जाने की उम्मीद है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत-आकाशवाणी

हाइब्रिड युद्ध

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में शेन्ज़न आधारित प्रौद्योगिकी कंपनी ज़हेन्हुआ डाटा सूचना प्रौद्योगिकी को. द्वारा भारत में 10,000 से अधिक लोगों को सक्रिय रूप से निगरानी में रखा जा रहा है।
- कंपनी को जनता की निगरानी से प्राप्त बिग डेटा का उपयोग करके 'हाइब्रिड वारफेयर' में संबद्ध होने के लिए जाना जाता है।



हाइब्रिड वारफेयर क्या है?

- हाइब्रिड वारफेयर का आशय एक बहु-क्षेत्रीय युद्ध नीति के भाग के रूप में अपरंपरागत तरीकों का उपयोग करना है।

- इन विधियों का उद्देश्य खुला युद्ध शुरू किए बिना अपने प्रतिद्वंद्वी के कार्यों को बाधित और निष्प्रभावी बनाना है।
- यह शब्द मूल रूप से उन्नत सैन्य क्षमताओं से युक्त सरकारी समर्थन के बाहर अनियमित तत्वों को संदर्भित करता है।

हाइब्रिड युद्ध के मुख्य उपकरण निम्नानुसार हैं:

- सूचना को तोड़ना-मरोड़ना और गलत सूचना फैलाना
- राजनीतिक और आर्थिक दबाव
- साइबर और अंतरिक्ष अभियान
- प्रॉक्सी और राज्य-नियंत्रित बल
- कूटनीतिक दबाव
- सैन्य कार्रवाई
- हाइब्रिड युद्ध के तहत, चीन अपने दुश्मन देश में सामाजिक दुश्मनी बढ़ा रहा है, आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर रहा है और संस्थानों को खोखला कर रहा है, राजनीतिक नेतृत्व और इसकी क्षमता को धूमिल कर रहा है।
- वर्ष 2014-15 में किसी युद्ध के बिना क्रीमिया में रूस की सफलता के बाद, अब हर दूसरा देश हाइब्रिड युद्ध नीति को आजमा रहा है।
- हालाँकि, चीन की तुलना में किसी ने भी इसका अधिक उपयोग नहीं किया है। चीन ने इसका हांगकांग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था।

यह कौन सी जानकारी एकत्रित करता है?

- एकत्र की गई जानकारी में जन्मतिथि, पता, वैवाहिक स्थिति के साथ-साथ तस्वीरें, राजनीतिक संगठन, रिश्तेदार और सोशल मीडिया आईडी शामिल हैं।
- इस तरह के बड़े पैमाने पर डेटा एकत्र करने और सार्वजनिक प्रसार करने या भावना विश्लेषण से झेनहुआ "धमकी भरी खुफिया सेवाएं" प्रस्तुत करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - रक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2 + 2 संवाद में BECA को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका कोशिश में

खबरों में क्यों है?

- अमेरिका भारत के भू-स्थानिक सहयोग के लिए अंतिम आधारभूत समझौते, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट (BECA) पर अक्टूबर के अंत में आयोजित होने जा रही भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रीस्तरीय संवाद में हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है।



बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट (BECA) के बारे में

- BECA भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक मानचित्रों का उपयोग करने के लिए स्वचालित हार्डवेयर प्रणालियों और क्रूज एवं बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हथियारों की सैन्य सटीकता प्राप्त करने की अनुमति देगा।
- BECA संचार संगतता और सुरक्षा समझौते (COMCASA), और लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य संचार समझौतों में से एक है।
- यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, जोकि अमेरिका से प्रीडेटर-बी जैसे सशस्त्र मानवरहित हवाई वाहनों को प्राप्त करने जा रहा है।
- वर्ष 2018 में पेंटागन प्रीडेटर-बी की आपूर्ति करने के लिए तैयार था, जो भारत को दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए स्थानिक डेटा का उपयोग करता है।

संबंधित जानकारी

सामान्य सैन्य जानकारी सुरक्षा समझौता (GSOMIA)

- GSOMIA सैन्य संगठनों को उनके द्वारा एकत्रित खुफिया जानकारी को साझा करने की अनुमति देता है।
- भारत ने 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए हैं।

लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)

- LEMOA दोनों देशों को ईंधन भरने और पुनःपूर्ति के लिए एक दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति देता है।
- भारत ने 2016 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

FOUNDATIONAL AGREEMENTS			
Logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) > Provide logistic support, refuelling & berthing facilities for each other's warships & aircraft on barter/equal-value exchange basis > Will not involve stationing of US troops on Indian soil. Nor will India extend support if US goes to war with "a friendly country" > Good for US forces re-balancing to Asia Pacific. Indian forces rarely operate far away from their shores but access to Djibouti & Diego Garcia could be useful	Communication Interoperability & Security Memorandum Agreement (CISMOA) > Technology enabler to help transfer high-tech avionics, encrypted communication & electronic systems to India > US says CISMOA will boost 'interoperability' as well as ensure secrecy of its C4ISR (command, control, communications, computer, intelligence, surveillance and reconnaissance) systems > But fears that US will be able to track & snoop on Indian warships/aircraft equipped with such systems		
	Basic Exchange & Cooperation Agreement for Geo-Spatial Cooperation (BECA) > US says BECA will help India with advanced satellite & topographical data for long-range navigation & missile-targeting > But India, which has its own satellite imaging capabilities, unwilling for American digital sensors to be positioned on its soil		

संचार एवं सूचना सुरक्षा समझौता जापान (CISMOA)

- COMCASA (संचार संगतता और सुरक्षा समझौता) CISMOA का भारतीय विशिष्ट संस्करण है।
- यह 10 वर्षों के लिए वैध है।
- इसका उद्देश्य अमेरिका से भारत के लिए अत्यधिक संवेदनशील संचार सुरक्षा उपकरणों के हस्तांतरण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करना है जो उनके सशस्त्र बलों के बीच अंतर को सुव्यवस्थित और सुगम बनाएगा।
- भारत ने 2018 में हस्ताक्षर किए हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत - द हिंदू

पैसेज अभ्यास

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई नौ सेनाओं 23-24 सितम्बर को हिन्द महासागर में पैसेज अभ्यास अथवा PASSEX अभ्यास में भाग ले रही हैं।



पैसेज अभ्यास के बारे में,

- PASSEXs भारतीय नौसेना द्वारा मित्र देशों की विदेशी नौसेनाओं के साथ किया जाने वाला नियमित अभ्यास है।
- जून के बाद से ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है, जिसके साथ भारत अभ्यास करेगा।
- पहला अभ्यास अमेरिकी नौसेना के USS निमित्ज के साथ और दूसरा रूसी नौसेना के साथ था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - रक्षा

स्रोत- TOI

ABHYAS- हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT)

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ABHYAS-उच्च गति उपभोजित वायुवीय लक्ष्य (HEAT) का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक उड़ीसा, बालासोर में अंतरिम परीक्षण रेंज से किया है।



ABHYAS- हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट (HEAT) के बारे में

- यह एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट (ADE), DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- यह हथियार प्रणालियों के अभ्यास के लिए एक वास्तविक खतरा स्थिति तैयार करता है।

- अभय को ऑटोपिलॉट की मदद से स्वायत्त उड़ान के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो अभी ADE में विकासरत है।
- अभय में रडार क्रॉस-सेक्शन (RCS) विज़ुअल और इन्फ्रारेड ऑगमेंटेशन प्रणाली है जो हथियारों के अभ्यास के लिए आवश्यक हैं।
- यह एक छोटे गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित है और इसमें मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर (FCC) के साथ नेविगेशन के लिए MEMS आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) है।
- एयर-व्हीकल को चेक-आउट लैपटॉप-आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS) का उपयोग करके किया जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - रक्षा

स्रोत- आउटलुक

भारत-जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (JIMEX) 2020

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में भारत-जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास (JIMEX) 26 सितंबर को उत्तरी अरब सागर में शुरू हुआ।



भारत-जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास के बारे में

- यह अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया है।
- JIMEX अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग में विशेष ध्यान के साथ शुरू हुई थी।
- इस अभ्यास का अंतिम संस्करण 2018 में भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था।

भारत और जापान के बीच अन्य अभ्यास

- शिन्यू मैत्री एक संयुक्त वायु सेना अभ्यास है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मालाबार त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास ।
- धर्मा गार्जियन एक संयुक्त थल सेना अभ्यास

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - रक्षा

स्रोत - TOI


iDEX4 फौजी

खबरों में क्यों है?

- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने iDEX इवेंट और iDEX4फौजी के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (DISC 4) लॉन्च किया है।

iDEX4फौजी के बारे में

- यह अपनी तरह की ऐसी पहली पहल है, जिसे भारतीय सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा पहचाने गए नवाचारों को समर्थन देने तथा सैनिकों और क्षेत्र संरचनाओं से मितव्ययी नवाचार विचारों को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है।



इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सिलेंस (iDEX) के बारे में

- यह सरकार द्वारा अप्रैल 2018 में शुरू किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य MSMEs सहित उद्योगों, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवाचारकों द्वारा रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- iDEX को एक 'डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (DIO)' द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है, जिसे कंपनी के अधिनियम, 2013 के तहत 'नॉट फॉर प्रॉफिट' कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, इस उद्देश्य के लिए दो संस्थापक सदस्यों यानी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DUU) द्वारा – HAL और BEL।

डिफेंस इनोवेशन फंड के उद्देश्य हैं

- इन क्षेत्रों की जरूरतों को कम समय में पूरा करने के लिए भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए नई, स्वदेशी और नवीन तकनीकों का तेजी से विकास करना।
- रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों के लिए सह-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए, नवीन स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की संस्कृति बनाना।
- रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों के भीतर प्रौद्योगिकी सह-निर्माण और सह-नवाचार की संस्कृति को सशक्त बनाना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- रक्षा

स्रोत- द हिंदू

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020

खबरों में क्यों हैं?

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 का अनावरण किया।



रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के बारे में

- DAP 2020 अंततः वर्तमान रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP), 2016 की जगह लेगी।
- DAP में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनका पालन रक्षा वस्तुओं की खरीद के दौरान सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए।
- इसे रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है।

लक्ष्य

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य एक समयबद्ध ढंग से रक्षा हथियारों की स्वदेशी डिज़ाइन एवं खरीद को प्रोत्साहन देना है।
- डिफेंस एक्विजिशन प्रोसिजर, 2020 को सरकार के आत्मनिर्भर भारत की सोच से जोड़ा गया है और यह मेक इन इंडिया पहल के जरिए भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय घरेलू उद्योग को मजबूत बना रहा है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल किए गए विशिष्ट सुधार निम्नानुसार हैं:

- हथियारों / प्लेटफार्मों के आयात पर प्रतिबंध की सूची जारी की: DAP में प्रासंगिक निगमन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सूची में उल्लिखित कोई उपकरण पूर्व आयात समयसीमा से खरीदा नहीं गया है।

खरीद की नई श्रेणी (वैश्विक - भारत में निर्माण)

- नई श्रेणी में शामिल हैं - उपकरण या कलपुर्जा/असेंबली/उप-असेंबली के पूरे अथवा किसी भाग का निर्माण और उपकरण के लिए भारत में अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से रखरखाव, मरम्मत और कायाकल्प (MRO) सुविधा।

संशोधित ऑफसेट दिशानिर्देश :

- ऑफसेट दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है जिसमें रक्षा उत्पादों के हिस्से की जगह पर उनके पूर्ण उत्पादन को वरीयता दी जाएगी और ऑफसेट के निर्वाहन में लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न मल्टीप्लायर को जोड़ा गया है।

परियोजना प्रबंधन इकाई:

- अनुबंध प्रबंधन का सहयोग करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) की स्थापना अनिवार्य है।
- PMU अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विशेष क्षेत्रों में सलाहकार और परामर्श समर्थन प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा।

रक्षा विनिर्माण में FDI

- विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी सहायक इकाईयों के माध्यम से एक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए प्रावधानों में एक नई श्रेणी '(भारत में वैश्विक विनिर्माण) खरीद' को शामिल किया गया है।

नोट:

- पहली रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया वर्ष 2002 में लागू की गयी थी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - रक्षा

स्रोत- द हिंदू

पर्यावरणीय मुद्दे

महाराष्ट्र सरकार आरे की 600 एकड़ भूमि को आरक्षित वन घोषित करने जा रही है

खबरों में क्यों है?

- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने हाल ही में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (SGNP) के पास 600 एकड़ आरे भूमि को जंगल के रूप में आरक्षित करने की घोषणा की है।
- यह दुनिया में कहीं भी महानगर की सीमा के भीतर खिले हुए व्यापक जंगल का पहला उदाहरण होगा।

भारतीय वन अधिनियम (IFA) की धारा 4

- डेयरी विकास विभाग और वन एवं पर्यावरण विभागों की आरे में हुई बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि लगभग 600 एकड़ भूमि पर भारतीय वन अधिनियम (IFA) की धारा 4 लागू की जाए।
- इसका तात्पर्य यह है कि सुझाव और आपत्तियों की सुनवाई के बाद इसे आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया जाएगा।
- अधिसूचना जारी होने के बाद, सभी सुझावों और आपत्तियों को अगले 45 दिनों में सुना जाएगा।
- लगभग 600 एकड़ खुली भूमि को जंगल के रूप में घोषित किया जाएगा, जो आदिवासी समुदायों के सभी अधिकारों को सुनिश्चित करेगा जो इसके भीतर रहते हैं, संरक्षित हैं।
- इससे राज्य को SGNP और आरे में मौजूद वनस्पतियों और जीवों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान

1. ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान
2. चंदौली राष्ट्रीय उद्यान
3. गुगामल राष्ट्रीय उद्यान
4. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान
5. नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान
6. पेंच राष्ट्रीय उद्यान

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) द्वारा प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (WSTS) आयोजित किया जा रहा है।



प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के बारे में

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर्स परिसंघ (FICCI), नवाचार पर ISA के वैश्विक नेतृत्वकारी कार्य बल संयोजक के रूप में, इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने में ISA के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।

संबंधित जानकारी

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में

- यह एक भारतीय पहल है जिसकी भारत और फ्रांस ने वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, COP 21 की तर्ज पर संयुक्त रूप से शुरुआत की थी।
- गठबंधन सौर ऊर्जा की पहचानते करते हुए, सौर संसाधनों में समृद्ध संभावित सदस्यों तथा कर्क और मकर रेखा के बीच पूरे अथवा आंशिक रूप से स्थित देशों को अपने लोगों को सम्पन्नता, ऊर्जा सुरक्षा और धारणीय विकास सुनिश्चित करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करती है।
- ISA सभा गठबंधन की मुख्य निर्णायक पीठ है और विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यक्रम संबंधित मामलों पर निर्णय लेती है।

मुख्यालय

- इसका मुख्यालय भारत में है (अंतरिम सचिवालय - गुड़गांव)।

लक्ष्य

- ISA ने वर्ष 2030 तक 1 TW सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है।

सदस्यता

- ISA 121 संभावित सदस्य देशों के लिए खुला है, उनमें से ज्यादातर कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित हैं क्योंकि यह दुनिया का वह क्षेत्र है जहाँ वर्ष के ज्यादातर समय में सूर्य की चमकीली रेखाओं का आधिक्य होता है।

भारत की भूमिका क्या है?

- ISA पहला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका सचिवालय भारत में होगा। भारत ने 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा उत्पादन करने के लक्ष्य रखा है जो ISA के लक्ष्य का दसवां भाग होगा।
- भारत ISA सदस्य देशों के लिए 500 प्रशिक्षण स्लॉट भी प्रदान करेगा और शोध एवं विकास में आगे बढ़ने के लिए सौर-तकनीक मिशन की भी शुरुआत करेगा।

महत्व

- जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों और 2030 धारणीय विकास लक्ष्यों को पूरा करने में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 में यह वचन दिया था कि भारत वर्ष 2022 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करके 175 गीगावाट (GW) और इसके आगे वर्ष 2030 तक 450 GW की वृद्धि करेगा।
- गठबंधन के उद्देश्यों में ऊर्जा की लागत को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ाना, प्रशिक्षण और सदस्य देशों के साथ ज्ञान और तकनीकी को साझा करना शामिल है।


विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- PIB

सोनेरातिया एल्बा महाराष्ट्र में मैंग्रोव वृक्ष घोषित किया गया

खबरों में क्यों है?

- महाराष्ट्र सोनेरातिया एल्बा को राज्य की मैंग्रोव वृक्ष प्रजाति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है।



सोनेरातिया एल्बा के बारे में

- सोनेरातिया एल्बा लिथरेसी कुल में एक मैंग्रोव वृक्ष है।
- इसे सफेद चिप्पी या मीठे-सुगंधित सेब मैंग्रोव के रूप में भी जाना जाता है।

वितरण और आवास

- यह पूर्वी अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिणी चीन, रियुकू द्वीप समूह, इंडोचीन, मलेशिया, पापुएशिया, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के कई उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं।
- इसका आवास ढके हुए रेतीले समुद्री तट और ज्वार दरारें हैं।

मैंग्रोव पर राज्य वन रिपोर्ट 2019

- मानव जाति के लिए मैंग्रोव बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे ज्वार की विनाशक लहरों से तटों की रक्षा करते हैं और सुनामी जैसी आपदाओं से समुदायों को बचाते हैं, बड़ी संख्या में समुद्री प्रजातियों के प्रजनन के लिए पोषण स्थान का कार्य करते हैं और तटीय जैव विविधता को संरक्षित बनाए रखने में मदद करते हैं।

- मैंग्रोव वैश्विक महासागरों द्वारा कार्बन पृथक्करण में 14% भाग का अवशोषण करते हैं, जबकि वे केवल 1% भूभाग को ही घेरे हुए हैं।
- चैंपियन और सेठ के वर्गीकरण (1968) के अनुसार, मैंग्रोव को प्रकार समूह -4 लिट्टोरल और दलदली वन में शामिल किया जाता है।
- दुनिया के मैंग्रोव भाग का लगभग 40% दक्षिण-पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में पाया जाता है।
- भारत में मैंग्रोव का विस्तार 4975 वर्ग किमी है, जो देश के कुल 0.15% भौगोलिक क्षेत्रफल के बराबर है।
- 2017 के आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि: 54 वर्ग किमी
- राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव विस्तार है जिसका बाद गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थान आता है।
- मैंग्रोव विस्तार में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष तीन राज्य : गुजरात > महाराष्ट्र > ओडिशा



नोट:

- इससे पहले, महाराष्ट्र ने आम को राज्य वृक्ष, बड़ी गिलहरी को राज्य पशु, हरे कबूतर को राज्य पक्षी और नीले मरमन को राज्य की तितली एवं (जारुल लेजरस्ट्रोमिया स्पेसियोसा) को राज्य पुष्प घोषित किया था जिसके पीछे उद्देश्य उनके पारिस्थितिकी महत्व को रेखांकित करना था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस

खबरों में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2020 से हर साल 7 सितम्बर को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया है।
- संयुक्त राष्ट्र की महासभा 19 दिसंबर 2019 को इस संकल्प को पारित किया था।
- UNEP के साथ कार्य करने वाली जलवायु एवं स्वच्छ वायु संगठन (CCAC) और कोरिया गणराज्य ने साथ मिलकर इस दिन को मनाने का सुझाव रखा था, जिसके बाद यह निर्णय सामने आया।
- इस दिन का उद्देश्य सभी स्तरों जैसे व्यक्तिगत, सामुदायिक, व्यावसायिक, सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर जन जागरूकता फैलाना है।



संबंधित जानकारी

वायु गुणवत्ता की स्वच्छ वायु प्रणाली और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान के लिए भारत की पहल (SAFAR)

- वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं शोध प्रणाली (SAFAR) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है।
- यह किसी महानगरीय शहर की वायु गुणवत्ता को मापने में मदद करती है, जिसमें यह समग्र प्रदूषण स्तर और शहर की स्थान-विशिष्ट वायु गुणवत्ता को मापती है।
- भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान (IITM), पुणे द्वारा यह प्रणाली स्वदेशी रूप से विकसित की गयी है और भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है।
- इसमें एक विशाल डू कलर LED डिस्प्ले है जो 24x7 आधार पर वास्तविक समय की वायु गुणवत्ता सूचकांक को कलर-कोडिंग (72 घंटों के अग्रिम पूर्वानुमान के साथ) के साथ प्रदान करता है।
- इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य जनता के बीच अपने शहर की वायु गुणवत्ता के बारे में जागरूकता फैलाना है जिससे उचित शमनकारी उपायों और व्यवस्थित कार्रवाई के द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
- SAFAR दिल्ली में भारत की पहली वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का एक अभिन्न अंग है।
- यह तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, और हवा की दिशा, पराबैंगनी विकिरण और सौर विकिरण जैसे सभी मौसम मापदंडों पर निगरानी करता है।
- प्रदूषक की माप: PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), बेंजीन, टॉल्युईन, ज़ाइलीन और मर्करी।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक

- यह 2014 में आम आदमी के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को समझने के लिए 'एक नंबर - एक कलर - एक विवरण' की रूपरेखा के साथ शुरू किया गया था।
- इसे वास्तविक समय के आधार पर देश भर के प्रमुख शहरी केंद्रों में हवा की गुणवत्ता की निगरानी करने और उसे कम करने हेतु कार्रवाई करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
- वायु गुणवत्ता की माप आठ प्रदूषकों पर आधारित होती है, जिनके नाम पार्टिकुलेट मैटर (PM10), पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), ओजोन (O₃), अमोनिया (NH₃), और लेड (Pb) हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम

- पर्यावरण मंत्रालय ने देश में वायु प्रदूषण की समस्या से समग्र रूप से निपटने हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) की पिछले साल शुरुआत की थी।
- यह वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2024 तक PM₁₀ और PM_{2.5} सांद्रता में 20 से 30% कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है।

- इस योजना ने इससे पहले 23 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में 102 गैर-प्राप्ति वाले शहरों की पहचान की थी।
- NCAP पर वायु गुणवत्ता के बारे में नवीनतम डेटा प्रचलनों पर आधारित है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- HT

वैश्विक जैव विविधता परिदृश्य 5 रिपोर्ट

खबरों में क्यों है?

- विश्व जैव विविधता आउटलुक 5 रिपोर्ट या GBO-5 15 सितंबर, 2020 को जारी की गयी।



रिपोर्ट की मुख्य बातें

GBO-5 प्रकृति के राज्य के एक सिंहावलोकन है।

- यह आइची जैव विविधता लक्ष्य प्राप्त करने में देशों द्वारा की गई प्रगति पर एक अंतिम रिपोर्ट कार्ड है।
- GBO- 5 रिपोर्ट के अनुसार, 20 आइची जैव विविधता लक्ष्यों में से कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है।
- GBO -5 आठ प्रकार के बदलावों का सुझाव देता जो जैव विविधता 2050 विजन को प्राप्त करने के लिए लागू करना जरूरी है।

इसमें शामिल है:

- भूमि और जंगलों के भीतर संक्रमण:**
 - रिपोर्ट में उन सभी वनों की पुनर्स्थापित करने के लिए कहा गया है जिनका दोहन किया गया था।
 - यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को पुनः ठीक करने का भी निवेदन करता है।
- धारणीय कृषि**
 - किसानों को रसायनों के उपयोग को कम करने के साथ कृषि पारिस्थितिकी अनुकूल कृषि अभ्यासों पर ध्यान देना होगा।
- धारणीय खाद्य प्रणाली**
 - रिपोर्ट में लोगों से स्वास्थ्यवर्धक, पौधों पर आधारित भोजन और कम मांस खाने का आग्रह किया गया है।
 - इसने आपूर्ति श्रृंखला और घर के भीतर खाद्य अपव्यय की समस्या पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है।
- जलवायु क्रिया**

○ रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए प्रकृति आधारित समाधानों का आह्वान किया है।

e. वन हेल्थ

○ कृषि और शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ-साथ वन्यजीवों को एकीकृत तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए।

• रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन के सतत प्रबंधन, महासागरों और मीठे पानी के साथ-साथ शहरों और बुनियादी सुविधाओं अन्य क्षेत्र हैं जिन्हें के सतत विकास के लिए बदलाव लाने की जरूरत है।

संबंधित जानकारी

जैव विविधता के लिए आइची लक्ष्य

- नागोया, जापान में COP-10 के दौरान नागोया प्रोटोकॉल के साथ जैव-विविधता को बचाने के लिए सभी देशों द्वारा कार्रवाई के लिए एक दस साल की रूपरेखा को अपनाया गया, जिसे आधिकारिक तौर पर "जैव विविधता 2011-2020 के लिए रणनीतिक योजना" के रूप में जाना जाता है।
- यह 20 महत्वाकांक्षी फिर भी प्राप्त लक्ष्यों का एक समूह देता है जो A से E तक 5 वर्गों में विभाजित है, इन्हें सामूहिक रूप से जैव विविधता के लिए आइची लक्ष्य के रूप में जाना जाता है।

आइची जैवविविधता लक्ष्य हैं:

- **रणनीतिक लक्ष्य A:** सरकार और समाज में जैव विविधता को मुख्यधारा में लाते हुए जैव विविधता के नुकसान के अंतर्निहित कारणों पर प्रकाश डालना।
- **रणनीतिक लक्ष्य B:** जैव विविधता पर सीधे दबाव को कम करना और स्थायी उपयोग को बढ़ावा देना।
- **रणनीतिक लक्ष्य C:** पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की सुरक्षा करके जैव विविधता की स्थिति में सुधार करना।
- **रणनीतिक लक्ष्य D:** जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से सभी को लाभ बढ़ाना।
- **रणनीतिक लक्ष्य E:** सहभागी योजना, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण द्वारा क्रियान्वयन में सुधार लाना।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

कोविद -19 के कारण वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन-2020 में 7% तक गिरावट आ सकती है

खबरों में क्यों है?

- संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा जारी यूनाइटेड इन साइंस - 2020 रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन 2020 में कोरोना वायरस रोग (कोविद -19) लॉकडाउन और संबद्ध मंदी के कारण 4% से 7% तक गिरने की संभावना है।



यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट के बारे में,

- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निर्देशन में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा संकलित की गयी है जिसका उद्देश्य प्रमुख वैश्विक भागीदार संगठन बनाने के लिए नवीनतम जलवायु विज्ञान से संबंधित जानकारी को एक साथ लाना है, ये संगठन हैं:
 - a. विश्व मौसम विज्ञान संगठन
 - b. वैश्विक कार्बन परियोजना (GCP)
 - c. यूनेस्को अंतरसरकारी महासागरीय आयोग (यूनेस्को-आईओसी)
 - d. जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC)
 - e. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और मौसम कार्यालय।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस की सांद्रता से विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता से पता चला है इसकी सांद्रता में बढ़ोतरी के कोई संकेत नहीं मिले हैं और यह निरंतर रूप से नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ा है।
- वैश्विक जीवाश्म कार्बनडाइऑक्साइड उत्सर्जन (वैश्विक कार्बन परियोजना) रेखांकित करती है कि 2020 में CO₂ उत्सर्जन कोविद-19 तालाबंदी नीतियों के कारण 2020 में अनुमानित 4% से 7% तक गिर जाएगा।
- सटीक गिरावट महामारी के निरंतर जारी रहने और सरकार के इसके प्रति रुख अपनाने पर निर्भर करेगी।
- IPCC की बदलती जलवायु में महासागर और क्रायोस्फीयर रिपोर्ट, इस बात पर प्रकाश डालती है कि मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन पहाड़ों की ऊंचाईयों से लेकर महासागरों की गहराई तक, जीवन को धारण करने वाली प्रणालियों को प्रभावित कर रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ रहे हैं, जो पारिस्थितिक तंत्रों और मानव सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा कर रहा है।
- यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट में उल्लिखित 2019 की उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वर्ष 2020 से 2030 तक प्रति वर्ष वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 3% कटौती को प्राप्त करना होगा है और पेरिस समझौते के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औसतन प्रति वर्ष 7% लक्ष्य को पूरा करना होगा।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन और ब्रिटेन के जलवायु विभाग द्वारा संदर्भित वैश्विक जलवायु की स्थिति के अनुसार, वर्ष 2016-20 के लिए वैश्विक तापमान रिकॉर्ड पर सबसे गर्म होगा जो पूर्व-औद्योगिक काल से 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है और 2011-15 के लिए वैश्विक औसत तापमान से 0.24 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म है।

संबंधित जानकारी

वैश्विक कार्बन परियोजना

- यह वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा और उनके कारणों को निर्धारित करने के लिए 2001 में स्थापित एक संगठन है।
- इसकी परियोजनाओं में तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों - कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए वैश्विक बजट के साथ शहरी, क्षेत्रीय, संचयी और नकारात्मक उत्सर्जन में पूरक प्रयास करना भी शामिल है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - पर्यावरण

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

प्लास्टिक पेन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने रिपोर्ट मांगी

खबरों में क्यों है?

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया है कि क्या प्लास्टिक पेन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के दायरे में आते हैं।



संबंधित जानकारी

- अन-प्लास्टिक कलेक्टिव द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत में प्रतिवर्ष 9.46 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 40% इकट्ठा नहीं होता है और 43% का उपयोग पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है, जिनमें से अधिकांश एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक हैं।
- अन-प्लास्टिक कलेक्टिव के बारे में
- अन-प्लास्टिक कलेक्टिव (UPC) संयुक्त राष्ट्र-पर्यावरण कार्यक्रम-भारत, भारतीय उद्योग परिसंघ और WWF-भारत द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक पहल है।

- कलेक्टिव हमारे ग्रह की पारिस्थितिकी और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्लास्टिक के बाहरी कारक को कम करना चाहता है।
- UPC पहल के एक हिस्से के रूप में कंपनियों ने समयबद्ध, सार्वजनिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
 - a. प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग को खत्म करना।
 - b. चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से प्लास्टिक का पुनः उपयोग और चक्र में दुबारा लाना।
 - c. प्लास्टिक को धारणीय विकल्प या पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक से बदलना।
 - d. प्रतिबद्धताओं को सार्थक और मापे जाने योग्य क्रियाओं में बदलना।

सरकारी हस्तक्षेप

- विश्व पर्यावरण दिवस, 2018 के मौके पर, दुनिया के नेताओं ने "प्लास्टिक प्रदूषण को हराने" और पूरी तरह से इसके उपयोग को समाप्त करने" की कमस खाई।
- (जी -20) पर्यावरण मंत्रियों के समूह वैश्विक स्तर पर समुद्री प्लास्टिक कचरे का मुद्दे को संभालने के लिए कार्रवाई के लिए एक नया कार्यान्वयन ढांचे को अपनाने पर सहमत हुए।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 कहता है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय की प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए।
- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 ने विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (EPR) की अवधारणा पेश की।

नोट:

- भारत ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ की धारणीयता शिखर सम्मेलन में वर्ष 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

नियोघालिफिर्देसफिर्दोदन ग्लेशियर

खबरों में क्यों हैं?

- हाल ही में उत्तर-पूर्व ग्रीनलैंड में आर्कटिक की सबसे बड़ी शेष बर्फ की चादर - 79N, या नियोघालिफिर्देसफिर्दोदन से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है।
- अलग हुआ हिस्सा लगभग 110 वर्ग किमी बड़ा है; उपग्रह की तस्वीरों से पता चलता है कि यह कई हिस्सों में अलग हुआ है।
- इस नुकसान को ग्रीनलैंड में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के वैज्ञानिकों के दावे की पुष्टि करता है।



नियोघालिफिर्देसफिर्दोदन ग्लेशियर के बारे में

- नियोघालिफिर्देसफिर्दोदन ग्लेशियर को कभी-कभी "79 N ग्लेशियर" के रूप में संदर्भित किया जाता है जो पूर्वोत्तर ग्रीनलैंड में स्थित है।
- यह आर्कटिक की सबसे बड़ी बर्फ चादर है जो मोटे तौर पर 20 किमी लंबी और 80 किमी चौड़ी है।

खबर में अन्य ग्लेशियर

ओकजोकुल (ओके ग्लेशियर)

- यह कवच ज्वालामुखी OK के शीर्ष पर पश्चिमी आइसलैंड में स्थित एक ग्लेशियर था।
- यह दुनिया में जलवायु परिवर्तन से हारने वाला पहला ग्लेशियर है।
- भूवैज्ञानिकों द्वारा ओकजोकुल को 2014 में अपने ग्लेशियर दर्ज से हटा दिया गया था।

थ्वाइट्स ग्लेशियर

- यह एक अंटार्कटिक ग्लेशियर है जो पाइन द्वीप की खाड़ी में बहता है, जो अमंडसेन सागर का हिस्सा है।

महत्व

- इसमें विश्व के महासागरों के जल स्तर को 65 सेमी तक उठाने और निकटवर्ती ग्लेशियर को रोकने के लिए पर्याप्त बर्फ है जिससे समुद्री स्तर में 2.4 मीटर की वृद्धि हो जाएगी, यदि सभी बर्फ खत्म हो जाती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत-बीबीसी

G20 EMM पर शुरू की गई पहल

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक (EMM) सऊदी अरबिया राज्य की अध्यक्षता में हुई थी है।



G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक के दौरान निम्नलिखित पहल शुरू की गई है

a. भूमि क्षरण और प्रवाल भित्ति कार्यक्रम को कम करने के लिए वैश्विक पहल

- भूमि क्षरण को कम करने की वैश्विक पहल का उद्देश्य G20 सदस्य राज्यों के भीतर और विश्व स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने, रोकने और मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है।

b. वैश्विक प्रवाल भित्ति R और D त्वरक मंच

- यह प्रवाल भित्ति संरक्षण, बहाली और अनुकूलन के सभी पहलुओं में अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाने के लिए एक वैश्विक अनुसंधान और विकास (R और D) कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से एक अभिनव कार्रवाई उन्मुख पहल है।

प्रवाल भित्ति और भूमि क्षरण के लिए भारत का प्रयास

राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम

- तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने के लिए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत राष्ट्रीय तटीय मिशन।
- मिशन का उद्देश्य अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन के माध्यम से तटीय क्षेत्रों में तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, बुनियादी ढांचे, और समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करना है।

एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना

- इस परियोजना को 2010 में विश्व बैंक की सहायता से तटीय समुदायों के लिए तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण, संरक्षण और प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण और आजीविका सुरक्षा होती है।
- इस परियोजना के तहत तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण जैसे सदाबहार वृक्षारोपण, आश्रय-बेल्ट वृक्षारोपण, प्रवाल प्रत्यारोपण, तटीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि, तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण उन्मूलन, क्षमता निर्माण, आदि से संबंधित गतिविधियां की गई हैं। जैसे-भूमि की कटाई के लिए
- भारत पहले से ही मरुस्थलीकरण से मुकाबला करने के एकजुट राष्ट्रों का अधिवेशन (UNCCD)लिए पार्टियों (पुलिस) के सम्मेलन के 14 वें सत्र के दौरान 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर से 26 मिलियन हेक्टेयर से कम भूमि को बहाल करने के लिए अपना लक्ष्य उठाएगा।

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में

इसे 2008 में जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री परिषद द्वारा शुरू किया गया था।

- इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न अभिकरणों, वैज्ञानिकों, उद्योग और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों पर समुदायों और इसका मुकाबला करने के चरणों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- NAPCC के मूल बनाने वाले 8 राष्ट्रीय मिशन हैं जो जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहु-आयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत रणनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ये निम्न हैं:

1. राष्ट्रीय सौर मिशन
2. उर्जा दक्षता में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय मिशन
3. स्थायी निवास पर राष्ट्रीय मिशन
4. राष्ट्रीय जल मिशन
5. हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन
6. ए ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन
7. सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन
8. जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II - पर्यावरण

स्रोत - इंडियन एक्सप्रेस

कलिंग क्रिकेट मेंढक

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, पुणे के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भारतीय वैज्ञानिकों ने कलिंगा क्रिकेट मेंढक में रूपात्मक फेनोटिपिक प्लास्टिसिटी (MPP) की पहली तरह की खोज की है।

कलिंग क्रिकेट मेंढक के बारे में

- कलिंगा क्रिकेट मेंढक का वैज्ञानिक नाम फेजेरवार्या कलिंगा है।
- यह हाल ही में खोजी गई प्रजाति है जिसे 2018 में दस्तावेज़ित किया गया था।
- इसे केवल ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाटों की ऊँची-ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं का ही माना जाता था।



- कलिंगा मेंढक एक अर्ध-जलीय मेंढक है जो सक्रिय रूप से मानसून में प्रजनन करता है।

स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक

- क्रिकेट मेंढक एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेतक हैं और ये कृषि क्षेत्रों, प्रवाह, दलदलों और द्वीप में विस्तृत रहने के स्थानों में रहते हैं।

खोज का महत्व:

- कई अनुरण (मेंढक) प्रजाति के व्यवहार संबंधी अध्ययन प्रजनन स्थलों, प्रेमालाप प्रारूप और पारिस्थितिक अनुकूलन के चयन के बारे में जानकारी उत्पन्न करने में मदद करेंगे।
- यह जानकारी न केवल भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र के साथ इन प्रजातियों के वितरण का पता लगाने में मदद करेगी, बल्कि इसका उपयोग अन्य प्रजातियों के साथ संभावित संख्या का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जा सकता है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए गए थे।
- छोटे-छोटे कशेरुकियों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने और तेजी से बदलते जलवायु के परिदृश्यों के इस युग में, यह रिपोर्ट भारतीय उभयचर अनुसंधान इतिहास में अपनी तरह का पहली है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत-डाउन टू अर्थ

ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों की एक राष्ट्रीय ज्यूरी ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी-चिह्न (इको-लेबल), ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा विचार करने के लिए भारत के आठ समुद्र तटों की सिफारिश की है।
- ज्यूरी द्वारा चुने गए आठ समुद्र तट इस प्रकार हैं:
 - गुजरात में शिवराजपुर
 - दमन और दीव में घोघला
 - कर्नाटक का कसारकोड और पदुबिद्री तट
 - केरल में कप्पड़
 - आंध्र प्रदेश में रुशिकोंडा
 - ओडिशा का गोल्डन बीच
 - अंडमान और निकोबार में राधानगर समुद्र तट।
- ब्लू फ्लैग तटों को दुनिया के सबसे साफ समुद्र तटों में गिना जाता है।

पृष्ठभूमि

- ये आठ समुद्र तट उन 13 समुद्र तटों में से हैं, जिन्हें पिछले साल पायलट आधार पर चुना गया था।



- संबंधित तटीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रमाणपत्र के लिए पायलट आधार पर चुने गए इन **13 समुद्र तटों में**, घोघाला समुद्र तट (दीव), शिवराजपुर तट (गुजरात), भोगावे (महाराष्ट्र), पदुबिद्री और कासरकोड़ (कर्नाटक), कप्पड़ तट (केरल), कोवलम तट (तमिलनाडु), ईडन तट (पुदुचेरी), रुशिकोंडा तट (आंध्र प्रदेश), मीरामार तट (गोवा), गोल्डन तट (ओडिशा), राधानगर तट (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) और बांगारम तट (लक्षद्वीप) शामिल हैं।
- आंध्र प्रदेश में रुशिकोंडा तट को तदनुसार बुनियादी सुविधाओं एवं विकास के लिए 13 पायलट समुद्र तटों की सूची में शामिल किया गया है।
- ओडिशा के कोणार्क तट पर स्थित चंद्राभागा समुद्र तट भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला तट है।

ब्लू फ्लैग प्रमाणपत्र के बारे में,

- इस प्रमाणन को एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी "फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन" मुख्यालय कोपेनहेगन, डेनमार्क से मान्यता प्राप्त है।
- प्रमाणीकरण का 33 कड़े मापदंड में चार प्रमुख शीर्षक हैं -
 - a. पर्यावरण शिक्षा और सूचना,
 - b. स्नान जल की गुणवत्ता,
 - c. पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण और
 - d. समुद्र तटों में सुरक्षा और सेवाएँ।

- इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस से हुई थी और इसे 1987 से यूरोप में और 2001 से यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में लागू किया गया, जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था।
- ब्लू फ्लैग समुद्र तटों के लिए जापान और दक्षिण कोरिया दक्षिण और दक्षिणपूर्वी एशिया के एकमात्र देश हैं।
- 566 मान्यता प्राप्त समुद्र तटों के साथ स्पेन शीर्ष पर है; जिसके बाद ग्रीस और फ्रांस क्रमशः 515 और 395 का स्थान आता है।

संबंधित जानकारी

BEAMS "(समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्यशास्त्र प्रबंधन सेवाएं)

- भारत ने हाल ही में अपने एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन (ICZM) परियोजना के तहत अपना खुद का इको-लेबल "BEAMS" (बीच का वातावरण और सौंदर्यशास्त्र प्रबंधन सेवाएं) लॉन्च किया।
- यह ICZM की कई अन्य परियोजनाओं में से एक है जिसे केंद्र सरकार तटीय क्षेत्रों के सतत विकास के लिए प्रयास कर रही है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और प्रतिष्ठित इको-लेबल ब्लू फ्लैग के लिए प्रयासरत है।

BEAMS के बारे में

- यह आठ समुद्र तटों पर एक साथ "IAMSAVINGMYBEACH" संदेश के साथ ई-इंडे को फहराते हुए शुरू किया गया था, जिसकी सिफारिश भारतीय जूरी ने ब्लू फ्लैग पर विचार के लिए की थी।

उद्देश्य

- i. तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण कम करना
- ii. समुद्र तट सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना
- iii. तटीय पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करना,
- iv. गंभीरता से स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों को चुनौती देने और स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए
- v. तटीय वातावरण और नियमों के अनुसार समुद्र तट के लिए स्वच्छता और सुरक्षा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत - TOI

330 बोत्सवाना हाथियों की मौत का कारण बैक्टीरिया हैं

खबरों में क्यों है?


- बोत्सवाना सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि इस साल की शुरुआत में बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में लगभग 330 हाथियों की अचानक मौत हो गयी थी क्योंकि उन्होंने विषाक्त नीले-हरे शैवाल (सायनोबैक्टीरिया) से दूषित पानी पिया था।



संबंधित जानकारी

सायनोबैक्टीरिया के बारे में


- साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीली-हरी शैवाल भी कहा जाता है, सभी प्रकार के पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं।
- ये एकाकोशिकीय जीव ताजे, खारे, और समुद्री जल में रहते हैं।
- ये जीव अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं।
- ऊष्ण, पोषक तत्वों से भरपूर (उच्च फास्फोरस और नाइट्रोजन मात्रा) वातावरण में, साइनोबैक्टीरिया तेजी से वृद्धि कर सकते हैं।



सायनोबैक्टीरिया के इस कहर बरपाने वाले काम के पीछे का कारण:

✓ जलवायु परिवर्तन

- कुछ साइनोबैक्टीरियाई पौधों से लोगों और जानवरों को नुकसान हो सकता है और वैज्ञानिकों उनके संभावित प्रभाव के बारे में चिंतित हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन से पानी का तापमान बढ़ जाता है, जो कई सायनोबैक्टीरिया के अनुकूल होता है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी समिति के मुताबिक, दक्षिणी अफ्रीका का तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति के साथ बढ़ रहा है।



ओकावांगो डेल्टा के बारे में

- यह डेल्टा उत्तरी-पश्चिमी बोत्सवाना में स्थित है और इसमें स्थायी दलदली भूमि और मौसमी बाढ़ के मैदान हैं।
- यह उन कुछ प्रमुख आंतरिक डेल्टा प्रणालियों में से एक है जो एक आर्द्रभूमि प्रणाली के साथ समुद्र या महासागर में नहीं बहती हैं, जोकि लगभग अपरिवर्तित रहती है।
- यह डेल्टा कालाहारी रेगिस्तान का कुछ भाग है और इसका यह नाम ओकावांगो (कावांगो) नदी के कारण है।
- यह दुनिया की सबसे बड़ी लुप्तप्राय प्रजातियों में से कुछ का निवास स्थान है, जैसे चीता, सफेद गैंडा, काला गैंडा, अफ्रीकी जंगली कुत्ता और शेर।

बोत्सवाना के बारे में

- यह दक्षिणी अफ्रीका में एक लैंडलॉक देश है ।
- इसका 70% क्षेत्र कालाहारी रेगिस्तान से घिरा हुआ है ।
- बोत्सवाना में दुनिया की सबसे बड़ी हाथियों की आबादी है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 130,000 है।
- यह अफ्रीका का सबसे पुराना स्थायी लोकतंत्र है।


विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत - द हिंदू

विश्व राइनो दिवस

खबरों में क्यों है?

- 22 सितंबर को पूरे विश्व में राइनोसेरोज (गैंडो) से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्व राइनो दिवस मनाया गया।



विश्व राइनो दिवस के बारे में

- यह पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष (WWF) द्वारा दक्षिण अफ्रीका में मनाया गया था।
- तब से, 22 सितंबर को प्रतिवर्ष सरकारों, पशु अधिकार संगठनों और पशु प्रेमियों द्वारा विश्व राइनो दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- यह गैंडे के सभी पांच प्रजातियों (काला, सफेद, विशाल एक सींग वाला गैंडा, सुमात्रा और जावा के गैंडों) को जानने और उनके स्वास्थ्य पर मंडरा रहे खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है।

राइनो को बचाने की सरकार की पहल

इंडियन राइनो विजन 2020

- यह वर्ष 2005 में शुरू किया था जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक भारतीय राज्य असम में सात संरक्षित क्षेत्रों में फैले एक सींग वाले गैंडों की 3,000 से अधिक पालतू जनसंख्या को बनाए रखना है।
- सात संरक्षित क्षेत्रों में काजीरंगा, पोबितोरा, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, लाओकोवा वन्यजीव अभयारण्य, बुराचपोड़ी वन्यजीव अभयारण्य और डिब्रू साईकोवा वन्यजीव अभयारण्य शामिल है।
- यह विभिन्न संगठनों अंतर्राष्ट्रीय गैंडा फाउंडेशन, असम वन विभाग, बोडोलैंड टेरिटो रियाल परिषद, दुनिया भर में भारत, वन्यजीव- फंड और अमेरिका मछली और वन्य जीव सेवा का एक सामूहिक प्रयास है।

भारतीय गैंडों के लिए DNA डेटाबेस

- पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने वर्ष 2019 में देश में सभी गैंडों की डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए परियोजना शुरू की थी।
- भारतीय गैंडा भारत में जंगली जानवरों की पहली प्रजाति हो सकती है जिसका अपने सदस्यों के डीएनए अनुक्रम हो।
- यह परियोजना केंद्र द्वारा चलाए जा रहे बड़े कार्यक्रम का एक छोटा भाग है।
- परियोजना की समय सीमा वर्ष 2021 है।
- परियोजना गैंडे से जुड़े शिकार पर अंकुश लगाने और वन्यजीव अपराधों में सबूत जुटाने में सहायता करेगी।
- डेटाबेस को देहरादून में भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) मुख्यालय में रखा जाएगा।

एशिया में वितरण

- ये भारत, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया और मलेशिया में फैले हुए हैं।
- इन देशों को एशियाई राइनो रेंज देशों के रूप में भी जाना जाता है।
- केवल एक सींग वाला महान गैंडा भारत में पाया जाता है।
- वर्तमान में, भारत में लगभग 2,600 भारतीय गैंडे हैं , जिनकी 90% से अधिक आबादी असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में केंद्रित है।

गैंडे की संरक्षण स्थिति

- एशिया में गैंडे की तीन प्रजातियां हैं- एक सींग वाला महान गैंडा, जावा और सुमात्रा गैंडा।
- जावा और सुमात्रा गैंडों को IUCN रेड सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- एक सींग वाला महान (या भारतीय) गैंडा भी IUCN की रेड सूची में संकटग्रस्त स्थिति में है, जो एशिया में IUCN की रेड सूची में शामिल होने वाला एकमात्र बड़ी स्तनपायी प्रजाति है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

रेलवे ने 2023 तक ब्रॉड-गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा है

खबरों में क्यों है?

- रेल मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि रेलवे ने 2023 तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की योजना बनाई है।



संबंधित जानकारी

- रेल मंत्रालय ने तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन के आधार पर अपने सौर-ऊर्जा मिशन के भाग के रूप में लगभग 1000 मेगावाट सोलर ऊर्जा और लगभग 200 मेगावाट पवन ऊर्जा के प्राप्त करने की योजना बनाई है।
- इस शक्ति में से, लगभग 204.82 मेगावाट, जिसमें 101.42 मेगावाट सौर ऊर्जा और 103.4 मेगावाट पवन ऊर्जा शामिल है, को पहले से ही नेटवर्क पर स्थापित किया गया है।
- सौर और पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हैं, जिसका उपयोग भारतीय रेलवे नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- AIR

पूसा डिकम्पोज़र


खबरों में क्यों है?

- हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने चारे को खाद में परिवर्तित करने के लिए एक बायो-डिकम्पोज़र तकनीक विकसित की है जिसे पूसा डिकम्पोज़र के नाम से भी जाना जाता है।

यह कैसे काम करता है?

- 'पूसा डिकम्पोज़र', के लिए डीकम्पोज़र कैप्सूल और आसानी से उपलब्ध चारे (इनपुट) की सहायता से एक तरल सूत्रीकरण का निर्माण कर इसे 8 से 10 दिन के लिए किण्वन प्रक्रिया के लिए रखा जाता है।
- फिर तेजी से चारे का बायो-डिकम्पोज़िशन सुनिश्चित करने के लिए खेतों में चारे के साथ इस मिश्रण का छिड़काव किया जाता है।
- इस तकनीक से उर्वरकों के उपयोग में कमी आएगी और खेत की मिट्टी की उत्पादकता बढ़ेगी।

BASIC TORREFACTION PRINCIPLE



सम्बन्धित जानकारी

टोरेफैक्शन तकनीक के बारे में

- पिछले साल, भारत ने एक स्वीडिश तकनीक का परीक्षण किया था, जिसने सर्दियों में जलने वाले चारे से होने वाले प्रदूषण के समस्या का हल खोजने के लिए टोरेफैक्शन तकनीक का उपयोग किया है।

टोरेफैक्शन के बारे में

- टोरेफैक्शन बायोमास को कोयले-जैसी सामग्री में परिवर्तित करने की एक ऊष्मीय प्रक्रिया है, जिसमें वास्तविक बायोमास की तुलना में बेहतर ईंधन गुण हैं।
- इसमें पुआल, घास, चीरघर अवशेष और लकड़ी के बायोमास को 250 डिग्री सेल्सियस - 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है।
- यह बायोमास के तत्वों को 'कोयले-जैसे छर्छों' में तब्दील कर देता है।
- इस्पात और सीमेंट उत्पादन जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए इन छर्छों के दहन के लिए कोयले के साथ उपयोग किया जा सकता है।
- यदि बढ़ाया जाए, तो लगभग 65% बायोमास को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - III

स्रोत- द हिंदू

चीन ने 2060 तक कार्बन शून्य होने की कसम खायी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, चीन ने दोहराया है कि उत्सर्जन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में "बाधा" डालने के लिए अमेरिका दोषी है क्योंकि बीजिंग ने 2060 तक कार्बन शून्य होने की कसम खाकर जलवायु के एजेंडे को पूरा किया है।

एक वैश्विक उत्सर्जक के रूप में चीन की भूमिका

- चीन द्वारा घोषित लक्ष्य, जिसमें वर्ष 2030 तक उत्सर्जन के चरम बिंदु पर पहुँचने की शपथ शामिल है, उसमें चीन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रदूषक है और ग्रह की ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में एक-चौथाई हिस्सा रखता है।



- वैश्विक उत्सर्जन-समाप्ति समझौते को स्वीकार करने के अलावा, चीन अपनी कुल ऊर्जा मांग का लगभग 15% भाग गैर-जीवाष्म ईंधन से प्राप्त करता है।
- चीन की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता दुनिया की कुल अक्षय ऊर्जा का 30 प्रतिशत है।
- चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपयोगकर्ता और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है, जो खदानों और दुनिया के आधे कोयले को जलाता है, और तेल और प्राकृतिक गैस का शीर्ष आयातक है।

- ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के अनुसार, चीन के पास वर्तमान में 135 गीगावाट कोयला-बिजली क्षमता है जो या तो चालू है अथवा निर्माणाधीन है, जोकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कोयला-बिजली क्षमता का लगभग आधा है।

महत्व

- जलवायु कार्रवाई निगरानीकर्ता के विश्लेषण के अनुसार, अगर चीन 2060 से पहले कार्बन शून्यता तक पहुँचने के अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है तो इससे वैश्विक ऊष्मन अनुमानों के लगभग 0.2 से 0.3 डिग्री सेल्सियस घट सकता है। जलवायु कार्रवाई निगरानीकर्ता पेरिस समझौते के लक्ष्यों के विरुद्ध जलवायु पर सरकारी प्रतिबद्धताओं की माप करता है।

नोट:

- यूनाइटेड किंगडम पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था है जिसने वर्ष 2050 तक वैश्विक ऊष्मन में अपनी हिस्सेदारी को समाप्त करने के लिए कानून पारित किया है।
- यह लक्ष्य ब्रिटेन को वर्ष 2050 तक अपनी सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाने के लिए कहता है, जो पिछले लक्ष्य की तुलना में वर्ष 1990 के स्तर से कम से कम 80% कटौती का लक्ष्य था।

कार्बन शून्यता के बारे में

- इसका आशय उत्सर्जित कार्बन की मापी गई मात्रा को समान मात्रा में कार्बन की पृथक अथवा अलग की हुई मात्रा से अथवा इस अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त कार्बन क्रेडिट खरीदकर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना है।

संबंधित जानकारी

पेरिस समझौते के बारे में

- इसे COP 21 अथवा पार्टियों के सम्मेलन 21 के रूप में भी जाना जाता है, जो एक ऐतिहासिक पर्यावरणीय समझौता है जिसे 2015 में जलवायु परिवर्तन और इसके नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए अपनाया गया था।
- इसने क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लिया था जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक पूर्व समझौता था।

लक्ष्य

- इस दशक में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से पर्याप्त नीचे सीमित करने के लिए वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के साथ वर्ष 2100 तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का प्रयास करना है।

इसमें शामिल हैं:

- जटिल मौसमी परिस्थितियों जैसे जलवायु प्रभावों से वित्तीय हानि को झेलने वाले संकटग्रस्त देशों को प्रकाश में लाना।
- विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में मदद करने के लिए धन जुटाना।
- सौदे के इस हिस्से को विकसित देशों पर गैर-कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया है।
- सम्मेलन शुरू होने से पहले, 180 से अधिक देशों ने अपने कार्बन उत्सर्जन (राष्ट्रीय रूप से भावी निर्धारित योगदान या INDCs) में कटौती करने के लिए प्रतिज्ञा प्रस्तुत की थी।

राष्ट्रीय स्तर पर भावी निर्धारित योगदान

- पेरिस करार सभी देशों को आगे आकर राष्ट्रीय प्रतिबद्ध योगदान (NDC) के माध्यम से अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और आगामी वर्षों में इन प्रयासों को मजबूत बनाने की शर्त रखता है।
- इसमें सभी देशों को उनके उत्सर्जन और उनके कार्यान्वयन के प्रयासों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनिवार्यता शामिल है।
- यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
- भारत ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए समझौते के तहत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने भावी राष्ट्रीय निर्धारित योगदान प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है।

भारत का INDC, मुख्य रूप से 2030 तक हासिल किया जाएगा

- भारत ने "वर्ष 2030 तक अपनी उत्सर्जन क्षमता को 2005 के अपने सकल घरेलू उत्पाद के 33-35%" तक घटाने का लक्ष्य रखा है।
- यह तकनीकी हस्तांतरण और कम लागत वाले अंतरराष्ट्रीय वित्तपोषण की मदद से, जिसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड शामिल है, वर्ष 2030 तक "जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से पवन और सौर ऊर्जा की तरह अक्षय) से" 40% कुल इलेक्ट्रिक पावर स्थापित क्षमता प्राप्त करेगा।
- भारत ने वर्ष 2030 तक अतिरिक्त वन और पेड़ के जाल द्वारा 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष का अतिरिक्त कार्बन सिंक (वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का एक साधन) बनाने का वादा किया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस

बुचननिया बारबेरी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में, जवाहरलाल नेहरू उष्ण-कटिबंधीय वनस्पति उद्यान एवं शोध संस्थान (JNTBGRI) के 'बुचननिया बारबेरी' को विलुप्त होने से बचाने हेतु किए गए प्रयासों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा है।



बुचननिया बारबेरी के बारे में

- यह छोटे सदाबहार वृक्ष हैं जो केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थानीय हैं।
- इसे IUCN की लाल सूची में 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।
- कम बीज उत्पादन, क्लोनल अप्रसार, प्राकृतिक बीज का कम अंकुरण, अंकुर का बड़ा न होना और क्षेत्र में सड़क विस्तार और विकास गतिविधियों के कारण प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है।

नोट:

- ब्रिटिश वनस्पतिशास्त्री सी. ए. बारबर ने तिरुवनंतपुरम जिले से वर्ष 1904 से 'बुचनानिया बारबेरी' की पहली सूखी वनस्पति प्रजाति का संग्रह किया था।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

विश्व समुद्री दिवस

खबरों में क्यों है?

- विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है ताकि दुनिया की अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से जहाजरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उद्योगों के योगदान को चिह्नित किया जा सके।
- 2020 विश्व समुद्री दिवस के लिए विषय " एक धारणीय ग्रह के लिए धारणीय शिपिंग" है।



विश्व समुद्री दिवस के बारे में

- हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) विश्व समुद्री दिवस मनाता है।
- वर्ष 1958 में IMO सम्मेलन के प्रवेश के प्रभाव में आने के दिन की याद में प्रथम विश्व समुद्री दिवस 17 मार्च 1978 को मनाया गया था।
- विश्व समुद्री दिवस जहाज की सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसका विषय संयुक्त राष्ट्र के 'सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अवसर देने पर ध्यान केंद्रित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो नौवहन की सुरक्षा और समुद्री जहाजों द्वारा समुद्री और वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिम्मेदार है।
- इसकी मुख्य भूमिका शिपिंग उद्योग के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना है जो निष्पक्ष और प्रभावी, सार्वभौमिक रूप से अपनाया और सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के सभी पहलुओं को शामिल करता है - जिसमें जहाज की डिजाइन, निर्माण, उपकरण, मैनिंग, आपरेशन और निपटान शामिल है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ये महत्वपूर्ण भाग सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल, ऊर्जा दक्ष और सुरक्षित बने रहें।

संबंधित जानकारी

जहाज पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग सम्मेलन

- पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग इंटरनेशनल सम्मेलन को 2009 में मंजूरी दी थी।

- इस समझौते को 11-15 मई 2009 को हांगकांग, चीन में एक राजनयिक सम्मेलन के दौरान आयोजित किया गया था एक राजनयिक सम्मेलन में अपनाया में आयोजित हांगकांग, चीन, 11-15 वीं मई 2009 से।

लक्ष्य

- यह सुनिश्चित करेगा कि जहाजों, को जब उनके कार्य जीवन के अंत तक पहुंचने के बाद पुनर्नवीनीकरण किया जाए, तो मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरण के लिए कोई अनावश्यक जोखिम पैदा न करें।

उद्देश्य

- यह जहाज पुनर्चक्रण के आसपास के सभी मुद्दों को संबोधित करने का इरादा रखता है , जिसमें पर्यावरणीय रूप से खतरनाक पदार्थों जैसे एस्बेस्टस, भारी धातु, हाइड्रोकार्बन, ओजोन घटने वाले पदार्थों और अन्य की संभावित उपस्थिति शामिल है।
- इसका उद्देश्य दुनिया की कई जहाज पुनर्चक्रणीय सुविधाओं में काम करने और पर्यावरण की स्थिति के बारे में चिंताओं को संबोधित करना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- संयुक्त राष्ट्र

मिशन लैंटाना

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में "मिशन लैंटाना" के तहत राजस्थान के उदयपुर जिले के प्रसिद्ध सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में आक्रामक लैंटाना झाड़ियों को उखाड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया जिसने घास के मैदानों की पारिस्थितिक बहाली और जैव विविधता को बचाए रखने में मदद की।



लैंटाना के बारे में

- लैंटाना कैमरा अमेरिकी टॉपिक्स के देशी फूल के पौधे की एक प्रजाति है।
- यह एक छोटा बारहमासी पौधा है जो विभिन्न प्रकार के वातावरण में लगभग 2 मीटर तक लंबा और घना हो सकता है।

- लैंटाना कैमरा को पहली बार सन् 1807 में देखा गया था, इसने वन्यजीवों के भंडार, नदी के किनारों और प्रोजेक्ट टाइगर के क्षेत्रों में फैलकर देशी घास को नष्ट और जैव विविधता को कम कर दिया था।

संबंधित जानकारी

सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के बारे में

- यह राजस्थान के उदयपुर जिले की दक्षिणी अरावली पहाड़ियों में है जो पूरी तरह से उदयपुर जिले की गिरवा तहसील के भीतर स्थित है।
- इस क्षेत्र को सन् 1987 में एक वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया था।

राजस्थान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान

- रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान
- केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान
- सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान
- डेजर्ट नेशनल पार्क
- मुकुंदरा हिल्स (दर्रा) राष्ट्रीय उद्यान

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- वातावरण

स्रोत- द हिंदू

भारी संख्या में व्हेल स्ट्रैंडिंग

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में 450 से अधिक लंबे-फिन वाली पायलट व्हेल की मौत हो गई है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड स्तर पर व्हेल की सबसे अधिक मौत बताया जा रहा है।
- व्हेल तस्मानिया सागर के पश्चिमी तट में एक दूरस्थ समुद्र तट पर मृत पार्थी गयीं।



बीचिंग / स्ट्रैंडिंग क्या है?

- यह समुद्र तट पर डॉल्फिन और व्हेल के खुद के फंसने की घटना को संदर्भित करता है।
- हर साल दुनियाभर में लगभग 2,000 स्ट्रैंडिंग की घटनाएं होती हैं, जिसमें से अधिकांश में पशुओं की मौत हो जाती है
- व्हेल समुद्र तटों पर या तो अकेले या समूहों में फंस जाती है।
- अकेले स्ट्रैंडिंग के लिए ज्यादातर चोट या बीमारी को जिम्मेदार वजह बताया जाता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि व्हेल समूहों में क्यों तट के पास आती हैं।

इस स्टैंडिंग के पीछे कारण

- कुछ व्हेल उथले पानी में स्कूलिंग मछलियों या दूसरे शिकार का पीछा करती हैं, जिसके कारण व्हेल दिशा से भटक जाती हैं, और वे फंस जाती हैं।
- जबकि एक अन्य कारण शिकारी व्हेल या शार्क जैसे शिकारी से घिरने की घबराहट हो सकती है।
- एक दूसरी संभावना यह भी है कि व्हेल शिकार वाली जलधारा में बहती हुई तट पर आ जाती हैं। इसके अलावा, समुद्र तट और तटरेखा के आकार की भी भूमिका हो सकती है।
- उदाहरण के लिए, यदि समुद्र तट में मंद ढलान है, तो वे व्हेल जिन्हें दिशासूचन के लिए प्रतिध्वनि की जरूरत होती है, वे धोखा खा सकती हैं।

संरक्षण की स्थिति

- वे लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध हैं
- उन्हें IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत - द हिंदू

H-CNG

खबरों में क्यों है?

- परिवहन के लिए वैकल्पिक स्वच्छ ईंधन को अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने CNG इंजनों में H-CNG (हाइड्रोजन का 18% मिश्रण) के उपयोग की अनुमति दी है।
- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित संपीड़ित प्राकृतिक गैस (H-CNG) के लिए विशेषताएँ भी विकसित की हैं।
- 'स्वच्छ' CNG की तुलना में H-CNG का इस्तेमाल करके उत्सर्जन में कमी का अध्ययन करने के लिए विशेष CNG-इंजन का इस्तेमाल किया गया।



हाइड्रोजन-समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (H-CNG) के बारे में

- जब संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) को हाइड्रोजन के साथ मिश्रित या मिलाया जाता है तो उसे हाइड्रोजन-समृद्ध संपीड़ित प्राकृतिक गैस (H-CNG) कहा जाता है।

HCNG is hydrogen-enriched compressed natural gas (CNG).
In Delhi, instead of physically blending hydrogen with CNG, hydrogen-spiked CNG will be produced using compact reforming process patented by Indian Oil Corporation



► It is cleaner and more economical; power output of HCNG engine is also better than CNG ones

4-tonne-per-day production plant will come up at DTC's Rajghat-1 bus depot by December

50 CLUSTER BUSES WILL RUN ON HCNG

₹40cr cost of HCNG plant

6-month pilot project will start in January

BENEFITS OF HCNG

4% more fuel economy than CNG



70% more reduction in carbon monoxide emissions compared to CNG

4% more fuel economy than CNG

पर्यावरण के अनुकूल

- पारंपरिक CNG की तुलना में H-CNG के उपयोग से ईंधन में 5% तक की बचत के अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का उत्सर्जन 70% तक कम हो सकता है।
- कार्बन मुक्त संचालन के कारण हाइड्रोजन को बिजली प्रणाली के लिए एक भविष्य के द्वितीयक ईंधन के रूप में माना जा रहा है।
- हाइड्रोजन अपने कम प्रज्वलन ऊर्जा, उच्च प्रतिक्रियाशीलता, प्रसार और जलने के वेग के कारण हाइड्रोकार्बन ईंधन के दहन में सुधार करने के लिए एक उत्कृष्ट योजक है।

संबंधित जानकारी

संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG) के बारे में

- संपीड़ित प्राकृतिक गैस एक ईंधन है जिसका उपयोग गैसोलीन, डीजल ईंधन और द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के स्थान पर किया जा सकता है।
- यह प्राकृतिक गैस को संपीड़ित करके बनायी गयी है, (जो मुख्य रूप से मीथेन, CH₄ से बनी है)।
- प्राकृतिक गैस को मानक वायुमंडलीय दबाव में अपनी मात्रा के 1% से कम आयतन करके CNG का उत्पादन किया जाता है।
- CNG पारंपरिक तरल ऑटो ईंधन की तुलना में काफी किफायती और पर्यावरण के अनुकूल है ।
- CNG कम कीमत पर उच्च प्रदर्शन प्रदान करता है, और आपके वाहन को बेहतर माइलेज देता है।
- CNG क्रैककेस तेल को दूषित या पतला नहीं करता है, जिससे इंजन को एक लंबा जीवन मिलता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत- AIR + PIB

पाइपवॉर्ट्स

खबरों में क्यों है?

- आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (ARI) के वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट के इलाकों से दो नए प्रजाति के पाइपवॉर्ट्स, आद्रभूमि पौधों की खोज की है।

- इसके विशेष सूक्ष्म पुष्पक्रम आकार के लिए, शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र में पाई जाने वाली प्रजातियों का नाम एरियोकॉलन पार्विसिफैलम रखा है।
- कर्नाटकी क्षेत्र की प्रजाति को एरियोकॉलन कारावावालेंस नाम दिया गया है, जो राज्य में कारावाली तटीय क्षेत्र को दर्शाती है।



पाइपवॉर्ट के बारे में,

- एरियोकॉलन कुल एरियोकॉलेसी में मोनोकोटिलेडोनस फूल वाले पौधों की लगभग 400 प्रजातियों का एक वंश है।
- इसे आम तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों विशेष रूप से दक्षिणी एशिया और अमेरिका में पाइपवॉर्ट के रूप में जाना जाता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- जीनस एरियोकॉलन आमतौर पर मृदु जल के अनुकूल होते हैं।
- यह एक बहुत छोटा, बहुत संकीर्ण-संकरा और लगभग गद्दी उगाने वाला पौधा है जो विकसित होने के लिए प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की अच्छी आपूर्ति की मांग करता है।

औषधीय गुण

- पहले खोजे गए कुछ पौधों की प्रजातियां, जीनस एरियोकोलोन से संबंधित, ने औषधीय गुणों को साबित किया है और वे गैर-संक्रामक, जीवाणुरोधी और कैंसर विरोधी गुणों के लिए व्यापक उपयोग में हैं।

नोट:

- भारत में लगभग 111 प्रजातियाँ मौजूद हैं , जिनमें से अधिकांश पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय के लिए स्थानिक हैं ।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III - पर्यावरण

स्रोत - इंडियन एक्सप्रेस

भूगोल सम्बन्धी मुद्दे

क्रेते द्वीप

खबरों में क्यों है?

- तुर्की अपने प्रतिद्वंद्वी ग्रीस के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गया है जिसमें पूर्वी भूमध्य सागर में संसाधनों के उचित बंटवारे पर विचार किया जाएगा, जहां दोनों देश एक तनावपूर्ण गतिरोध में बंधे हुए हैं जिससे किसी संघर्ष के होने का खतरा है।
- दोनों देशों की सेना साइप्रस और यूनानी द्वीप क्रेते के बीच समुद्र में सैन्य अभ्यास कर रही है।



क्रेते द्वीप के बारे में

- क्रेते यूनानी द्वीपों का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है तथा भूमध्य सागर में सिसिली, सार्डिनिया, साइप्रस और कोर्सिका के बाद पाँचवाँ सबसे बड़ा द्वीप है।
- यह एजियन सागर की दक्षिणी सीमा निर्धारित करता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I-भूगोल

स्रोत- द हिंदू

यानोमामी जनजाति

खबरों में क्यों है?

- यानोमामी जनजाति ने हाल ही में भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह ब्लड गोल्ड खरीदना बंद कर दे, जो कि अवैध रूप से यानोमामी भूमि से निकाला गया सोना है।
- ब्राजील के स्थानीय यानोमामी लोगों के स्थानीय नेता दारियो कोपेनावा की इस अपील को सर्ववाइवल इंटरनेशनल द्वारा अंग्रेजी शीर्षक के साथ वीडियो में ऑनलाइन पोस्ट किया गया था। लंदन स्थित यह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परामर्श संस्था दुनियाभर में स्थानीय और आदिवासी लोगों के लिए अभियान चलाती है।



यानोमामी लोगों के बारे में

- यानोमामी जनजाति उत्तरी ब्राजील और दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षावनों और पर्वतों में रहते हैं।
- सर्वाइवल इंटरनेशनल के अनुसार, यह दक्षिण अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे बड़ी पृथक जनजाति है।
- ऐसा माना जाता है कि यानोमामी जनजाति ने 15,000 साल पहले एशिया से बेरिंग जलडमरूमध्य पार करते हुए उत्तरी अमेरिका में प्रवेश किया और अपने घर अमेज़न की तरफ दक्षिण की ओर यात्रा की।
- वे बड़े, वृत्ताकार घरों में रहते हैं जिन्हें यानोज़ या शैबोनोज़ कहा जाता है।
- वे शिकार और स्थानांतरित खेती करते हैं तथा ज़िरियाना भाषा बोलते हैं।

नोट:

MinersOutCovidOut

- इस जनजाति ने MinersOutCovidOut नाम से एक पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य ब्राजील के समाज और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन को हासिल करना ताकि ब्राजील सरकार को खननकर्ताओं को हटाने और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए ब्राजील सरकार को तैयार करना है।
- ब्राजील के स्वदेशी नेता दावी कोपेनावा जिन्होंने यानोमामी लोगों के भूमि अधिकार को सुरक्षित किया था राइट लाइवलीहुड अवॉर्ड -2019 से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार माना जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - भूगोल जनजाति

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

सोनामुरा-दाउदकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग मार्ग

खबरों में क्यों है?

- भारत और बांग्लादेश के बीच सोनामुरा-दाउदकंडी अंतर्देशीय जलमार्ग का संचालन शुरू हो गया है।

सोनामुरा-दाउदकंडी मार्ग के बारे में

- यह गोमती नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग मार्ग है जिसे मई 2020 में भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (IBP) मार्गों की सूची में शामिल किया गया था।
- दाउदकंडी (चटगांव जिला) बांग्लादेश में है जबकि सोनामुरा भारत में त्रिपुरा के (सेपाहिजला जिला) में है।



मार्ग का महत्व

- यह भारतीय और बांग्लादेश के आर्थिक केंद्रों के साथ त्रिपुरा और आसपास के राज्यों की संचार में सुधार लाएगा और दोनों देशों के अंदरूनी इलाकों की मदद करेगा।
- यह बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग भी है जो 1995 में शुरू हुए त्रिपुरा के सीमा-पार व्यापार में मदद करता है।

संबंधित जानकारी

गोमती नदी के बारे में

- यह त्रिपुरा की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 180 किमी है।
- इसे एक पवित्र नदी भी माना जाता है और भक्त प्रत्येक मकर संक्रांति पर तीर्थमुख में इसके किनारे जुटे रहते हैं।
- गोमती जल विद्युत परियोजना के हिस्से के रूप में 1974 में डंबूर बांध बनाया गया।

नोट -

- आगामी अगरतला-अखौरा रेल परियोजना, फेनी नदी पर भारत-बांग्लादेश सेतु और सबरूम में एक दूसरी एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) का उद्देश्य भी दोनों पक्षों के बीच व्यापार की मात्रा को बढ़ाना है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - भूगोल

स्रोत- द हिंदू


चुशूल घाटी

खबरों में क्यों है?

- हाल ही में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गतिरोध के कारण चुशुल उप-क्षेत्र सभी की नज़रों में आ गया है।

चुशुल उप-क्षेत्र के बारे में

- चुशूल उप-क्षेत्र लद्दाख के पूर्वी और पांगोंग सो के दक्षिण में स्थित भाग है।
- इसमें टूटी हुई ऊँची पहाड़ियाँ हैं, और रेचिन ला और रेजांग ला जैसे दर्रा सहित ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, हेलमेट टॉप, मैगर हिल और थातुंग जैसे शिखर शामिल हैं।
- चुशुल चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) और भारतीय सेना (IA) के बीच पांच सीमा सुरक्षाकर्मी मुलाकात बिंदुओं में से एक बिंदु है।



चुशुल उप-क्षेत्र: सामरिक महत्व

- चुशुल, अपने इलाके और स्थान के कारण, रसद को उतारने का केंद्र है। इसलिए, यह भारत के लिए रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
- इस उप-क्षेत्र में कुछ किलोमीटर चौड़े ऐसे मैदानी क्षेत्र हैं, जहाँ टैंक सहित यंत्रिकृत बलों को तैनात करना बहुत सुविधाजनक है।
- इसके बाद यहाँ मौजूद हवाई पट्टी और लेह तक ले जाने वाला सड़क मार्ग परिचालन की दृष्टि से सुगम्य हैं।

चुशुल का चीन के लिए महत्व

- चीन के लिए चुशुल लेह में प्रवेश द्वार की तरह है। यदि चीन चुशुल में प्रवेश करने में सक्षम होता, तो वह लेह में अपने कार्यों को शुरू कर चुका होता।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - भूगोल

स्रोत- फाइनेंशियल एक्सप्रेस

कोसी रेल महासेतु

खबरों में क्यों है?

- प्रधानमंत्री मंत्री 18 सितम्बर 2020 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देश को एतिहासिक कोसी रेल महासेतु (विशाल पुल) समर्पित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।


कोसी रेल महासेतु के बारे में

- कोसी रेल महासेतु 1.9 किमी लंबा है।
- वर्ष 2003-04 के दौरान कोसी मेगा ब्रिज लाइन परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।



महत्व

- कोसी रेल महासेतु का निर्माण बिहार के इतिहास और उत्तर पूर्व को जोड़ने वाले पूरे क्षेत्र में एक निर्णायक पल है ।
- यह पुल भारत-नेपाल सीमा के लिए रणनीतिक महत्व का है ।



संबंधित जानकारी

कोसी नदी के बारे में

- कोसी एक सीमा पार करने वाली नदी है, जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर बहती है।
- यह तिब्बत में हिमालय की उत्तरी ढलान और नेपाल में दक्षिणी ढलानों से होकर बहती है।
- चत्रा जॉर्ज के उत्तर में सहायक नदियों के प्रमुख मिलन से, कोसी नदी को इसकी सात ऊपरी सहायक नदियों के कारण सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है।
- सप्तकोसी उत्तरी बिहार, भारत को पार करती है, जहाँ यह कटिहार जिले में कुरसेला के पास गंगा में मिलने से पहले सहायक नदियों में अलग हो जाती है।

ध्यान दें:

- कोसी नदी को 'बिहार के शोक' भी कहा जाता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I- भूगोल

स्रोत-आकाशवाणी

भटकता ग्लाइडर

खबरों में क्यों है?

- भटकते ग्लाइडर ड्रैगनफ्लाई की नजर और वायु कौशल ड्रोन निर्माताओं और दूसरे वायु जनित प्रणालियों के लिए प्रेरणा हैं।



संबंधित जानकारी

- भटकता ग्लाइडर (पेंटाला फ्लावेसेंस) को अपने पलायनकारी व्यवहार के कारण ग्लोब घुमक्कड़ भी कहा जाता है।
- यह एक ड्रैगनफ्लाई है जिसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले कीट के रूप में जाना जाता है।
- इसे पहली बार सन् 1798 ई. में जोहान क्रिस्टियन फैब्रिकियस द्वारा वर्णित किया गया था।

वितरण

- यह अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाया जाता है और यूरोप में कहीं-कहीं देखा जाता है।
- यह हिमालय में 6,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर दर्जे सबसे ऊंचा उड़ने वाला ड्रैगनफ्लाई भी है।

संरक्षण की स्थिति

- IUCN की रेड लिस्ट ऑफ़ थ्रेटर्ड स्पीशीज़ में इसे सबसे कम चिंताग्रस्त (LC) श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

शिनकुन ला टनल

खबरों में क्यों है?

- सीमा अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) ने दुनिया की सबसे लंबी ऊंचाई वाले शिनकुन ला टनल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने में तेजी लाई है।



शिनकुन ला टनल के बारे में

- इस सुरंग को लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा के बीच बनाने का प्रस्ताव रखा गया है।
- यह सुरंग हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में जास्कर घाटी के बीच हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I - भूगोल

स्रोत- PIB